

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
पहला अध्याय		
राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	3
बजट 2011-12	1.4	5
राज्य के संसाधन	1.5	6
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.5.1	6
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण	1.5.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.6	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.6.1	11
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.7	14
व्यय की वृद्धि एवं रचना	1.7.1	14
वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायता पर व्यय	1.7.2	18
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.7.3	20
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थायें एवं निधियों का हस्तांतरण	1.7.3.1	21
व्यय की गुणवत्ता	1.8	25
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.8.1	25
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.8.2	26
सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.9	30

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
अपूर्ण परियोजनाएं	1.9.1	30
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.9.2	31
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.9.3	32
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.9.4	33
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.10	34
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.10.1	34
राजकोषीय देयताएं	1.10.2	35
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	1.10.3	36
ऋण धारणीयता	1.11	38
ऋण स्थिरीकरण	1.11.1	39
ऋणेतार प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.11.2	39
निधियों की निवल उपलब्धता	1.11.3	39
राज्य कर्ज की परिपक्वता रूपरेखा	1.11.4	40
राजकोषीय असन्तुलन	1.12	41
घाटे की प्रवृत्ति	1.12.1	41
राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.12.2	42
घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता	1.12.3	43
निष्कर्ष	1.13	44
अनुशंसायें	1.14	47
दूसरा अध्याय		
वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	49
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	49
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन	2.3	51
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग	2.3.1	51
सतत् बचतें	2.3.2	55

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	56
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	56
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	56
2011-12 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	57
अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	58
निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.8	58
निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां	2.3.9	59
सारभूत समर्पण	2.3.10	59
अवास्तविक और अविवेकपूर्ण समर्पण	2.3.11	59
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.12	60
व्यय की अत्यधिकता	2.3.13	60
बिना प्रावधान के किया गया व्यय	2.3.14	61
बजट में दिये गये नवीन मदों के व्यय के लिये प्रावधान का उपयोग न होना	2.3.15	61
बजट बनाने में त्रुटियां	2.4	62
अनुदान के लिए मांग में बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.4.1	62
प्रभारित प्रावधान	2.4.2	62
बजट भाषण में दिये गये आश्वासनों का पूरा नहीं होना	2.5	62
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	64
निष्कर्ष	2.7	66
अनुशंसाएं	2.8	66
तीसरा अध्याय		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब	3.1	67

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.2	68
दुर्विनियोग, हानियां, गबन आदि	3.3	69
विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	3.4	70
संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4.1	70
प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.4.2	70
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना	3.4.3	71
लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब	3.4.4	72
व्यक्तिगत जमा लेखे	3.5	72
तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये सहायता-अनुदान की उपयोगिता एवं निधियों का सिविल जमा में रखना	3.6	73
निष्कर्ष	3.7	75
अनुशंसाएं	3.8	75

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	77
1.2 भाग क	सरकारी लेखों की संरचना	78
1.2 भाग-ख	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	80
1.3 भाग - क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	81
1.3 भाग - ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	82
1.3 भाग - ग	चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति	84
1.4	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	85
1.5 भाग - क	वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	89
1.5 भाग - ख	31 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	93
1.6	करेतर राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभाओं का मूल्य दर्शाने वाला विवरण	95
1.7	2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹ 25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां	96
1.8	अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2012 की स्थिति में हानि में चलने वाले सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति	98
1.9	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राजसहायता भुगतान का विवरण	100
1.10 भाग-क	अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश	103

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.10 भाग-ख	अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश	104
1.10 भाग-ग	अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश	105
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	106
2.2 (क)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र	108
2.2 (ख)	प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा	113
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	120
2.4	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	122
2.5	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	125
2.6	विभिन्न अनुदान/विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र	127
2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण	128
2.8	पुनर्विनियोजनों/समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ	131
2.9	वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम	132
2.10 (क)	वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ एक करोड़ या इससे अधिक)	138
2.10 (ख)	आधिक्य के उपरांत प्रावधान का समर्पण	138
2.11	विभिन्न अनुदान/विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है	139
2.12	₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की	140

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	गयी बचतों के विवरण (परिशिष्ट 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)	
2.13	30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	142
2.14	व्यय की अधिकता	144
2.15	केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरण दिखाये जाने वाला विवरण पत्रक	147
2.16	बिना प्रावधान के किये गये व्यय	149
2.17 (क)	पूंजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64-वृहद निर्माण कार्य और 45-पूंजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान के प्रावधान के राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण	150
2.17(ख)	राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के प्रावधान के राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण	151
2.18	चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत बचतें	152
2.19	चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य	153
2.20	वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	154
3.1	मार्च 2012 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागों के अनुसार जानकारी	155
3.2	स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक	157
3.3	दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण	161
3.4	2011-12 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण	163
3.5	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि से सरकार को हुई हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण	164
3.6	2011-12 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक	166

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।
3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।



कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेंतर्ग मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में वन एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग से संबंधित दो अनुदानों यथा मांग संख्या 10 एवं 53 की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

तीसरा अध्याय में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबन्धन तथा संसाधनों की गतिशीलता

- बजट अनुमानों के संदर्भ में, राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे ने सुधार दर्शाया।
- 2011-12 के दौरान राज्य ने राजस्व आधिक्य को लगातार बनाए रखा। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान के 1.45 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई, जो बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही।
- 2011-12 में, कुल व्यय के अनुपात में राजस्व प्राप्तियाँ 81 प्रतिशत पर स्थिर रहीं। 2007-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता का संकेत तथा उधार ली गई निधियों पर कम निर्भरता प्रकट हुई।
- कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूलियाँ तेरहवें वित्त आयोग (36.81 एवं 52.37 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के प्रक्षेपणों (16.68 एवं 24.74 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर थीं।

व्यय प्रबन्धन तथा राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2011-12 के दौरान कुल व्यय के 68 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा। राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत (योजनेत्तर: 14 प्रतिशत तथा योजनागत: 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत परिव्यय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर (36.06 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण (चार प्रतिशत) से कम था।

- 2007-12 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 101 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान यह व्यय योजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था।
- जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों पर किया गया प्रचालन और संधारण व्यय, इन क्षेत्रों के करेतर राजस्व से अधिक था। राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में करेतर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और प्रचालन एवं संधारण व्ययों में कमी करना चाहिये।
- योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के संदर्भ में, विगत वर्ष की तुलना में योजनागत व्यय में ₹ 3,592 करोड़ की वृद्धि तथा योजनेत्तर व्यय में ₹ 16,390 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।
- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, 2008-09 और 2011-12 दोनों में पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य संवर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कम थे। वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में भी गिरावट पंजीबद्ध की गई। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है।
- यह देखा गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय से कुल व्यय के अनुपात में कमी आई।
- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2010-11 में ₹ 9,117.06 करोड़ से 2011-12 में ₹ 10,830.30 करोड़ तक ₹ 1,713.24 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 49.55 करोड़ तथा ₹ 195.28 करोड़ की निधियां हस्तांतरित नहीं की।

अपूर्ण परियोजनायें

- 28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ (मार्च 2012) का व्यय अलाभकारी रहा तथा इनमें से 23 परियोजनाएं सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

देयताओं का प्रबन्धन

- कुल देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत की कमी लाना है। परिणामतः, तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण कर्ज प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- लोक ऋण प्राप्तियों में नौ प्रतिशत की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी, उधारियों में कमी के कारण थी। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण परिशोधन, नवीन ऋण प्राप्तियों का 106 प्रतिशत था, केन्द्र सरकार से ऋणों का परिशोधन 126 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में, पुनर्भुगतान नवीन प्राप्तियों का 88 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्तियों को मुख्यतः ऋण पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया था।
- ऋण पुनर्भुगतानों में 2013-15 के दौरान 10 प्रतिशत से लेकर 2019-21 के दौरान 21 प्रतिशत तक की अनवरत वृद्धि होगी। ऋण मुक्ति के लिए निक्षेप निधि का सृजन किया जाना दूरदर्शी होगा।
- वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बाजार कर्जों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा यद्यपि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2010-11 में 62 प्रतिशत से 2011-12 में 55 प्रतिशत तक की कमी आई।

निधियों की निवल उपलब्धता

- वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये कर्ज प्राप्तियों का 95 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थी।
- कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली की तुलना में विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया कर्जों तथा अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।

निवेश पर प्रतिलाभ

- मार्च 2012 के अन्त तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों, आदि में किये गये निवेश ₹ 13,184 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 37.98 करोड़) लगभग 0.29 प्रतिशत था जो कि 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर उधारी के विरुद्ध था।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को 2011-12 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 11,495.42 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 15,931.72 करोड़ तक हो गया था।

भारत सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ

- केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 9,497.91 करोड़ अंतरित किए। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट से नहीं गुजरती हैं अतः इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में अकिंचन चूक होने का जोखिम होता है। जब तक इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण प्रणाली का तत्परतापूर्वक अनुसरण नहीं किया जाता तथा उचित प्रलेखन एवं व्यय की समय पर सूचना का कार्य नहीं किया जाता, तब तक इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना कठिन होगा।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

- 2011-12 के दौरान ₹ 96,187 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 81,134 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे ₹ 15,053 करोड़ की कुल बचत हुई।
- मुख्य बचतें वित्त, भू-राजस्व, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), बुन्देलखण्ड पैकेज तथा विधि और विधायी कार्य विभाग इत्यादि से संबंधित थी।
- सात अनुदानों/विनियोगों में, विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें देखी गईं।
- निधियों के अनावश्यक, अपर्याप्त या आधिक्यपूर्ण प्रावधान एवं अनावश्यक अथवा आधिक्यपूर्ण पुनर्विनियोग/समर्पण के प्रकरण थे।
- अनेक प्रकरणों में, प्रत्याशित बचत या तो समर्पित नहीं की गई अथवा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन समर्पित की गई जिसके कारण अन्य विकासीय कार्यों के लिये इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं बची।
- 2011-12 के दौरान किए गए ₹ 135.10 करोड़ तथा 1997-98 से 2000-01 एवं 2002-03 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित

₹ 2,879.84 करोड़ के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यकता थी।

- बजट भाषण में दिए गए कुछ आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया।
- ₹ 584.33 करोड़ की राशि सिविल जमा के लोक लेखे में अन्तरित की गई थी।
- ₹ 4,872 करोड़ की बचतें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पित किए गए थे।

वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों के परिहार्य के लिए बजट नियंत्रण प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदन

राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन का अभाव था।

- ₹ 31,417.72 करोड़ की कुल राशि के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतिक्रिया थी।
- 47 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में नौ से 84 महीनों और उससे अधिक का विलम्ब हुआ था जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित होती है।
- ₹ 46.25 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोजनों इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।
- 2010-11 के पूर्ववर्ती के ₹ 19.10 करोड़ सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2012 के अंत तक की अवधि के लिए संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध ₹ 19.50 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक प्रतिक्रिया थी।
- मध्य प्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 की समाप्ति पर ₹ 2,007 करोड़, 886 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गये थे।
- 2011-12 के लिए पांच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 2,808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना और ₹ 71,753 करोड़ की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियों के 98.56 प्रतिशत का लेखा-मिलान न होना भी ध्यान में आया।
- कुछ विभागों में तेरहवें वित्त आयोग से संबंधित निधियों को अनुपयोगी तथा सिविल जमा के अंतर्गत अवरुद्ध रखना पाया गया।

उक्त समस्त कमियां विभागों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव को प्रतिबिंबित करता है।

पहला अध्याय
राज्य सरकार के वित्त

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त

मध्य प्रदेश की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो 308 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह देश के मध्य भाग में स्थित है तथा भू-भाग से घिरा कृषि प्रधान राज्य है। यह देश के खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है, विगत दस वर्षों में मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय औसत की तुलना में निर्धनता का स्तर उच्चतर है। राज्य में पिछले दशक में निम्नतर आर्थिक विकास दृष्टिगत हुआ क्योंकि सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.46 प्रतिशत तक की तुलना में इसकी 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर 13.77 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान, अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में 13.90 प्रतिशत के विरुद्ध इसकी जनसंख्या में 16.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिनी कोएफिशियन्ट से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में आय वितरण की असमानता अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी परन्तु नगरीय क्षेत्रों के मामलों में अधिक थी। चालू दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्नतर रही है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2011-12 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास परिशिष्ट 1.2 भाग-क में चित्रित किया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानदण्डों/उच्चतम सीमाओं तथा चयनित संकेतकों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 भाग-क, ख एवं ग में चित्रित किया गया है।

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सरगुजा।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति परिशिष्ट 1.2 भाग-ख में दर्शाई गई है।

1.2 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है जबकि परिशिष्ट 1.5 भाग-क वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का सार प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियां	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12		
अनुभाग-क राजस्व							
					योजनेत्तर	योजनागत	योग
51,854.18	राजस्व प्राप्तियां	62,604.07	45,011.59	राजस्व व्यय	36,677.16	16,016.55	52,693.71
21,419.34	कर राजस्व	26,973.44	14,646.68	सामान्य सेवाएं	16,091.11	137.53	16,228.64
5,719.77	करेतर राजस्व	7,482.73	17,345.40	सामाजिक सेवाएं	10,460.00	9,836.94	20,296.94
15,638.51	संघ करों/शुल्कों का भाग	18,219.13	10,084.48	आर्थिक सेवाएं	7,499.98	5,464.93	12,964.91
9,076.56	केन्द्र सरकार से अनुदान	9,928.77	2,935.03	सहायतानुदान तथा अंशदान	2,626.07	577.15	3,203.22
अनुभाग-ख: पूंजीगत							
366.54	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	8,799.88	पूंजीगत परिव्यय	32.29	9,022.87	9,055.16
33.65	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	9,122.56	3,714.73	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	14,681.31	1,079.25	15,760.56
1.64	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	1.85	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			3.70
7,457.94	लोक ऋण प्राप्तियां	6,750.25	2,529.23	लोक ऋण का पुनर्भूगतान			3,149.79
—	आकस्मिकता व्यय निधि	100.00	—	आकस्मिकता व्यय निधि			100.00
65,675.10	लोक लेखा प्राप्तियां	76,315.22	62,344.26	लोक लेखा संवितरण			73,279.04
3,912.93	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,900.44	6,900.44	अन्तिम रोकड़ शेष			7,775.88
1,29,301.98	योग	1,61,817.84	1,29,301.98	योग			1,61,817.84

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान राजकोषीय लेन-देनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

- विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,750 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि, राज्य के स्वयं के कर राजस्व (₹ 5,554 करोड़; 26 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 1,763 करोड़; 31 प्रतिशत), केन्द्र सरकार से अनुदान (₹ 852 करोड़; 9.4 प्रतिशत) तथा संघ के करों/शुल्कों के भाग (₹ 2,581 करोड़; 16.5 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 7,682 करोड़ (17 प्रतिशत) (योजनेत्तर: 14 प्रतिशत तथा योजनागत: 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं के क्षेत्र (₹ 1,582 करोड़; 11 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 2,952 करोड़; 17 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 2,880 करोड़; 29 प्रतिशत) में थी।

- पूंजीगत परिव्यय में ₹ 255 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 67 करोड़; चार प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 199 करोड़; तीन प्रतिशत) के अंतर्गत थी। यह सामान्य सेवाओं के क्षेत्र (₹ 11 करोड़; छः प्रतिशत) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 708 करोड़ (नौ प्रतिशत) की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी, उधारियों में कमी (आंतरिक ऋण: ₹ 646 करोड़ एवं केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम: ₹ 62 करोड़) के कारण थी। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में ₹ 621 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 10,640 करोड़ (16 प्रतिशत) एवं ₹ 10,935 करोड़ (18 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।
- उपरि उल्लिखित निधियों के अन्तर्वाह/बहिर्वाह के परिणामस्वरूप राज्य के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के अंत तक ₹ 875 करोड़ (13 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबन्धन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था। तेरहवें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को अनुशंसाएं करने के लिए किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने एवं राज्य ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के प्रचालन की समीक्षा करने एवं साम्ययुक्त संवृद्धि सहित स्थिर एवं धारणीय राजकोषीय वातावरण संधारित करने के लिए उपाय सुझाने की आवश्यकता थी। तेरहवें वित्त आयोग ने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

राज्य के राजकोषीय निष्पादन की तुलना में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण जो 2011-12 के वर्ष के लिए निर्मित किए गए थे, नीचे तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका 1.2 : राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्य	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 में समाप्त हो जाने वाला	(+) 3,867	(+) 9,910
राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	(-) 7,982 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत)	(-) 5,760 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.83 प्रतिशत)
कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित)	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.10 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.70 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होना	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 9.47 प्रतिशत*	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 10.81 प्रतिशत* ।

*राज्य वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक तथा 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक


(स्रोत: 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य ने वर्ष 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपाजित कर लिया था तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को बनाये रखा। वास्तविक कर राजस्व (₹ 26,973 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 7,483 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (क्रमशः ₹ 19,175 करोड़ और ₹ 4,911 करोड़) एवं बजट अनुमान (क्रमशः ₹ 23,118 करोड़ और ₹ 5,999 करोड़) दोनों के निर्धारित स्तरों की तुलना में अधिक थे जबकि वर्ष 2011-12 में योजनेतर राजस्व व्यय (₹ 36,677 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग (₹ 30,776 करोड़) के मानकीय निर्धारित स्तर की तुलना में अधिक थे लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹ 38,205 करोड़) के प्रक्षेपणों से कम था [तालिकाएं 1.7 एवं 1.8]।
- राजकोषीय घाटा, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन लक्ष्यों में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की संशोधित सीमा के भीतर था तथा तेरहवें वित्त आयोग और मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा के भी भीतर था।
- 27.70 प्रतिशत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के भीतर था जबकि यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों से कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की केवल 10.81 प्रतिशत थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्वों एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों में निर्धारित सीमा के भीतर थीं लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम.टी.एफ.पी.एस.) के प्रक्षेपणों से थोड़ा अधिक थी।

1.4 बजट 2011-12

वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

चार्ट 1.1 कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिये बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: 2011-12 के राज्य वित्त लेखे और बजट अनुमान)

उपरोक्त चार्ट में यह देखा गया है कि:


- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया।
- ब्याज अदायगियां व राजस्व व्यय बजट अनुमानों की सीमा में थे जबकि पूंजीगत परिव्यय और करेतर राजस्व बजट अनुमानों से अधिक थे।
- कर राजस्व, बजट अनुमान की तुलना में अधिक मुख्य रूप से स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर करों और विद्युत कर तथा शुल्क के अधीन अधिक प्राप्तियों के कारण था। उक्त मदों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 1,284, ₹ 687 करोड़ तथा ₹ 403 करोड़ अधिक थी।

- पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से बिजली परियोजनाओं (₹ 236 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 180 करोड़) तथा मुख्य सिंचाई (₹ 92 करोड़) के अधीन अधिक व्यय के कारण बजट अनुमान से अधिक हुआ था जिसे सड़कें एवं पुल (₹ 160 करोड़) तथा मध्यम सिंचाई (₹ 62 करोड़) के अधीन कम व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन²


तालिका 1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

² राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से बाजार ऋण तथा उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित है।

चार्ट 1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 41, 10 एवं 49 प्रतिशत समाविष्ट है। 2007-12 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों में 109 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिसमें से राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में 104 प्रतिशत व 356 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- 2007-12 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 39 से 41 प्रतिशत के मध्य था। कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंश में 2007-08 में पांच प्रतिशत से 2011-12 में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 7,458 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 5.95 प्रतिशत) से 2011-12 में ₹ 6,750 करोड़ (4.36 प्रतिशत) तक की कमी आई जिसका कारण केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों में कमतर उधारियाँ थी।
- यद्यपि 2007-12 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अधीन प्राप्तियों में, 18.26 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि हुई, राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश अंतर-वर्ष विभिन्नताओं सहित 2007-08 में 54 प्रतिशत से 2011-12 के दौरान 49 प्रतिशत के मध्य था।

1.5.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

केन्द्र सरकार ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये, 2010-11 के दौरान ₹ 9,002.13 करोड़ के अंतरण के विरुद्ध 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों³ को ₹ 9,497.91 करोड़ अंतरित किए। 2011-12 के दौरान निधियों के अंतरणों में छः प्रतिशत तक की

³ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसे संगठन/संस्थायें/गैर शासकीय संस्थायें शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

वृद्धि हुई। मुख्य केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों के विषय में ब्यौरे तालिका 1.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.3: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां (राज्य बजट से बाहर से प्रदत्त निधियां)

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	(₹ करोड़ में) 2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,968.51
2.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,904.27
3.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,138.05
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केन्द्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	620.62
5.	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	426.68
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	140.09
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल	152.69
8.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	242.39
9.	उत्कृष्टता के चिन्ह के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	202.74
10.	केन्द्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	150.76
11.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	146.82
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	142.00
13.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	132.10
14.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	एस.एल.एन.ए., मध्य प्रदेश	106.53
15.	आजीविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	115.39
16.	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्य प्रदेश	109.64

(स्रोत : सी.पी.एस.एम. सेल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश तथा वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखे)


2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा अंतरित ₹ 9,498 करोड़ में से ₹ 71.47 करोड़, 667 स्वैच्छिक संगठनों/अशासकीय संगठनों को दिए गये। इनमें से 25 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों ने वर्ष के दौरान प्रत्येक में ₹ 25 लाख अथवा उससे अधिक की राशि प्राप्त की जिसका योग ₹ 46.15 करोड़ है (परिशिष्ट 1.7)।

चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती, अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को अभिग्रहण नहीं कर पाते तथा इस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती/पैरामीटरों को कम करके आंका जाता है। संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधियों के प्रभावी उपयोग में निगरानी व्यवस्था में पर्याप्त नियंत्रण पद्धति होना चाहिये, इसके अभाव में यह राजकोषीय एवं वित्तीय कार्यों में बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक पारदर्शिता के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।


1.6 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर, करेतर राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2011-12 के वित्त लेखों के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं।

2007-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं रचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गयी है और क्रमशः चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी चित्रित की गयी हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में ₹ 30,689 करोड़ से 2011-12 में ₹ 62,604 करोड़ तक 21 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर सुसंगत वृद्धि हुई। जबकि 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया था जिसमें कर राजस्व (43 प्रतिशत) एवं करेतर राजस्व (12 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 45 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।

- 2007-12 के दौरान 2010-11 को छोड़कर, राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व के सापेक्ष अंशदान में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जबकि केन्द्रीय कर अंतरणों तथा सहायता अनुदानों में 2007-10 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति एवं 2010-12 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई थी।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में, 2011-12 के दौरान ₹ 10,750 करोड़ की कुल वृद्धि में से ₹ 3,433 करोड़ (32 प्रतिशत) केन्द्रीय अंतरणों का योगदान तथा शेष ₹ 7,317 करोड़ (68 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	30,689	33,577	41,395	51,854	62,604
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.44	9.41	23.28	25.27	20.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े (₹ करोड़ में)	1,61,469	1,97,276	2,27,984	2,60,403	3,15,387
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.69	22.17	15.57	14.22	21.11
राजस्व प्राप्तियों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.00	17.02	18.16	19.91	19.85
उत्प्लावकता अनुपात ⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.66	0.42	1.50	1.78	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.26	0.60	1.73	1.69	1.23

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

आदर्शतः, राजस्व की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। तालिका के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में 19 प्रतिशत से 2010-12 में 19.91 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2011-12 में अंशतः 19.85 प्रतिशत तक की गिरावट आई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता तथा राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में गिरावट आई जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों में कम वृद्धि का होना था।

⁴ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

1.6.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण, योजनागत योजनाओं इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता के आधार पर निश्चित किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के कर एवं करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व को समाविष्ट करते हुए उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में मुख्य करों एवं शुल्कों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा संबंधित अखिल भारतीय औसत के साथ सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.5 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.5: संग्रहण लागत

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के लिये अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता (2010-11)
कर राजस्व							
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	11,830.00	12,516.73	111.36	0.89	0.75
2	वाहन कर	2011-12	1,285.00	1,357.12	40.40	2.98	3.71
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	4,050.00	4,316.49	973.88	22.56	3.05
4	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2011-12	2,000.00	3,284.41	63.71	1.94	1.60

(स्रोत: बजट अनुमान 2011-12, राज्य वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2011-12 के दौरान, सकल संग्रहण, वाहन कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों के संबंध में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।

कर राजस्व

- नीचे तालिका 1.6 2007-12 के दौरान, राज्य के कर राजस्व के संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाती है:

तालिका 1.6: कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,045	6,843	7,724	10,257	12,517
राज्य उत्पाद शुल्क	1,854	2,302	2,952	3,603	4,317
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,532	1,479	1,783	2,514	3,284
वाहन कर	703	773	919	1,198	1,357
भू-राजस्व	129	339	180	361	279
माल तथा यात्री कर	916	1,333	1,333	1,746	2,047
अन्य कर	839	545	2,382	1,740	3,172*
योग	12,018	13,614	17,273	21,419	26,973

* अन्य करों में विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 1,773 करोड़), कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 1,080 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 249 करोड़), वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 52 करोड़) एवं होटल प्राप्ति कर (₹ 18 करोड़) सम्मिलित है।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2011-12 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (46 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (12 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहन कर (पाँच प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 22 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क में 20 प्रतिशत, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में 31 प्रतिशत, वाहन कर में 13 प्रतिशत, माल तथा यात्री कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि थी एवं विद्युत कर तथा शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा भू-राजस्व में 23 प्रतिशत की कमी हुई।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 2,260 करोड़) का मुख्य कारण राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का होना था। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी लिकर तथा स्पिरिट, अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति के कारण हुई। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से स्टाम्प न्यायिका (₹ 64 करोड़) एवं स्टाम्प-न्यायिकेत्तर (₹ 715 करोड़) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। वाहन करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि, भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति ₹ 42 करोड़ एवं अन्य प्राप्तियों (₹ 103 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। भू-राजस्व के अंतर्गत कमी का मुख्य कारण भू-राजस्व/कर (₹ 72 करोड़) तथा भूमि पर पौरकर और उपकर (₹ 29 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी था। माल तथा यात्री करों के अंतर्गत ₹ 301 करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 297 करोड़) मुख्यतः विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर के अंतर्गत तथा भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्यप्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं।

- करेतर राजस्व में, 2010-11 में ₹ 5,720 करोड़ से 2011-12 में ₹ 7,483 करोड़ तक ₹ 1,763 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण, ब्याज प्राप्तियों (₹ 1,273 करोड़) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 357 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2011-12 के दौरान, करेतर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालों में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (27 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्यप्राणी (12 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (21 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ (22 प्रतिशत) थे।
- यह देखा गया था कि 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर मध्य प्रदेश के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी (परिशिष्ट 1.1)।

2011-12 के दौरान, राज्य के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ, तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना को नीचे तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: कर एवं करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपण	वास्तविक प्राप्तियाँ
कर राजस्व	19,715	23,118	26,973
करेतर राजस्व	4,911	5,999	7,483

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख एवं 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा में प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2010-15)

कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली तेरहवें वित्त आयोग (36.81 एवं 52.37 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपणों (16.68 एवं 24.74 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर थी। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के संदर्भ में करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति और बिजली विभागों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

प्रचालन और संधारण व्ययों की वसूली लागत

करेतर राजस्व के मुख्य संघटकों के विषय में किये गये प्रचालन और संधारण प्रभारों की लागत परिशिष्ट 1.6 में दी गई है। जैसा कि परिशिष्ट में देखा जा सकता है कि 2011-12 में प्रचालन एवं संधारण व्ययों (करेतर राजस्व-प्राप्तियों का प्रचालन एवं संधारण से अनुपात) की वसूली लागत, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए 190.56, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 6.58, जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास के लिए 0.25, कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये 98.71, परिवहन के लिये 0.01, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये 8.08 और बिजली के लिये 28.04 थे। इससे यह प्रकट हुआ कि इन क्षेत्रों में करेतर राजस्व की तुलना में जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों पर प्रचालन और संधारण व्यय अधिक था। राज्य

सरकार को, करेतर राजस्व प्राप्तियों में, वृद्धि करना चाहिये और इन दोनों क्षेत्रों में प्रचालन एवं संधारण व्ययों को कम करना चाहिये।


1.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रभावी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व तथा संसाधनों के अनुप्रयोग का निर्वहन उनके द्वारा किया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिये यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया, लोक व्यय जो उधारियों द्वारा वित्त पोषित है, की वृद्धि की प्रवृत्ति की अनदेखी के बिना, सामाजिक और विकास व्यय पर ध्यान केन्द्रित है। राजकोषीय संकेतकों (समयबद्ध आंकड़े) की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.4 में दी गई है।

1.7.1 व्यय की वृद्धि एवं रचना

कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है तथा जिससे राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत परिव्ययों द्वारा राज्य के अवस्थापना तथा दी जा रही (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) सेवाओं में वृद्धि होती है।

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों की अवधि (2007-12) के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसके संघटन का चित्रण 'आर्थिक वर्गीकरण' और 'कार्यकलापवार व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


2007-12 के दौरान, राज्य के कुल व्यय में 26 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 33,591 से ₹ 77,513 की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, पूंजीगत और

राजस्व व्यय संघटकों में क्रमशः ₹ 2,222 करोड़ (33 प्रतिशत) और ₹ 27,093 (106 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि पूंजीगत और राजस्व व्यय में वृद्धि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 1:12 के अनुपात में थी।


कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में 2007-08 में 76 प्रतिशत से 2011-12 में 68 प्रतिशत तक अंतर्वर्षीय उतार चढ़ाव सहित कमी हुई तथा राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रमुख भाग में अंशदान जारी रखा। कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में 2007-08 में 20 प्रतिशत से 2011-12 में 12 प्रतिशत तक तदनुसूची कमी आई। योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के संदर्भ में, विगत वर्ष की तुलना में योजनागत व्यय में ₹ 3,592 करोड़ की वृद्धि तथा योजनेत्तर व्यय में ₹ 16,390 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।

2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 19,984 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि (35 प्रतिशत) मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 7,682 करोड़ (17 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय में ₹ 255 करोड़ (तीन प्रतिशत) तथा कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरणों में अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ₹ 12,047 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। पूंजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा (₹ 616 करोड़), जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 102 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (₹ 77 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 53 करोड़) पर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसे परिवहन (₹ 301 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 99 करोड़), कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ 98 करोड़) और समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 51 करोड़) की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

2011-12 में, कुल व्यय (₹ 77,513 करोड़) के अनुपात में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 62,604 करोड़) 81 प्रतिशत पर स्थिर रहीं जिसका तात्पर्य था कि कुल व्यय का 81 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों से किया जा सकता था। 2007-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता का संकेत तथा उधार ली गई निधियों पर कम निर्भरता प्रकट हुई।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 68 से 78 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में कर्ज तथा अग्रिम के अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट हुई, 2010-11 को छोड़कर जब यह कम हुई थी।
- 2007-12 की अवधि के दौरान पूंजीगत परिव्यय में कमी की प्रवृत्ति देखी गई। यह देखा गया कि अवधि के दौरान कुल पूंजीगत परिव्यय का मुख्य भाग योजनागत पूंजीगत परिव्यय था। 2011-12 के दौरान, कुल पूंजीगत परिव्यय का

99.65 प्रतिशत योजनागत पूंजीगत परिव्यय (₹ 9,023 करोड़) था जिसमें 2010-11 में ₹ 8,657 करोड़ के स्तर से ₹ 366 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

- 2007-12 की अवधि में अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंश में 28.07 प्रतिशत से 21.16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 2007-08 में सामाजिक सेवाओं के अंश में 27.65 प्रतिशत से 2010-11 में 32.82 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और 2011-12 में 28.25 प्रतिशत की गिरावट आई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2007-08 में 36.19 प्रतिशत से 2011-12 में 26.13 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ सम्मिलित होती हैं, में 2010-11 में 62.67 प्रतिशत से 2011-12 में 54.38 प्रतिशत तक की कमी आई।
- 2007-10 के दौरान सहायता अनुदानों के अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के समग्र राजस्व व्यय में 2007-08 में ₹ 25,601 करोड़ से 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जो इस अवधि में 106 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय की कुल वृद्धि ₹ 7,682 करोड़ (17.07 प्रतिशत) में से योजनेत्तर राजस्व व्यय की राशि ₹ 4,576 करोड़ (60 प्रतिशत) थी, जबकि योजनागत राजस्व शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,106 करोड़ (40 प्रतिशत) व्यय किये गये थे।
- 2011-12 के दौरान योजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि, मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 896 करोड़), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 757 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 622 करोड़), स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (₹ 237 करोड़), पुलिस (₹ 291 करोड़), ब्याज की अदायगी (₹ 251 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 229 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 271 करोड़) के कारण हुई, जिसे बिजली (₹ 176 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय को तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका- 1.8: योजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2011-12	26,957	38,205	36,677

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्रक)

- 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का वास्तविक योजनेतर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर (36.06 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण (चार प्रतिशत) से कम था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण के विरुद्ध वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ब्याज अदायगियों को छोड़कर (₹ 6,459 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 8,467 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 5,761 करोड़) के अंतर्गत थी जिसे ब्याज अदायगियों (₹ 534 करोड़) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- योजनागत राजस्व व्यय जिसमें 2007-12 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2011-12 के दौरान ₹ 3,106 करोड़ (24.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2011-12 में योजनागत राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा (₹ 476 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 598 करोड़), जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 191 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 788 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 107 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (₹ 181 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 164 करोड़) और ऊर्जा (₹ 594 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

1.7.2 वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायता पर व्यय

राज्य सरकार के राजस्व मद में व्यय में मुख्य रूप से ब्याज अदायगियां, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं राजसहायताएं सम्मिलित हैं। 2007-12 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.9 और चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका - 1.9: वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायता पर व्यय के घटक
(₹ करोड़ में)


व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिसके	6,984 (22.76)	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	17,839 (30.87)	14,113 (22.54)
योजनेतर शीर्ष	6,221	7,660	9,406	11,490	—	12,274
योजनागत शीर्ष**	763	887	1,272	1,610	—	1,839
ब्याज अदायगियां	4,191 (13.66)	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,342 (9.24)	5,300 (8.47)
पेन्शन पर व्यय	1,964 (6)	2,433 (7)	3,077 (7)	3,767 (7.26)	5,158 (8.93)	4,389 (7.01)
राजसहायताएं	141 ^(क) (0.46)	132 ^(क) (0.39)	2,033 ^(क) (4.91)	1,810 ^(क) (3.49)	18,328 (31.71)	2,926 ^(क) (4.67)
योग	13,280 (43)	15,304 (46)	20,242 (49)	23,726 (46)	46,667 (81)	26,728 (43)

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

** योजनागत शीर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

(क) उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2007-12 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 101 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान यह व्यय योजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता के रूप में 2007-10 तक वृद्धि की प्रवृत्ति तथा 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2011-12 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 43 प्रतिशत था तथा विगत वर्ष एवं बजट प्रक्षेपणों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

- 2007-08 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में ₹ 6,984 करोड़ से 2011-12 में ₹ 14,113 करोड़ तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि थी। 2011-12 में वेतन एवं मजदूरी का वास्तविक व्यय ₹ 14,113 करोड़ बजट अनुमान में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 17,839 करोड़) से कम था।

पेंशन भुगतान

- 2010-11 के दौरान पेंशन भुगतानों में ₹ 3,767 करोड़ से 2011-12 के दौरान ₹ 4,389 करोड़ तक 17 प्रतिशत तक की वृद्धि मुख्य रूप से अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 443 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 171 करोड़) और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान (₹ 39 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

- 2011-12 में ₹ 4,389 करोड़ (14.91 प्रतिशत) का वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,158 करोड़ (36.05 प्रतिशत) के बजट अनुमानों से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रक्षेपित ₹ 3,226 करोड़ से अधिक था।

ब्याज अदायगियां

- 2011-12 के दौरान ₹ 5,300 करोड़ के ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों के 8.47 प्रतिशत लेखांकित किए गए और जो 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय के 10.06 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियां केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,475 करोड़), बाजार ऋण (₹ 1,660 करोड़), केन्द्र सरकार से उधार लिये गये ऋण (₹ 667 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 1,050 करोड़) और अन्य आंतरिक ऋणों (₹ 426 करोड़) पर था।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 251 करोड़ की वृद्धि राज्य भविष्य निधि (₹ 458 करोड़), अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 94 करोड़) और केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 48 करोड़) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी, जिसे बाजार ऋण पर ब्याज (144 करोड़), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 183 करोड़) और केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज (₹ 22 करोड़) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,300 करोड़ के ब्याज अदायगियां, ₹ 5,342 करोड़ के बजट अनुमान और 2011-12 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 5,834 करोड़) दोनों की तुलना में कम थे।

राजसहायताएं

- राजसहायता के भुगतान ₹ 2,926 करोड़ (योजनेत्तर: ₹ 1,543 करोड़ और योजनागत: ₹ 1,383 करोड़) को राजस्व प्राप्तियों का 4.67 प्रतिशत लेखांकन किया गया और 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का 5.55 प्रतिशत था। योजनेत्तर और योजनागत राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे परिशिष्ट 1.9 में प्रस्तुत किए गए हैं।
- 2011-12 के दौरान कुल राजसहायताएं ₹ 2,926 करोड़ में से ₹ 1,551 करोड़ (53 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा विभाग के लिये थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजसहायता की राशि (₹ 1,116 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः सहकारिता (₹ 238 करोड़), किसान कल्याण तथा कृषि विकास (₹ 220 करोड़) और स्कूल शिक्षा (₹ 173 करोड़) को राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों और ऋणों के द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा तालिका 1.10 में प्रस्तुत की गई है:

तालिका-1.10: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थाएँ	1,481.13	2,107.33
चिकित्सा स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य	623.35	753.28
आवास	156.36	201.04
शहरी विकास	579.60	778.14
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.68	353.58
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	644.37	671.01
ग्रामीण विकास	768.21	711.40
ग्रामीण रोजगार	227.99	336.50
पंचायती राज	3,966.17	4,446.96
जलपूर्ति तथा सफाई	160.08	111.04
अन्य संस्थाएँ	232.12	360.02
योग	9,117.06	10,830.30
राजस्व व्यय से प्रतिशतता अनुसार सहायता	20.25	20.55

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.ऑफ़िस)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के वित्तीय सहायता में 2010-11 में ₹ 9,117.06 करोड़ से 2011-12 में ₹ 10,830.30 करोड़ तक ₹ 1,713.24 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं (₹ 626.20 करोड़; 42 प्रतिशत) और पंचायती राज संस्थाओं (₹ 480.79 करोड़; 12 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।
- राजस्व व्यय से प्रतिशतता के रूप में सहायता 2010-11 में 20.25 प्रतिशत से 2011-12 में 20.55 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.7.3.1 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थायें एवं निधियों का हस्तांतरण

(क) नगरीय स्थानीय निकाय

चौहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिका निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिका परिषदों तथा संक्रमण कालीन क्षेत्रों के लिये नगर परिषदों में पुर्नगठित किया।

राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय (14 नगर पालिका निगम, 100 नगर पालिका परिषद् और 263 नगर परिषद्) हैं, जो निर्वाचित निकायों द्वारा संचालित किये जाते हैं।

निधियों, कार्यों तथा पदाधिकारियों के स्थानांतरण

नगरीय स्थानीय निकायों की स्वशासी संस्थानों के रूप में कल्पना करने पर चौहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम में हस्तांतरण की सीमा को राज्य विधान सभाओं के संज्ञान में छोड़ दिया। कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ, नगरीय निकायों को हस्तांतरण के प्रमुख तत्व निधि कार्य तथा पदाधिकारियों के स्थानांतरण हैं। अंतरित कार्यों के क्रियान्वयन के

लिए नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण एक प्राकृतिक उपनिगमन होना चाहिये। नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों व कार्यों के हस्तांतरण के कुशल निर्वहन के लिये सभी स्तरों पर योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता आवश्यक है।

राज्य सरकार ने सभी 18 कार्यों⁵ (संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित) को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये। यद्यपि, कोई निधि तथा पदाधिकारियों को अलग से हस्तांतरित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदानों के हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग में अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार किया गया) की कि, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁶ का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। निधियाँ जो हस्तांतरित की जानी हैं और जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई, तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों के हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विगत वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व	विगत वर्ष के सौंपे गये कर राजस्व	राज्य सरकार के विभाजनीय कोष	तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधियाँ जो हस्तांतरित की जानी हैं	निधियाँ जो राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई	कम विमोचन
2010-11	17,272.81	1,266.00	13,960.22	139.60	122.74	16.86
2011-12	21,419.34	1,520.80	17,410.17	174.10	141.41	32.69
योग	38,692.15	2,786.80	31,370.39	313.70	264.15	49.55

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2009-10 एवं 2010-11 एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधियाँ, तृतीय राज्य वित्त आयोग के मानदण्डों की तुलना में कम (₹ 49.55 करोड़) थी।

स्वयं के संसाधनों से उत्पादित राजस्व

अक्टूबर 2011 तथा पुनः जून 2012 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों और व्यय का विवरण मांगा गया। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कहा (जून 2012) कि उक्त चाही जानकारी को एकत्रित कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी। नवम्बर 2012 में पुनः जानकारी माँगी गई लेकिन उनके उत्तर अपेक्षित हैं (नवम्बर 2012)।

⁵ नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी हैं; भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण; आर्थिक और सामाजिक विकास योजना; सड़कें और पुल; घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय; लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध; अग्निशमन सेवाएँ; नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि; समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा; गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन; नगरीय निर्धनता उन्मूलन; नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था; सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि; शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह; कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण; जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी हैं; सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं; क्लबहाउसों और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन;

⁶ स्वयं के कर राजस्व में से कर वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि एवं स्थानीय निकायों को विगत वर्ष में सौंपे गये कर राजस्व घटाने के बाद।

लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो।

2011-12 के दौरान प्रधान महालेखाकार⁷ द्वारा 10 नगर पालिका निगम सहित 68 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी और निरीक्षण प्रतिवेदन को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। 2011-12 के अन्त तक 5479 अभ्युक्तियाँ (2011-12 के दौरान जारी 285 अभ्युक्तियों को मिलाकर) शेष थे।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों के लिए एक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये और राज्य के सभी स्थानीय निकायों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाये। पुनः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तदनुसार, राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जिसमें राज्य स्तर पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे नगर पालिका निगम और नगर पालिका परिषद् के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखेंगे, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है (नवम्बर 2012)।

(ख) पंचायती राज संस्थायें

आधार स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिये तथा विकास कार्यक्रमों की पहचान एवं कार्यान्वयन में आम जनता के साथ-साथ ग्राम सभाओं को भी सम्मिलित करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रख्यापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 छ के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

⁷ अप्रैल 2012 से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के रूप में नामित।

परिणामतः, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की एक त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई।

- जिला हेतु जिला पंचायत,
- खंड हेतु जनपद पंचायत एवं
- ग्राम हेतु ग्राम पंचायत

राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें तथा 23006 ग्राम पंचायतें हैं।

अनुदान हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁸ का चार प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जानी चाहिए। निधियां जो हस्तांतरित की जानी हैं और जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई, तालिका 1.12 में दी गई है :

तालिका 1.12: पंचायती राज संस्थानों को अनुदानों के हस्तांतरण

वर्ष	विगत वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व	विगत वर्ष के सौंपे गये कर राजस्व	राज्य सरकार के विभाजनीय कोष	तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधियां जो हस्तांतरित की जानी हैं	निधियां जो राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई	कम विमोचन
2010-11	17,272.81	319.31	13,960.22	558.41	490.94	67.47
2011-12	21,419.34	346.44	17,410.17	696.41	568.60	127.81
योग	38,692.15	665.75	31,370.39	1,254.82	1,059.54	195.28

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2009-10 एवं 2010-11 एवं आयुक्त पंचायती राज संस्थान मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित निधियां, तृतीय राज्य वित्त आयोग के मानदण्डों की तुलना में कम (₹ 195.28 करोड़) थी।

लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। तदनुसार 2011-12 के दौरान 47 जिला पंचायतों, 185 जनपद पंचायतों और 917 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी और निरीक्षण प्रतिवेदनों को संचालक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को भेजा गया। यद्यपि 2011-12 के अन्त में 18414 अभ्युक्तियाँ (2011-12 के दौरान जारी 4851 अभ्युक्तियों सहित) शेष थी।

⁸ स्वयं के कर राजस्व में से कर वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि एवं स्थानीय निकायों को विगत वर्ष में सौंपे गये कर राजस्व घटाने के बाद।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों पंचायत राज संस्थानों के सभी स्तर (टियर) के लिये एक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये। राज्य के प्रत्येक स्तर (टियर) के स्थानीय निकाय हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यक रूप से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण दिया जाना चाहिये एवं उनके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिये। तदनुसार, जुलाई 2011 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे पंचायत के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखा जायेगा, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है (नवम्बर 2012)।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया(नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1.8.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। किसी विशेष राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर निम्न स्तर खर्च का कारण राज्य सरकार से जुड़ी अल्प राजकोषीय प्राथमिकता हो सकती है। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है, यदि वह संबंधित सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.13 में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत परिव्यय के संबंध में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका-1.13 : 2008-09 एवं 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2008-09	19.31	68.26	30.65	17.62	13.51	3.61
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	24.58	74.71	28.43	11.68	12.88	3.32

* तीन सामान्य संवर्ग के राज्यों यानी दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त
 # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत परिव्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।
 स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2008-09 और 2011-12 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में उच्चतर व्यय किया।
- मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ है।
- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। तथापि मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्रों को अपर्याप्त प्राथमिकता दी गई है क्योंकि, इन दोनों क्षेत्रों पर कमतर समानुपात के रूप में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया है कि 2008-09 में पूंजीगत परिव्यय, कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से अधिक था। यद्यपि 2011-12 में यह सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से कम था जो कि पूंजीगत निर्माण में अपर्याप्त प्राथमिकता दर्शाती है।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक

स्वीकार्य आचरण तथा उपयोगी पदार्थों⁹ के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹⁰ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में ह्रास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.14 में बजटीय और विगत वर्षों के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.14 : विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	22,339 (66)	25,999 (68)	32,910 (69)	39,741 (69)	44,126 (67)	57,908 (74)
क- विकास राजस्व व्यय	14,683 (44)	17,577 (46)	21,333 (45)	27,430 (48)	32,485 (49)	33,262 (43)
ख- विकास पूंजीगत परिव्यय	6,759 (20)	6,588 (17)	7,805 (16)	8,621 (15)	8,542 (13)	8,888 (11)
ग- विकास कर्ज तथा अग्रिम	897 (3)	1,834 (5)	3,772 (8)	3,690 (6)	3,099 (5)	15,758 (20)

कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल व्यय से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास व्यय कुल व्यय के समानुपात के रूप में 66 से 74 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश, अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों सहित, 43 से 48 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास पूंजीगत परिव्यय के अंश, में 2007-08 में 20 प्रतिशत तथा 2011-12 में 11 प्रतिशत के साथ कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी।


⁹ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹⁰ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास कर्ज तथा अग्रिम के अंश में (वर्ष 2010-11 को छोड़कर) 2007-08 में तीन प्रतिशत तथा 2011-12 में 20 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट हुई।
- 2011-12 के दौरान कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास राजस्व और पूंजीगत परिव्यय, विगत वर्ष की तुलना में व बजट अनुमानों दोनों से कम थे।
- 2011-12 के दौरान कुल व्यय के समानुपात के रूप में कर्ज तथा अग्रिम का अंश, बजट अनुमानों से अधिक था तथा विगत वर्ष की तुलना से भी अधिक था।

चार्ट 1.10 में 2007-12 की अवधि के दौरान संघटकवार विकास व्यय, प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.15 में चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किये गये राजस्व व्यय के संघटकों और पूंजीगत परिव्यय के विवरण दिये गये हैं।

तालिका 1.15: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2010-11			2011-12		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.17	55.97	0.06	1.72	53.39	0.08
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.33	66.67	1.71	5.50	65.09	0.19
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	26.47	22.43	9.38	27.71	11.97	9.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	8.51	10.05	0.06	7.98	10.02	0.06
योग (सामाजिक सेवाएं)	8.03	39.78	1.11	7.26	37.75	0.92
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.31	39.97	0.23	2.31	34.21	0.19
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	84.89	87.11	5.48	83.53	67.61	5.76
विजली तथा ऊर्जा	7.40	—	0.66	5.64	0.01	0.79
परिवहन	76.29	45.41	45.13	65.96	7.43	59.11
अन्य आर्थिक सेवाएं	23.69	11.94	0.28	19.60	9.88	1.41
योग (आर्थिक सेवाएं)	34.29	27.73	3.44	20.32	20.48	5.03
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	21.69	35.35	1.97	15.35	31.02	2.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका 1.15 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के अंश में 2010-11 में 8.03 प्रतिशत से 2011-12 में 7.26 प्रतिशत तक की कमी आई एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत इसमें 2010-11 में 34.29 प्रतिशत से 2011-12 में 20.32 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी, मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के अन्तर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से परिवहन और कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2010-11 में 35.35 प्रतिशत से 2011-12 में 31.02 प्रतिशत तक कमी आई। कार्यचालन तथा रख-रखाव के मामले में, व्यय में 2010-11 में 1.97 प्रतिशत से 2011-12 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो कि, मुख्य रूप से परिवहन के अन्तर्गत थी।
- यह देखा गया कि 2002-03 से 2011-12 के दौरान, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय, की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर, अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित होता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है (परिशिष्ट 1.1)।

1.9 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (तथा उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाये रखे अपितु अपने पूंजीगत परिव्यय/निवेश (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन स्वरूप, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना चाहिए और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने चाहिए और वित्तीय कार्यचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये अपेक्षित उपाय करने चाहिये। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत परिव्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 अपूर्ण परियोजनाएं

राज्य सरकार के वर्ष 2008-12 के वित्तीय लेखों में हमने देखा है कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। यद्यपि हमारे द्वारा जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर, कुछ अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, जिनकी लागत 31 मार्च 2012 को ₹ एक करोड़ से अधिक थी, तालिका 1.16 में दी गयी है।

तालिका 1.16: 31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं¹¹ की स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक लागत	बजटीय	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत में वृद्धि	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)	
						लागत	व्यय
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश	21	220.87 (21 परियोजनाएं)	770.18 (16 परियोजनाएं)	598.25 (15 परियोजनाएं)	614.88 (21 परियोजनाएं)		
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	7	4,995.88	13,787.67	8,791.79	8,513.80		
योग	28	5,216.75	14,557.85	9,390.04	9,128.68		

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) म0प्र0, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका 1.16 से प्रकट होता है कि इन 28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। पुनः 28 अपूर्ण परियोजनाओं में से 23¹² परियोजनाओं (16 जल संसाधन विभाग तथा सात नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) की प्रारंभिक बजटीय लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई (परिशिष्ट 1.10 भाग क से ग)।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि, जल संसाधन विभाग के पाँच परियोजनाओं¹³ के अपूर्ण होने का कारण मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का विलंब से प्रस्तुत किया जाना, शेष कार्य के अधिनिर्णय में विलंब, रेखाचित्र एवं रूपरेखा

¹¹ अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किये गये हैं।

¹² कुंडी टैंक परियोजना में, चूंकि सरकार द्वारा प्रारंभिक बजट संशोधित कर दिया गया था अतः लागत सीमा से अधिक नहीं थी।

¹³ बिरई टैंक, कुशलपुरा टैंक, संजय सागर आर.डी. (XI), सगढ़ आर.डी. (XVII), रेहती, गंज बसोदा

के अनुमोदन में विलंब, नहर कार्य के अधिनिर्णय में विलंब, आदि था। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सात परियोजनाओं में विलंब मुख्य रूप से ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति के कारण था। सिंचाई क्षमता निर्माण में देरी से किसानों को सिंचाई के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

प्रकरण को सरकार (नवम्बर 2012) को प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2012)।

1.9.2 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2012 तक सांविधिक निगमों (24), सरकारी कम्पनियों (34), अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों और साझेदारीयाँ (23), बैंक (एक) एवं सहकारी बैंकों, समितियाँ (127) इत्यादि में ₹ 13,183.59 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.17)। 2009-12 की अवधि के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.33 प्रतिशत था जबकि सरकार ने इसी अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.91 प्रतिशत) पर भुगतान किया।

तालिका 1.17: निवेशों पर प्रतिलाभ

	(₹ करोड़ में)				
निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	8,844.99	9,643.35	11,686.28	12,216.04	13,183.59
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	59.23	69.05	49.75	32.20	37.98
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.67	0.72	0.43	0.26	0.29
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज का दर (प्रतिशत)	7.72	7.24	6.94	7.04	6.74
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	7.05	6.52	6.51	6.78	6.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 13,183.59 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका बँटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था {सांविधिक निगम (₹ 411 करोड़), सरकारी कम्पनियाँ (₹ 180.49 करोड़), सहकारी बैंक और समितियाँ (₹ 483.01 करोड़) और संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ एवं साझेदारीयाँ (₹ 1.54 करोड़)}।
- इन निवेशों पर 2011-12 में प्रतिलाभ 0.29 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने 2011-12 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को 2011-12 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 11,495.42 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 15,931.72 करोड़ तक हो गया था (परिशिष्ट 1.8)।

1.9.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका 1.18, 31 मार्च 2012 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18 : सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	7,630	11,424	—	15,105
वर्ष के दौरान दी गई राशि	3,817	3,715	3,200	15,760
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	23	34	74	9,123
अन्त शेष	11,424	15,105	—	21,742
उनके बकाया शेष जिनकी निबन्धन एवं शर्तें सुलझा ली गई है	—	—	—	—
निवल संयोजन	3,794	3,681	3,126	6,637
ब्याज प्राप्तियाँ	1,102	21	167	1,200
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियाँ	11.57	0.16	---	6.51
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियाँ	6.94	7.04	---	6.74
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	-4.63	6.88	---	0.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा 2011-12 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2012 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 21,742 करोड़ था। इन कर्जों से प्राप्त ब्याज ₹ 1,200 करोड़ था। कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली की तुलना में विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया कर्जों तथा अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया है कि 31 मार्च 2012 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 17,360 करोड़) का 80 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा 10 प्रतिशत जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 2,157 करोड़), पाँच प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं (₹ 1,034 करोड़) के अंतर्गत और तीन प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 719 करोड़) से वसूल किया जाना था।
- कर्ज तथा अग्रिमों पर सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान 6.51 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में 6.74 प्रतिशत की दर से उधारियों पर औसत ब्याज पर किया गया भुगतान अधिक था।
- कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत पारेषण एवं वितरण कम्पनियों को दिए गए कर्ज में थी।
- वर्ष के दौरान ₹ 9,123 करोड़ के कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली, बजट अनुमानों के ₹ 74 करोड़ से महत्वपूर्ण रूप से अधिक थी जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से अधिक वसूली किये जाने के कारण थी। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹ 9,089

करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं को दिए गए कर्ज के कारण थी।

- 2011-12 में प्राप्त ब्याज (₹ 1,200 करोड़), 2010-11 के बजट अनुमानों (₹ 167 करोड़) एवं वास्तविक आंकड़ों (₹ 21 करोड़) की तुलना में अधिक था जो कि, मुख्य रूप से विद्युत परियोजना से अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण था।

1.9.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.19 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है:


तालिका 1.19 : रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	6,900.44	7,775.88	(+)875.44
रोकड़ शेषों से निवेश (क से घ)	9,212.17	6,680.13	(-)2,532.04
क. भारत सरकार के खजाना बिल	9,208.64	6,676.60	(-)2,532.04
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	3.53	3.53	--
ग. अन्य प्रतिभूतियां	--	--	--
घ. अन्य निवेश	--	--	--
उद्दिष्ट शेषों से निवेशों का निधि के अनुसार विवरण (क से च)	379.06	397.30	(+)18.24
क. अकाल राहत निधि	0.91	0.51	(-)0.40
ख. राजस्व आरक्षित निधि	8.74	8.74	--
ग. राज्य कृषि संबंधी साख राहत और गारंटी निधि	0.17	0.17	--
घ. गारंटी मोचन निधि	369.23	387.87	(+)18.64
च. अन्य निधि	0.01	0.01	--
वसूल किया गया ब्याज	263.41	355.30	(+)91.89

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष में ₹ 6,900 करोड़ के स्तर से, वर्ष 2011-12 के अंत में ₹ 875 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- यह देखा गया है कि, वर्ष के दौरान ₹ 6,677 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किये गये जिससे ₹ 355 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखना सलाह देने योग्य नहीं है क्योंकि इनको उच्च मूल्य पर उधार लिया जाता है और कम ब्याज वाले खजाना बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
- 2011-12 के दौरान, उद्दिष्ट शेषों से निवेश में ₹ 19 करोड़ तक की वृद्धि, मुख्य रूप से गारंटी मोचन निधि के अंतर्गत थी।

चार्ट 1.11, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान मासिक औसत दैनिक रोकड़ शेषों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।

1.10 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना


विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2011 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम एवं रोकड़ शेष समाविष्ट है।


राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में " कुल देयताओं " का वर्णन राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे के अधीन देयताओं के रूप में किया गया है तथा इसमें राज्य सरकार के जोखिम भारित गारंटी दायित्व सम्मिलित हैं जिनके मूलधन और/अथवा ब्याज की पूर्ति राज्य बजट से की जाती है।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.4 में दी गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को चार्ट 1.12 एवं 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2007-08 में राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताओं में ₹ 55,311 करोड़ से 2011-12 में ₹ 81,757 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 2010-11 में वृद्धि दर में 11.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 में 8.28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उधारियों में वृद्धि, मुख्य रूप से बाजार कर्ज (₹ 100 करोड़) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (₹ 880 करोड़) से कर्ज के अंतर्गत हुई, जिसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 1,597 करोड़) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं और लोक लेखा देयताएं समाविष्ट है। 31 मार्च 2012 को समेकित निधि देयताओं (₹ 61,370 करोड़) में बाजार कर्ज (₹ 28,044 करोड़), राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 16,081 करोड़) प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्रों का निर्गमन (₹ 1,773 करोड़), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज (₹ 3,516 करोड़), भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम (₹ 11,359 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 597 करोड़) सम्मिलित हैं। लोक लेखा देयताओं (₹ 20,387 करोड़) में अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि (₹ 9,916 करोड़), ब्याज प्रभार वाले दायित्व (₹ 295 करोड़) एवं ब्याज प्रभार रहित दायित्व और अन्य उद्दिष्ट निधियां (₹ 10,176 करोड़) सम्मिलित हैं।
- ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 25.92 प्रतिशत थी जो 2011-12 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.3 गुना और राज्य के अपने संसाधनों की 2.37 गुनी थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2010-11 में 0.79 से वर्ष के दौरान 0.39 तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से इन देयताओं की वृद्धि दर में कमी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि के कारण थी।
- चूंकि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य है, अतः बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादि के कारण देयताओं सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप-निधि बनाया जाना उचित होगा। सरकार का दृष्टिकोण था कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त कर्जों के परिशोधन हेतु प्रावधान जहाँ ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्त पोषण करने के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हो, केवल राजस्व से करनी चाहिए।

1.10.3 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियाँ राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधारगृहिता के द्वारा जिसके लिये गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती है।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और 2011-12 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटियों की राशि तालिका 1.20 में दी गई है।

तालिका 1.20 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	11,823.20	8,438.50	9,480.18	11,107.51
गारंटियों की बकाया राशि	1,629.60	5,110.54	4,975.52	5,605.03
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	28.56	16.27	16.40	17.74
निम्नांकित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार मानदण्ड के विरुद्ध वास्तविक आंकड़े (वार्षिक संवृद्धि गारंटियों की मात्रा सीमित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हों)	4.85*	12.35*	अनुपलब्ध	10.81*

* उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखों में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखों और विधानसभा में प्रस्तुत विवरण पत्र तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन अनुमान)

- गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं की प्रकृति के हैं, जो कि 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की 8.95 प्रतिशत थी। राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों के निर्वहन के लिए गारंटियां दी गई थी।
- 2010-11 में सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि में ₹ 8,439 करोड़ से 2011-12 में ₹ 11,108 करोड़, (मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी भी आवंटन हेतु लंबित ₹ 1,464 करोड़ सहित) की वृद्धि हुई जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 5,605 करोड़ बकाया थे। वर्ष 2011-12 के दौरान कोई भी गारंटी नहीं दी गयी तथा गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 0.44 करोड़ वसूल किए गये थे।
- वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2011-12 के अन्त तक ₹ 387.87 करोड़ का अन्त शेष था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिये राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो सके। वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के अंतर्गत थी।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के खंड 9(2)(ग) के अनुसार सरकार को 10 वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 को उस वर्ष के लिए कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। यह देखा गया कि 27.70 प्रतिशत का यह अनुपात (गारंटियों की देयताओं सहित) वर्ष 2015 के लिए अधिनियम में निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि 2014-15 तक राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में, कुल ऋण अनुपात 25

प्रतिशत तक घटाना चाहिए। सरकार को ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात क्रमशः 27.70 प्रतिशत और 139.55 प्रतिशत था जो क्रमशः 32.10 प्रतिशत एवं 147.80 प्रतिशत के तदनरूपी बजट अनुमान की अपेक्षा भी कम था।

1.11 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता¹⁴ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण¹⁵; ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁶; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁷; ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.21 में 2007-08 से प्रारम्भ, होने वाले पाँच वर्षों के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	2,740	3,764	2,117	8,333	10,390
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	(-)29	(-)1,649	(-)1,766	927	(-)488
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठकों में प्रतिशत)	(-)2,160 (-20)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08

¹⁴ ऋण धारणीयता किसी समयवधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹⁵ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण की संभावना होती है बशर्त प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁶ वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

¹⁷ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

1.11.1 ऋण स्थिरीकरण

ऋण धारणीयता के संदर्भ में मुख्य शर्त है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर अस्थिर है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर अब स्थिर है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2007-12 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण स्थिर हो रहे थे।

1.11.2 ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता

ऋण धारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्राथमिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति से होती है तो ऋण धारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल माध्यम से लम्बी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

2007-08 के दौरान, प्राथमिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति पर्याप्त थी, जिसमें वर्ष के दौरान तीव्रता से वृद्धि हुई थी परन्तु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्ति ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण धारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2008-10 और 2011-12 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति, प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ।

1.11.3 निधियों की निवल उपलब्धता

- ऋण परिशोधन अनुपात में 2007-12 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4) है। 2007-08 से 2009-10 के दौरान इसमें 1.20 से 0.84 तक की कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई और 2010-11 में 0.87 तथा 2011-12 में 0.95 की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण परिशोधन, नवीन ऋण प्राप्ति का 106 प्रतिशत था, केन्द्र सरकार से ऋणों का परिशोधन 126 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में, पुनर्भुगतान नवीन प्राप्ति का 88 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्ति को मुख्यतः ऋण पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया था।

- वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 5,718 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 8.92 प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 4,000 करोड़ के बाजार ऋण लिये। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1,250 करोड़ और राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों से ₹ 441 करोड़ का ऋण लिया। सरकार ने केन्द्र सरकार से ₹ 1,032 करोड़ उधार लिये। केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों की प्राप्ति में 2010-11 में ₹ 1,095 करोड़ से 2011-12 में ₹ 1,032 करोड़ तक की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीमों' के लिए कर्ज के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों की प्राप्ति में कमी थी।
- आंतरिक ऋणों (₹ 6,087 करोड़), केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 1,297 करोड़) के पुनर्भुगतान में, ₹ 4,234 करोड़ (57 प्रतिशत) के ब्याज के भुगतान सम्मिलित थे जिससे मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए केवल ₹ 3,150 करोड़ (43 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इससे यह इंगित होता है कि पुनर्भुगतान का एक बड़ा भाग ब्याज के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2012 को सरकार के 18 प्रतिशत विद्यमान बाजार ऋण, 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वाले थे।

1.11.4 राज्य कर्ज की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.22 : 2010-11 एवं 2011-12 वर्षों के लिये राज्य कर्ज की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्त वर्ष 2010-11				वित्त वर्ष 2011-12			
	6003-आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003-आन्तरिक कर्ज की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,442.43	530.65	1,973.08	3.42	1,851.66	536.77	2,388.43	3.89
1-3	4,005.97	1,099.20	5,105.17	8.84	5,013.71	1,108.28	6,121.99	9.98
3-5	5,338.83	1,144.06	6,482.89	11.22	4,901.40	1,146.62	6,048.02	9.85
5-7	5,794.05	1,162.60	6,956.65	12.04	8,159.39	1,164.56	9,323.95	15.19
7-9	11,436.29	1,157.49	12,593.78	21.80	11,510.14	1,164.40	12,674.54	20.65
9-11	5,645.04	1,154.22	6,799.26	11.77	5,789.14	1,164.18	6,953.32	11.33
11-13	1,745.05	1,151.08	2,896.13	5.01	1,789.14	848.46	2,637.60	4.30
13-15	1,708.59	375.31	2,083.90	3.61	1,675.56	231.08	1,906.64	3.11
15 वर्ष और इससे अधिक	4,009.71	261.96	4,271.67	7.39	3434.85	211.06	3,645.91	5.94
विविध।	5,687.68	2,919.25	8,606.93	14.90	5,886.02	3,783.50	9,669.52	15.76
योग	46,813.64	10,955.82	57,769.46		50,011.01	11,358.91	61,369.92	

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।


ऊपर दर्शाए गए अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 20 प्रतिशत पुनर्भुगतान एक से पाँच वर्षों के दौरान, 47 प्रतिशत पाँच से 11 वर्षों के मध्य तथा 13 प्रतिशत 11 वर्षों और अधिक के पश्चात करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 16 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

1.12 राजकोषीय असन्तुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन की तुलना में वित्त वर्ष 2011-12 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.14 एवं 1.15 2007-12 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा की राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था कि मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात, राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2007-08 में ₹ 5,088 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक लगातार वृद्धि हुई 2008-09 को छोड़कर जब इसमें ₹ 4,063 करोड़ तक की कमी आई थी। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान के 1.45 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, उसमें 2007-08 में ₹ 2,784 करोड़ से 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ तक की वृद्धि हुई और 2011-12 में ₹ 5,760 करोड़ तक की कमी आई। राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से 2011-12 में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई जो बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत में निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के भी भीतर थी।
- 2007-08 में ₹ 1,407 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष, 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान, प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गये।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राज्य सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है जो कि, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत परिव्यय कर्ज तथा अग्रिम सहित, का राजस्व प्राप्तियों एवं ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे

के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत परिव्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों पर आधिक्यों को पूरा करने हेतु किस सीमा तक कर्ज लिया गया था।

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिरूप में मिश्रित बदलाव आया है जैसा कि तालिका 1.23 में प्रतिबिम्बित हुआ है।

तालिका 1.23 : राजकोषीय घाटे के संघटक और उसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटे		-2,784	-4,433	-6,199	-5,272	-5,760
1	राजस्व आधिक्य	5,088	4,063	5,498	6,842	9,910
2	निवल पूंजीगत परिव्यय	-6,822	-6,689	-7,903	-8,433	-9,032
3	निवल कर्ज तथा अग्रिम	-1,050	-1,807	-3,794	-3,681	-6,638
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्धति						
1	बाजार कर्ज	1,337	3,957	5,016	3,258	3,166
2	केन्द्र सरकार से ऋण	102	709	888	577	403
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	128	-126	492	1,582	-167
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	128	51	-188	-488	198
5	आरक्षित निधियाँ	-34	12	324	275	1,191
6	अल्प बचते, भविष्य निधि आदि	193	204	412	773	698
7	जमा तथा अग्रिम	274	237	705	1,678	783
8	उचन्त तथा विविध	-18	-43	10	86	-28
9	प्रेषण	57	62	31	519	391
10	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	-617	+630	+1,491	+2,988	+875

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बाजार कर्जों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परन्तु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2010-11 में 62 प्रतिशत से 2011-12 में 55 प्रतिशत तक की कमी आई। 2010-11 की तुलना में 2011-12 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, जमा एवं अग्रिमों, अल्प बचतों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में निम्नतर था। आरक्षित निधि के अंश में 2010-11 में ₹ 275 करोड़ (पाँच प्रतिशत) से 2011-12 में ₹ 1,191 करोड़ (21 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

1.12.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत परिव्यय (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) में विघटन, राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह इंगित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गयी निधियाँ वर्तमान उपयोग हेतु प्रयुक्त की गयी थी। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर संकुचित हो रहा था और उधारियों (राजकोषीय देयताओं) के एक भाग हेतु कोई परिसम्पत्तिगत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.24) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण घाटा

हुआ और राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.24: प्राथमिक घाटा/आधिक्य - घटकों का विभाजन

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत परिव्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत परिव्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2007-08	30,807	21,410	6,833	1,157	29,400	9,397	1,407	23.24
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54

*अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2007-12 की अवधि के दौरान घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूँजीगत परिव्यय और वितरित किए गए कर्ज तथा अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूँजीगत परिव्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि अधिशेष ऋणोत्तर प्राप्तियाँ, सभी वर्षों में पूँजीगत परिव्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, किंतु सम्पूर्ण कर्ज तथा अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 2007-12 की अवधि में, 2007-08 को छोड़कर, प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व आधिक्य को लगातार बनाए रखा। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमानों के 1.45 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई तथा इस तरह बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही।
- 2011-12 में राजस्व प्राप्तिओं से कुल व्यय का अनुपात में 81 प्रतिशत रहा। 2007-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं से राजस्व प्राप्तिओं के अनुपात की

घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता का संकेत तथा उधार ली गई निधियों पर कम निर्भरता प्रकट हुई।

- कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली तेरहवें वित्त आयोग (36.81 एवं 52.37 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपणों (16.68 एवं 24.74 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर थी।

देयताओं का प्रबन्धन

- कुल देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत की कमी लाना है। परिणामतः तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण कर्ज प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- लोक ऋण प्राप्तियों में नौ प्रतिशत की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी, उधारियों में कमी के कारण थी। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बाजार कर्जों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परन्तु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2010-11 में 62 प्रतिशत से 2011-12 में 55 प्रतिशत तक की कमी आई।

निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये कर्ज प्राप्तियों का 95 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थी।

व्यय प्रबन्धन

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2011-12 के दौरान कुल व्यय के 68 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा। राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत (योजनेत्तर: 14 प्रतिशत तथा योजनागत: 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत परिव्यय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर (36.06 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण (चार प्रतिशत) से कम था।

- 2007-12 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 101 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान यह व्यय योजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था।
- योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के संदर्भ में विगत वर्ष की तुलना में योजनागत व्यय में ₹ 3,592 करोड़ की वृद्धि तथा योजनेत्तर व्यय में ₹ 16,390 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।
- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, 2008-09 और 2011-12 दोनों में पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य संवर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कम थे। वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के अंश में भी गिरावट पंजीबद्ध की गई। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।
- यह देखा गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से कुल व्यय के अनुपात में कमी आई।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की तुलना में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः ₹ 49.55 करोड़ तथा ₹ 195.28 करोड़ कम विमोचित किये।

अपूर्ण परियोजनायें

- 28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ (मार्च 2012) का व्यय अलाभकारी रहा तथा इनमें से 23 परियोजनाएं सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 13,184 करोड़ के कुल निवेश सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों, आदि पर प्रतिलाभ (₹ 37.98 करोड़) लगभग 0.29 प्रतिशत था जो कि 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर उधारी के विरुद्ध था।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को 31 मार्च 2012 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 11,495.42 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 15,931.72 करोड़ तक हो गया था।

भारत सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ

- केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 9,497.91 करोड़ अंतरित किए।

1.14 अनुशंसायें

- प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दरों सहित बढ़ती हुई राजकोषीय देयताएँ राज्य पर मध्यम से लंबी अवधि में राजकोषीय दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निवेश, योजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने और कर तथा करेतर दोनों राजस्व स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने सहित उपयुक्त उपाय प्रारम्भ नहीं किए जाते।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि सामान्य संवर्ग के राज्य, मध्य प्रदेश की तुलना में इन शीर्षों पर कुल व्यय के वृहत्तर समानुपात का व्यय कर रहे हैं।
- संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे अंतरण से इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की तुच्छ चूक होने का जोखिम रहता है। जब तक कि इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण पद्धतियों का विवेकपूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता तथा व्यय का उचित प्रलेखन नहीं किया जाता और समयोचित रिपोर्ट नहीं दी जाती, जब तक निधियों के इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना दुष्कर होगा।

दूसरा अध्याय

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

दूसरा अध्याय

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

79 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध 2011-2012 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	48,801.06	5,252.62	54,053.68	46,471.02	- 7,582.66
	II पूंजीगत	8,973.29	1,642.91	10,616.20	8,995.19	- 1,621.01
	III ऋण एवं अग्रिम	3,211.21	14,445.61	17,656.82	15,864.26 ¹	- 1,792.56
योग दत्तमत		60,985.56	21,341.14	82,326.70	71,330.47 ²	-10,996.23
प्रभारित	IV राजस्व	6,538.99	421.70	6,960.69	6,555.62	-405.07
	V पूंजीगत	18.67	80.65	99.32	97.70	-1.62
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	6,800.10	-	6,800.10	3,149.79	-3,650.31
योग प्रभारित		13,357.76	502.35	13,860.11	9,803.11	-4,057.00
महायोग		74,343.32	21,843.49	96,186.81	81,133.58 ³	-15,053.23

(स्रोत: विनियोग लेखे)

- ₹ 15,053.23 करोड़ की संपूर्ण बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 71 अनुदानों एवं 41 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 46 अनुदानों एवं पांच विनियोगों में ₹ 15,188.33 करोड़ की बचतों का परिणाम था जिसे राजस्व अनुभाग के अधीन एक अनुदान एवं एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग के अधीन तीन अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 135.10 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।
- वित्त, भू राजस्व, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) तथा विधि एवं विधायी कार्य विभागों, बुन्देलखण्ड पैकेज आदि में कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से ज्यादा प्रमुख बचतें थी।
- ₹ 74,343.32 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 81,133.58 करोड़ व्यय किए गये, फलस्वरूप केवल 31 प्रतिशत अनुपूरक निधियों की आवश्यकता थी।
- वर्ष के दौरान ₹ 21,843.49 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये जो कि मूल प्रावधानों का 29.4 प्रतिशत था।

¹ अंतर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 3.70 करोड़ तथा आकस्मिकता निधि को विनियोग के ₹ 100 करोड़ सम्मिलित है।

² राजस्व व्यय: ₹ 332.93 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹ 37.73 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित किए बिना सकल आंकड़े।

³ वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से निम्नांकित सीमा तक अधिक बताया गया:

अव्ययित राशि के ₹ 584.33 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 464.81 करोड़, राजस्व प्रभारित अनुभाग: ₹ 1.21 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 118.31 करोड़) 31 मार्च 2012 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किये गये।

2011-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक पर आहरित राशि ₹ 0.05 करोड़ के व्यय के विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक, उप संचालक, नेशनल कैडेट कोर, भोपाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इस व्यय की सत्यता नहीं आँकी जा सकी।

- ₹ 15,053.23 करोड़ की वास्तविक बचतें, अनुपूरक बजट ₹ 21,843.49 करोड़ का 69 प्रतिशत था जिससे निधियों का गलत अनुमान और नियंत्रण तंत्र में कमी दृष्टिगोचर हुई।

नियंत्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिये बचतें/आधिक्य उन्हें 2 जुलाई 2012 से 27 जुलाई 2012 तक सूचित किये गये। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2012)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

हमारे द्वारा किए गए विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 29 प्रकरणों में ₹ 9,407.81 करोड़ की बचत हुई थी। प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई (परिशिष्ट 2.1)। कुल बचत ₹ 15,053.23 करोड़ (तालिका 2.1) में से तालिका 2.2 में दर्शायी गयी दस अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित 11 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 8,805.64 करोड़ (58.50 प्रतिशत)⁴ की बचतें हुई।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें
राजस्व-दत्तमत						
1	06-वित्त	6,503.67	6.14	6,509.81	4,543.60	1,966.21
2	08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	849.64	32.80	882.44	689.30	193.14
3	29-विधि और विधायी कार्य	561.12	125.83	686.95	549.13	137.82
4	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	456.97	2.33	459.30	72.92	386.38
5	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	12.42	100.00	112.42	2.78	109.64
6	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1,264.20	111.44	1,375.64	1,053.25	322.39
पूंजीगत-दत्तमत						
7	06-वित्त	1,518.30	100.00	1,618.30	116.52	1,501.78
8	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	339.05	75.01	414.06	276.45	137.61

⁴ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक।

9	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	358.28	-	358.28	216.22	142.06
10	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	599.18	20.00	619.18	360.88	258.30
पूँजीगत-प्रभारित						
11	लोक ऋण	6,800.10	-	6,800.10	3,149.79	3,650.31
योग		19,262.93	573.55	19,836.48	11,030.84	8,805.64

(स्रोत: विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुदानों/विनियोगों में सारभूत बचतों के कारण, जैसा विनियोग लेखे में बताया गया है, निम्नानुसार हैं:-

06-वित्त (राजस्व दत्तमत): इस अनुदान के अंतर्गत सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुईं:-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य (₹ 51.03 करोड़), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य व्यय (₹ 1,109.71 करोड़), 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-लघु शीर्ष 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-एकीकृत मध्य प्रदेश (₹ 330.30 करोड़), 104-उपदान-एकीकृत मध्य प्रदेश (₹ 257.36 करोड़), 105-परिवार पेंशन-एकीकृत मध्य प्रदेश (₹ 200.98 करोड़) तथा 115-छुट्टी नगदीकरण हितलाभ-एकीकृत मध्य प्रदेश (₹ 62.26 करोड़), जिसे मुख्य रूप से 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-मध्य प्रदेश (₹ 85.35 करोड़) तथा 105-परिवार पेंशन-मध्य प्रदेश (₹ 39.47 करोड़) के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों तथा आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-2029-भू राजस्व-भू प्रबंधन (₹ 18.48 करोड़), जिला खर्च (₹ 93.88 करोड़) तथा 2053-जिला प्रशासन-जिला स्थापना (₹ 28.04 करोड़)। बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

29-विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत): इस अनुदान में दर्शायी गयी ₹ 137.82 करोड़ की बचतें, ₹ 121.24 करोड़ से कम बतायी गयी थी जो कि लेखों में योजना "न्याय व्यवस्था में सुधार (तेरहवें वित्त आयोग)" के अन्तर्गत अंतिम व्यय बताते हुए, 30 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी थी। सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-2014-न्याय प्रशासन-सामान्य स्थापना (₹ 50.33 करोड़), न्याय व्यवस्था में सुधार (तेरहवें वित्त आयोग) (₹ 33.75 करोड़) तथा 2015-निर्वाचन-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण (₹ 20.29 करोड़)।

बचतें आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष 2014 (₹ 60 लाख) के अंतर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण के लिए मांग प्राप्त न होना तथा मुख्य शीर्ष 2015 (₹ 16.89 करोड़) के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार मानदेय का भुगतान न होने, कुछ जिलों द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न किये जाने एवं फोटो युक्त मतदाता

सूची की छपाई के लंबित देयकों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2012)।

31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत): इस अनुदान में दर्शायी गयी ₹ 386.38 करोड़ की बचतें, ₹ 16 करोड़ से कम बतायी गयी थी जो कि लेखों में "जिला नवाचार कोष (तेरहवें वित्त आयोग)" के अन्तर्गत अंतिम व्यय बताते हुए, 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी थी। सारभूत बचतें मुख्य रूप से 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें-राज्य आयोजना (सामान्य)- आयोजनागत योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान (₹ 318.40 करोड़) तथा 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-राज्य आयोजना (सामान्य)-यूनिक नम्बर आइडेन्टीफिकेशन एजेन्सी के लिए प्रोत्साहन (तेरहवें वित्त आयोग) (₹ 31.79 करोड़) के अधीन हुई।

बचतें मुख्यतः विभिन्न राज्य आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2011-12 के अनुपूरक अनुमानों में पर्याप्त प्रावधान किये जाने तथा आधार कार्ड योजना के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई।

40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट (राजस्व दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास (₹ 100 करोड़) के अंतर्गत हुई। बचतें भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण हुई।

77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2202-सामान्य शिक्षा-उच्चतर माध्यमिक शालाएं (₹ 199.32 करोड़), शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण (₹ 12.56 करोड़), केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय (₹ 25.60 करोड़), राज्य आयोजना सामान्य-हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन (₹ 15.83 करोड़) तथा हाईस्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों में उन्नयन (₹ 21.25 करोड़) तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-माध्यमिक विद्यालयों में विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) (₹ 13.08 करोड़) के अधीन हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2012)।

06-वित्त (पूँजीगत दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:- 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान (₹ 25 करोड़), राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. (स्टेन्डिंग लिक्विडिटी रेशियो) बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान (₹ 25 करोड़), राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता (₹ 50 करोड़) तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-अधोसंरचना विकास के लिये ऋण (₹ 1,400 करोड़), जिसे मुख्य रूप से 7810-अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 3.70 करोड़) के आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों तथा आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कों और पुल (पूँजीगत दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-राज्य राजमार्ग का उन्नयन-एम.पी.आर.डी.सी.(₹ 37.32 करोड़), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-म.प्र.सड़क विकास कार्यक्रम (₹ 20.05 करोड़), खनिज क्षेत्र विकास निधि-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण सड़कों सहित (₹ 42.57 करोड़) तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड) (₹ 19.15 करोड़), जिसे मुख्य रूप से शीर्षो पुलों का निर्माण (नाबार्ड) (₹ 7.95 करोड़) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 7.33 करोड़) के आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

बचतें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा, मुख्य रूप से म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा सामान्य सहमति के अन्तर्गत तकनीकी कारणों से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति जारी नहीं किये जाने, एशियन विकास बैंक द्वारा म.प्र. राज्य सड़क विकास कार्यक्रम-3 के लिये निविदा प्रस्तावों की स्वीकृति देरी से जारी किये जाने तथा कार्य की आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत): सारभूत बचतें मुख्य रूप से 4700-वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट (₹ 29.60 करोड़) तथा पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग (₹ 105.02 करोड़) के अधीन हुई हैं। बचतें अंशतः ड्रिप सिंचाई (₹ 28.49 करोड़) के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति जारी नहीं होने तथा विश्व बैंक से निर्माण कार्यों की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 3.62 करोड़) के कारण हुई। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत): इस अनुदान में दर्शायी गयी ₹ 258.29 करोड़ की बचतें, ₹ 29.68 करोड़ से कम बतायी गयी थी जो कि लेखों में मुख्य शीर्ष 4701-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत अंतिम व्यय बताते हुए 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी थी। सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-अनुसूचित जाति उपयोजना-भण्डार एवं विपणन (₹ 47.45 करोड़), 102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-भण्डार एवं विपणन (₹ 169.24 करोड़) तथा 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-निदेशन एवं प्रशासन (₹ 18.14 करोड़), 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना तथा सामान्य)-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति (₹ 20.97 करोड़), जिसे मुख्य रूप से 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-नवीन लघु सिंचाई योजनायें (₹ 23.99 करोड़) के अधीन आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

₹ 47.45 करोड़ तथा ₹ 169.24 करोड़ की बचतें भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण तथा ₹ 20.97 करोड़ की बचत इस योजना के अधीन किये गये प्रावधान के स्थान पर जमा शीर्ष से व्यय किये जाने के कारण हुई। ₹ 23.99 करोड़ के आधिक्य व्यय निर्माण कार्य की प्रगति तेज गति से होने के कारण हुई। ₹ 18.14 करोड़ की बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित): सारभूत बचतें मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:- 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-उपाय तथा साधन अग्रिम (₹ 2,000 करोड़) तथा कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम (₹ 2,000 करोड़), 11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011 (₹ 17.72 करोड़) तथा 12 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011 (₹ 26.06 करोड़), जिसे 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-हुडको से प्राप्त ऋण (₹ 65.69 करोड़), केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 228.21 करोड़) तथा 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-माइक्रो मेनेजमेन्ट हेतु उधार (₹ 51.65 करोड़) के अधीन आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। ₹ 65.69 करोड़ का आधिक्य हुडको से प्राप्त कर्ज के एक-मुश्त भुगतान के कारण हुई। बचतों तथा अन्य आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।

2.3.2 सतत् बचतें

सात अनुदानों/विनियोगों में, विगत पाँच वर्षों 2007-08 से 2011-12 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा संबंधित अनुदान/विनियोग के कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत् बचतें हुई थीं (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3 : 2007-12 के दौरान सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची
(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान से प्रतिशत)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1	06-वित्त	611.64 (22.20)	624.61 (20.04)	1,434.33 (31.32)	1,501.85 (27.82)	1,966.21 (30.20)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें तथा 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाम के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
2	34-सामाजिक न्याय	9.34 (20.02)	16.75 (24.88)	17.36 (23.97)	43.60 (33.92)	37.74 (27.63)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
3	63-अल्पसंख्यक कल्याण	1.83 (30.76)	7.11 (48.93)	26.91 (71.38)	20.90 (40.63)	18.33 (32.61)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
राजस्व-प्रभारित						
4	06-वित्त	10.44 (98.40)	10.70 (84.05)	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाम-01-101 तथा 102-एकीकृत मध्य प्रदेश योजनाओं के अंतर्गत हुई।						

पूँजीगत-दत्तमत						
5	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	172.85 (54.13)	111.18 (31.74)	89.69 (25.58)	74.90 (20.68)	142.06 (39.65)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुईं।						
6	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	4.30 (100)	2.50 (100)	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत योजना "प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण" के अंतर्गत हुईं।						
पूँजीगत-प्रभारित						
7	लोक ऋण	2,004.48 (54.45)	1,875.55 (48.89)	3,896.40 (61.94)	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)
बचतें सतत् रूप से मुख्यतः 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम तथा 0637-उपाय तथा साधन अग्रिम योजनाओं के अंतर्गत हुईं।						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

सतत् बचतें संकेत देता है कि संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण यथार्थवादी नहीं थे।

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

42 प्रकरणों में, ₹ 3,052.08 करोड़ का कुल व्यय प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक हुआ और प्रत्येक योजना के लिये कुल प्रावधानों का 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ। ब्यौरा परिशिष्ट 2.2 (क) में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

59 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ पाँच करोड़ अथवा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 6,873.50 करोड़ अप्रयुक्त रहा। ब्यौरा परिशिष्ट 2.2(ख) में दिए गए हैं।

2.3.5 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा किसी सेवा पर जिस उद्देश्य के लिए अनुमोदित राशि से अधिक व्यय की गई है तो, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) तथ्यों के साथ, आधिक्य की परिस्थितियों की जांच करेगी तथा इसको नियमितिकरण करने की अनुशंसा कर सकती है।

वर्ष 1997-98 से 2000-2001, 2002-03 से 2006-07 और 2008-09 से 2010-11 के वर्षों के लिए ₹ 2,879.84 करोड़ की राशि के अधिक व्यय को अब भी नियमित किया जाना है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है। लंबित नियमितिकरण हेतु अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सांराश तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4 : विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	नियमन की स्थिति
	अनुदान	विनियोग		
1997-1998	10	03	302.79	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1998-1999	01	--	0.10	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1999-2000	11	06	1,584.94	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2000-2001	03	04	265.07	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2002-2003	03	05	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹ 31,000 को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2003-2004	04	03	2.54	अनुदान संख्या 68 के संदर्भ में ₹ 1.24 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2004-2005	13	02	83.66	अनुदान संख्या 84 व 86 के संदर्भ में ₹ 4.09 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2005-2006	04	02	37.58	अनुदान संख्या 39 के संदर्भ में ₹ 2.27 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2006-2007	02	01	35.99	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2008-2009	02	02	5.80	अनुदान संख्या 62 तथा 24 (दोनों प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 4.18 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2009-2010	04	निरंक	123.96	अनुदान संख्या 27 तथा 49 के संदर्भ में ₹ 36.35 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2010-2011	निरंक	02	12.62	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
योग	57	30	2,879.84	

2.3.6 2011-12 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

2011-12 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 135.10 करोड़ के चार अनुदानों और दो विनियोगों में कुल प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश तालिका 2.5 में दर्शित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 2.5 : 2011-12 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत्त				
1	33 आदिम जाति कल्याण	943.61	954.49	10.88
पूँजीगत दत्तमत्त				
2	15 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	61.86	84.34	22.48
3	52 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	19.57	42.84	23.27
4	74 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	159.65	238.10	78.45
राजस्व प्रभारित				
5	23 जल संसाधन	0.20	0.22	0.02
पूँजीगत प्रभारित				
6	23 जल संसाधन	1.00	1.0011	0.0011
योग		1,185.89	1,320.9911	135.1011

(स्रोत: विनियोग लेखे)

उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2012)।

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का अनियमितिकरण अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

2.3.7 अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 51 प्रकरणों में प्राप्त कुल ₹ 2,635.93 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है। 41 प्रकरणों में, ₹ 16,805.12 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 18,896.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्याधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 लाख से अधिक की बचतें हुईं, जिनका कुल योग ₹ 2,091.11 करोड़ था (परिशिष्ट 2.5)। एक प्रकरण में, अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए जिससे ₹ 10.88 करोड़ का असमाविष्ट अधिक व्यय रहा, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में विवरण दिया गया है।

2.3.8 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अन्तरण है। 40 प्रकरणों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगों/समर्पणों (25 प्रतिशत या इससे अधिक) के परिणामस्वरूप प्रत्येक योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में विवरण दिया गया है।

2.3.9 निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2006 एवं फरवरी 2012) तथा इसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त संस्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए और वे लेखाओं के समावेशन के लिये यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, (ii) योजनाओं के सम्यक् विवरण प्रेषित किये जाने चाहिए तथा संस्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) कोई भी पुनर्विनियोजन "पूँजीगत अनुभाग" से "राजस्व अनुभाग" में तथा इसका उल्टा नहीं किया जा सकेगा, (iv) कोई भी पुनर्विनियोजन किसी ऐसी नई सेवा पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा जिसमें कोई भी बजट प्रावधान नहीं दिया गया है, (v) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए, (vi) दोहरी संस्वीकृतियां जारी करना अनुज्ञेय है तथा (vii) उद्देश्य शीर्ष के अधीन वेतन, भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय के प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक का पुनर्विनियोजन वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा आदि। वर्ष के दौरान ₹ 604.71 करोड़ के जारी किए गए पुनर्विनियोग/समर्पण का कुल 28 संस्वीकृतियां इन अनुदेशों के उल्लंघन के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिए गए हैं।

2.3.10 सारभूत समर्पण

150 योजनाओं में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किए गए। इन योजनाओं में ₹ 3,796.07 करोड़ के कुल प्रावधानों में से ₹ 3,350.90 करोड़ (88.27 प्रतिशत) समर्पित किए गए थे। जिसमें 51 योजनाओं (₹ 2,524.27 करोड़) (परिशिष्ट 2.9) में प्रत्येक योजना में 100 प्रतिशत समर्पण एक करोड़ या इससे अधिक के समर्पण सम्मिलित है। सारभूत समर्पणों के मुख्य कारण थे- भारत सरकार से केन्द्रांश/निधियों का प्राप्त न होना, कृषकों के ऋण परिवर्तन हेतु सहकारी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त न होना, 2011-12 के राज्य के विभिन्न योजनाओं में अनुपूर्वक अनुदान में पर्याप्त प्रावधान किया जाना, वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त न होना तथा नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना। 18 प्रकरणों में समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2012)।

2.3.11 अवास्तविक और अविवेकपूर्ण समर्पण

(क) वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

पांच प्रकरणों में, समर्पित राशियां (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थीं जिनसे इन विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी अथवा अपर्याप्तता प्रकट हुई। ₹ 207.10 करोड़ की बचतों के विरुद्ध, समर्पित राशि ₹ 212.01 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.91 करोड़ का अविवेकपूर्ण समर्पण हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिए गये हैं।

(ख) अधिक व्यय के पश्चात भी समर्पण

आदिवासी कल्याण विभाग में ₹ 0.76 करोड़ की राशि समर्पित की गई थी जबकि उसमें पहले से ₹ 10.87 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो विभाग में बजट नियंत्रण में कमी दर्शित हुई। विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिए गये हैं।

2.3.12 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.) के कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

2011-12 के वर्ष की समाप्ति पर, तथापि 18 अनुदानों तथा नौ विनियोगों में बचतें हुई प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 लाख से अधिक परंतु उसके किसी भी भाग को संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 4,228.13 करोड़ (₹ 15,053.23 करोड़ की कुल बचतों का 28.09 प्रतिशत) थी (परिशिष्ट 2.11)।

इसी प्रकार, प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचतों के 53 अन्य अनुदानों/विनियोगों के अधीन ₹ 9,752.19 करोड़ की कुल बचतों में से, ₹ 4,752.15 करोड़ की कुल राशि (इन योजनाओं में कुल बचतों का 48.73 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गई थी, जिसके विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 72 मुख्य शीर्षों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 4,871.71 करोड़ की कुल बचत राशि (परिशिष्ट 2.13) का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रकट हुआ परिणामतः इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

2.3.13 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.) की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि परिशिष्ट 2.14 में सूचीबद्ध 60 योजनाओं में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय, कुल ₹ 15,888.68 करोड़ (इन प्रकरणों में कुल व्यय का 93.61 प्रतिशत) मार्च 2012 में व्यय किए गए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (म.प्र.को.स.) भाग-1 के उप नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि तत्काल संवितरण की जाना अपेक्षित न हो।

2011-12 के दौरान कुल ₹ 584.33 करोड़ 31 मार्च 2012 को आहरित किया गया तथा लेखे में संगत योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दिखाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किया गया। परिशिष्ट 2.15 में दिए विवरण के अनुसार, केन्द्रीय योजनाओं के कुल ₹ 446.02 करोड़ का अंतरण इसमें शामिल है। इस प्रकार राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए केन्द्रीय निधियों का आहरण संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

तालिका 2.6 में उन मुख्य शीर्षों को प्रस्तुत किया गया है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय या तो वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अथवा अंतिम माह के दौरान किया गया था।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 2011-12 के अन्त में व्यय की अधिकता वाले प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय से प्रतिशतता
1	3451	42.78	28.52	66.67	26.54	62.04
2	5452	72.00	43.60	60.56	43.24	60.06
3	2045	320.59	308.07	96.09	306.00	95.45
4	4202	171.72	100.58	58.57	93.44	54.41
5	2425	512.63	307.60	60.00	298.44	58.22
6	2853	887.79	818.49	92.19	796.15	89.68
7	4210	141.57	89.55	63.25	84.52	59.70
8	4250	14.43	11.81	81.84	10.69	74.08
9	6801	15,100.22	13,481.95	89.28	12,747.81	84.42
10	4055	40.94	23.36	57.06	21.68	52.96
11	6856	150.00	150.00	100	150.00	100
	योग	17,454.67	15,363.53	88.02	14,578.51	83.52

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त सूचना)

मार्च के महीने में किए गए व्यय की प्रतिशतता, 11 मुख्य शीर्षों में किए गए कुल व्यय की 52.96 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी जो कि प्रतिमाह 8.33 की अनुपातिक प्रतिशतता के विरुद्ध थी, जो अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शाता है जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2.3.14 बिना प्रावधान के किया गया व्यय

दो विनियोगों के अंतर्गत छः प्रकरणों में ₹ 358.31 करोड़ का व्यय बिना प्रावधान के किये गये, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2012)। विवरण परिशिष्ट 2.16 में दिया गया है।

2.3.15 बजट में दिये गये नवीन मदों के व्यय के लिये प्रावधान का उपयोग न होना

नवीन व्यय की अनुसूची के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान, मांग संख्या 15, 52 एवं 74 में मुख्य शीर्ष 2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजना

“इन्फ्रास्ट्रक्चर डबलपमेंट ईन रूरल हेविटेड” के लिये ₹ 124.20 करोड़ (अनुसूचित जाति उपयोजना: ₹ 22.58 करोड़, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना: ₹ 22.68 करोड़ एवं सामान्य: ₹ 78.94 करोड़) का प्रावधान नवीन मदों के व्यय हेतु किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उक्त राशि का ना तो उपयोग किया और न ही समर्पण किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2012)।

2.4 बजट बनाने में त्रुटियां

2.4.1 अनुदान के लिये मांग में बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

बजट में अनुदानों के विवरण पत्रक की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि मुख्य शीर्षों 2039, 2054, 2055, 2210, 2215, 2225, 2230, 2401, 2402, 2403 एवं 2801 के अन्तर्गत उद्देश्य शीर्षों 45-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान, 63-मशीनें एवं 64-मुख्य निर्माण कार्य हेतु 23 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ अथवा इससे अधिक के प्रावधान, कुल योग ₹ 324.32 करोड़ राजस्व व्यय के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किये गये थे। मुख्य शीर्षों 4515 एवं 4701 के अन्तर्गत उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान हेतु तीन अन्य योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ अथवा अधिक के प्रावधान कुल योग ₹ 80.32 करोड़ को पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.17 में दिये गये हैं।

2.4.2 प्रभारित प्रावधान

अनुदान संख्या 38-आयुष में, योजना 2210-02-101-0101-4286-संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन के अन्तर्गत डिक्रीधन से संबंधित ₹ पांच लाख (प्रभारित) के प्रावधान का दत्तमत्त भाग में गलत वर्गीकरण किया गया था।

मामला संचालक बजट, वित्त विभाग को सूचित किया गया था (मई 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2012)।

2.5 बजट भाषण में दिये गये आश्वासनों का पूरा नहीं होना

वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 का बजट, विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय, वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष के दौरान, जनता के लाभ के लिये लागू किये जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम घोषित किये गये।

हमने उपरोक्त वर्षों के बजट भाषणों की जांच की और पाया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वित्त मंत्री द्वारा दिये आश्वासन पूरे नहीं हुये थे।

- वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। तदनुसार नगरीय क्षेत्रों में पेयजल में सुधार के लिये एक नई योजना प्रस्तावित की गई थी और वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान संख्या 75 के

अन्तर्गत शीर्ष 2217-80-191-0101-6607-नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना के लिये अनुदान में ₹ 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। हमने पाया कि पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया और वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2012 को राशि का समर्पण किया गया था।

- बुद्धिस्ट परिपथ, जैन परिपथ, धार्मिक पर्यटन, हेरीटेज पर्यटन के विकास के लिये, आन्तरिक सड़कों एवं सम्पर्क सड़कों के उन्नयन, सांख्यिकी सैल के विकास, मेला एवं उत्सव और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्यों आदि हेतु वर्ष 2011-12 में वित्त मंत्री द्वारा ₹ 45 करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया। उक्त राशि में से अनुदान संख्या 37 में मुख्य शीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड से संबंधित ₹ 14.50 करोड़ (32 प्रतिशत) की राशि, लेखों में अंतिम व्यय दिखाते हुये 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अन्तरित की गई थी। इस प्रकार ₹ 14.50 करोड़ तक का आहरण बिना आवश्यकता के किया गया था और प्रावधान व्यपगत होने से बचाने के लिये जमा शीर्ष में अन्तरित किया गया।
- बच्चों के कुपोषण और उसके दुष्प्रभाव से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से, अटल बाल आरोग्य मिशन की स्थापना की घोषणा, बजट भाषण 2011-12 में की गई थी। मिशन की गतिविधियों के लिये अनुदान संख्या 41, 55 एवं 64 में मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत ₹ 88 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 83 करोड़ का व्यय किया गया। आगे इन अनुदानों में, मिशन की गतिविधियों के लिये ₹ 111 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान भी किया गया था, जो कि अनुपयोगी रहा। इस प्रकार योजना "अटल बाल आरोग्य मिशन" के अन्तर्गत ₹ 116 करोड़ की कुल बचत हुई, जिसमें से ₹ 47 करोड़ समर्पण किये गये और ₹ 66 करोड़ योजना "लाडली लक्ष्मी योजना" में पुनर्विनियोजित किये गये थे।
- बजट भाषण 2008-09 में कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना, अल्प बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस उद्देश्य के लिये अनुदान संख्या 34, 41 एवं 64 में ₹ 51 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष 2009-10 के दौरान (₹ एक करोड़), 2010-11 (₹ 40 करोड़) और 2011-12 (₹ 10 करोड़) किया गया था, लेकिन उक्त प्रावधान अनुपयोगी रहा और पूर्ण राशि समर्पण की गई। विगत वर्षों 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान, राशि उपयोग न होने तथा समर्पण का कारण योजना का प्रारम्भ न होना बताया गया था। वर्ष 2011-12 के लिये कोई कारण सूचित नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2012) से प्रकट हुआ की वर्ष 2011-12 के बजट भाषण के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान 9350 किलोमीटर (कि.मी.) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अंतर्गत बताया

गया था। फिर भी, वास्तविक लक्ष्य 6815 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसके विरुद्ध केवल 2926 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि, 9350 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा केवल 2852.96 कि.मी. लम्बाई की सड़क का अनुदान स्वीकृत की गई थी और तदनुसार 2926 कि.मी. का लक्ष्य हासिल किया गया था। तथ्य यह है कि, बजट भाषण में घोषित किये गये लक्ष्य, उपलब्धियों से बहुत अधिक थे। मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 2012)।

2.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरान्त राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग देयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधान सभा द्वारा दी गयी अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग देयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी राशियाँ, विभिन्न अनुदानों की माँगों में व्यय के लिये स्वीकृत मानी जाती है।

हमने दो अनुदानों जैसे कि अनुदान संख्या 10-वन और 53-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता की बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई/अगस्त 2012) की।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल अनुदान संख्या 10 के बजट नियंत्रण अधिकारी है और आयुक्त, नगरीय प्रशासन और विकास, भोपाल एवं विकास आयुक्त, भोपाल अनुदान संख्या 53 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं। इस दो अनुदानों में बजट, व्यय और बचतों की राशियों के ब्यौरे तालिका 2.7 में संक्षिप्त है।

तालिका 2.7: समीक्षा की गयी अनुदानों के संक्षिप्त ब्यौरे

अनुदानों के विवरण	भाग	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में)
				बचतें
अनुदान संख्या 10	राजस्व (दत्तमत्त)	1,283.04	1,088.52	194.52
	राजस्व (प्रभारित)	12.53	0.44	12.09
	पूँजीगत (दत्तमत्त)	34.00	33.82	0.18
अनुदान संख्या 53	राजस्व (दत्तमत्त)	72.75	59.72	13.03
	पूँजीगत (दत्तमत्त)	37.30	26.07	11.23

इन अनुदानों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये थे:

- वर्ष 2011-12 के लिये इन अनुदानों की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि बजट अनुमान अवास्तविक थे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 230.87 करोड़ की निवल बचतें हुई (राजस्व दत्तमत्त अनुभाग में अनुदान संख्या 10 एवं 53 में क्रमशः

₹ 194.52 करोड़ और ₹ 13.03 करोड़, राजस्व प्रभारित अनुभाग में अनुदान संख्या 10 में ₹ 12.09 करोड़ और पूंजीगत दत्तमत्त अनुभाग में अनुदान संख्या 53 में ₹ 11.23 करोड़)।

- वर्ष 2011-12 के दौरान नमूना जांच किये गये अनुदानों की नौ योजनाओं में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ अथवा अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की कुल ₹ 165.60 करोड़ की बचतें हुईं जैसा कि ब्यौरे परिशिष्ट 2.18 में दिये गये हैं। अनुदान संख्या 10 में तीन योजनाओं के अन्तर्गत, वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ₹ 3.92 करोड़ के महत्वपूर्ण आधिक्य परिशिष्ट 2.19 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, ध्यान में आये थे।
- तीन योजनाओं में, अनुपूरक अनुदान ₹ 43.82 करोड़ से अधिक थे। ब्यौरे परिशिष्ट 2.20 में दिये गये हैं।
- अनुदान संख्या 10 में, निम्नलिखित योजनाओं में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी। इससे विभाग द्वारा अप्रभावी अनुवीक्षण दृष्टिगोचर हुआ।

योजना 2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत, ₹ चार करोड़ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, ₹ 0.97 करोड़ की राशि को अनावश्यक रूप से पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप अंतिम बचत ₹ 4.97 करोड़ थी। इसी तरह, योजना 2406-01-001-3555-हेडक्वार्टर के अंतर्गत, ₹ 3.10 करोड़ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, ₹ 2.27 करोड़ की राशि को अनावश्यक रूप से पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप अंतिम बचत ₹ 5.37 करोड़ थी। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बताया गया (जुलाई 2012) कि, इन योजनाओं में बचतों का मुख्य कारण वन रक्षकों के चयन एवं भर्ती में देरी होना था।

- मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 8.3.5 (vi) के अनुसार, चूंकि शासन की अधिकांश गतिविधियां, संघ और राज्यों के लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में पूर्ण रूप से वर्णित हैं जो कि, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी की जाती है, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय का संचालन कम से कम किया जाना चाहिये। यह पाया गया था कि, अनुदान संख्या 10 में शीर्ष 2406-01-800-अन्य व्यय (दत्तमत्त) के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹ 5.69 करोड़, ₹ 9.36 करोड़ एवं ₹ 13.18 करोड़ का व्यय किया गया था जो विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है।

2.7 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान ₹ 96,187 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 81,134 करोड़ का व्यय किया गया था। 2011-12 के दौरान ₹ 21,843 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 15,053 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। मुख्य बचतें वित्त, भू-राजस्व, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), बुन्देलखण्ड पैकेज तथा विधि और विधायी कार्य विभागों इत्यादि से संबंधित थी। ₹ 584.33 करोड़ की राशि लोक लेखे के सिविल जमा में अन्तरित की गई थी और ₹ 4,872 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पित किए गए थे। ₹ 358 करोड़ का व्यय विनियोग विधेयक में आवश्यक प्रावधान किये बिना किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता भी थी। 40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजनाओं में बचत/आधिक्य हुए। 2011-12 के दौरान किए गए ₹ 135.10 करोड़ और 1997-98 से 2010-2011 से संबंधित ₹ 2,880 करोड़ के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण हेतु संविधान की अनुच्छेद 205 के अंतर्गत लंबित थी।

2.8 अनुशंसाएं

- समस्त सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को व्यय के उचित अनुवीक्षण, निधियों के समय से समर्पण और वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अत्यधिकता का परिहार्य करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक और पुनर्विनियोग को टालना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष की नितांत समाप्ति पर लेखे में व्यय को अंतिम रूप से दर्शाए जाने के पश्चात, सिविल जमा के अंतर्गत निधियों के अंतरण की पद्धति की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
- 1997-98 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन एवं अनुपालनों की समयबद्ध स्थिति और गुणवत्ता सूचना, की अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया गया था, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2011-12 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरुद्ध शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: शेष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10 तक	35761	17,733.88
2010-11	2888	6,760.54
2011-12	1756	6,923.30
योग	40405	31,417.72

(स्रोत: वित्त लेखे 2011-12)

इस तरह 31 मार्च 2012 को 37 विभागों के 47 मुख्य शीर्षों के संबंध में कुल राशि ₹ 31,417.72 करोड़ के 40405 उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष थे। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 10,406 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 5,985 करोड़), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 4,430 करोड़), स्कूल

शिक्षा (₹ 3,189 करोड़) तथा आवास एवं पर्यावरण (₹ 2,468 करोड़) विभागों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वृहत्तर लंबित थे।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुत न किया जाना विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में निगरानी की कमी दर्शाता है और परिणामतः अनुदानों की दुरुपयोगिता संभावित है।

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की है। राज्य में 48 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति परिशिष्ट 3.2 में दर्शाए गए हैं। तीन स्वायत्तशासी निकायों का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है जिसका विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2 : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर प्रस्तुति में विलंब

स्वायत्तशासी निकायों के नाम	वर्ष जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना शेष है
मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल	2004-05 से 2006-07
मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2005-06 एवं 2006-07
मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2009-10

48 स्वायत्तशासी निकायों में से, 44 स्वायत्तशासी निकायों (परिशिष्ट 3.2 के सरल क्रमांक 5 से 48) ने अपनी स्थापना (1997-98 से 2006-07) के पाँच से 13 वर्षों के पश्चात भी लेखे प्रस्तुत नहीं किये और तीन स्वायत्तशासी निकायों (परिशिष्ट 3.2 के सरल क्रमांक दो से चार) ने वर्ष 2003-04 से 2010-11 तक के लेखे, नौ से 84 महीने देरी से प्रस्तुत किये। इकाईयों और प्रशासनिक विभागों से लेखों को प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार जारी है।

राज्य विधानसभा में प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया था, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई। इसमें कपट व निधियों के बाहर जाने का जोखिम होता है। आगे, इससे आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में भी विलंब होता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानियां, गबन आदि

मध्य प्रदेश वित्त संहिता नियमावली खंड 1 के नियम 22(1) में बताया गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने मार्च 2012 की अवधि तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के 3111 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 46.25 करोड़ का सरकारी धन समाविष्ट था, पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। ₹ 27.78 करोड़ एवं ₹ 13.79 करोड़ के बहुत से प्रकरण क्रमशः स्कूल शिक्षा तथा वानिकी एवं वन्य जीवन विभागों के लिये वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2011-12 हेतु दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के लंबित प्रकरणों तथा अपलेखनों का विभागानुसार विवरण तथा उनका समयानुसार विश्लेषण परिशिष्ट 3.3 और परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं। विभाग/संवर्ग अनुसार इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लंबित प्रकरणों की संख्या का सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3 : दुर्विनियोग, हानियों, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षों में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	457	32.63	चोरी	214	2.03
5 - 10	468	3.71			
10 - 15	464	4.70	सामग्री का दुर्विनियोग/ हानि	2897	44.22
15 - 20	422	2.03			
20 - 25	695	1.67			
25 और उससे अधिक	605	1.51			
योग	3111	46.25	योग	3111	46.25

आगे और विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित थे उनको तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के बकाया प्रकरणों के कारण

विलंब/बकाया लंबित प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	3	0.0038
(ii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3108	46.2498
	योग	3111	46.25

इस तरह ₹ 46.25 करोड़ के 3,111 प्रकरणों में से ₹ 9.91 करोड़ के 2,186 प्रकरण (70.2 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान अपलेखन की गई ₹ 10.84 लाख की राशि को समाविष्ट करते हुए हानियों के 55 प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है।

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को छोड़कर (केवल नेशनल क्रेडिट कोर के लिए) संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

31 मार्च 2012 के अन्त तक, कुल ₹ 19.50 करोड़ के 870 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक लंबित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध बकाया लंबित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति के वर्षवार विवरण तालिका 3.5 में दिये गये हैं।

तालिका 3.5: मार्च 2012 के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की बकाया स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	बकाया राशि
2009-2010 तक	792	19.10
2010-2011	70	0.35
2011-2012	8	0.05
योग	870	19.50

(स्रोत: वित्त लेखे 2011-12)

2011-12 तक के वर्षों के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के ब्यौरे परिशिष्ट 3.6 में दिए गए हैं।

3.4.2 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों

में अंकित लेखों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2011-12 के दौरान भी इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

हमने देखा कि 2011-12 के दौरान कुल व्यय ₹ 77,513 करोड़ के विरुद्ध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 74,704.65 करोड़ (96.38 प्रतिशत) का मिलान किया गया। पाँच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मार्च 2012 तक ₹ 2,808.35 करोड़ के व्यय की राशि का मिलान नहीं किया। इनमें से दो विभागों यथा शिक्षा (लोक शिक्षण) और सामाजिक कल्याण के नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कुल ₹ 2,802.45 करोड़ के व्यय (कुल मिलान नहीं किए गए व्यय का 99.8 प्रतिशत) की राशियों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6 : नियंत्रण अधिकारियों की सूची जिनके अधीन 2011-12 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशियों का मिलान नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गई राशि
1	आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश, भोपाल	1,918.45
2	निदेशक, सामाजिक कल्याण	8,84.00
योग		2,802.45

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को महालेखाकार द्वारा लेखांकित आँकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियाँ ₹ 71,753 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,036 करोड़ (केवल 1.44 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किये गये थे। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबन्धन में कमी दर्शित हुई।

3.4.3 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थाई अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते हैं। वित्त विभाग के अनुदेश (अक्टूबर 2001) के अनुसार, दौरे अथवा आकस्मिक व्यय के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए अस्थाई अग्रिमों को अग्रिम आहरण के दिनांक से तीन माह के भीतर अथवा वित्त वर्ष के अन्त तक, जो भी पहले हो, समायोजित किया जाना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी से भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की लेखापरीक्षित इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध जानकारी एवं विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों (जिस सीमा तक उपलब्ध थी) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 तक कुल ₹ 498.90 करोड़ के 5239 अग्रिम के प्रकरण, 138 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके अभिलेखों में समायोजन के लिए लंबित थे। अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया। लंबित अग्रिमों का समयवार विश्लेषण तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7 लंबित अग्रिम प्रकरणों का समयानुसार विश्लेषण

सरल क्रमांक	लंबित अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	10 वर्षों से अधिक	1448	1.88
2	पाँच वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक	1261	11.90
3	एक वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्षों से कम	1472	105.19
4	एक वर्ष से कम	1058	379.93
योग		5239	498.90

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 27 प्रतिशत से अधिक प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इस तरह, इनकी वसूली की संभावना दूरस्थ प्रतीत होती है। अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण में कमी दर्शात हुई।

3.4.4 लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के उप-नियम 36 के अनुसार, कोषालय अधिकारी/विभाग द्वारा मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अगले माह के प्रथम दिन (मार्च के लिए अगले माह का पांचवां दिन) प्रस्तुत करने चाहिये।

हमने देखा कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को कोषालय, लोक निर्माण संभाग और वन संभाग द्वारा भेजे जाने वाले लेखाओं में औसतन छः से दस दिनों का विलम्ब रहा। लेखाओं के संकलन में विलम्ब से बचने के लिये कोषालय एवं संबंधित विभागों द्वारा समय से लेखाओं का संप्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

3.5 व्यक्तिगत जमा लेखे

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 543 के प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत जमा लेखाओं का सृजन लोक लेखे में राज्य की समेकित निधि के नामे (डेबिट) के द्वारा किया जा सकता है और उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना कोई भी व्यक्तिगत जमा लेखा जारी नहीं रखा जायेगा।

- 1 अप्रैल 2011 को 765 व्यक्तिगत जमा लेखे विद्यमान थे जिनमें ₹ 2003.45 करोड़ शेष थे। वर्ष 2011-12 के दौरान, 128 व्यक्तिगत जमा लेखे (₹ 3.93 करोड़ के) खोले गये और सात व्यक्तिगत जमा लेखे (₹ 0.08 करोड़ के) बंद किये गये। इस तरह 31 मार्च 2012 को 886 व्यक्तिगत जमा लेखे विद्यमान थे जिनमें ₹ 2,007.30 करोड़ अंतिम शेष थे। व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतिम शेषों से यह प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के भाग-1 के उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।
- लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालक, औषधि प्रकोष्ठ, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) से प्रकट हुआ कि नवीन औषधि खरीद नीति के अन्तर्गत संचालक औषधि प्रकोष्ठ के पक्ष में दवाईयां खरीदने हेतु एक व्यक्तिगत जमा लेखा क्रमांक 37 (जनवरी 2008) खोला गया था, जो 2012-13 में भी जारी रहा। 31 मार्च 2012 को व्यक्तिगत जमा लेखा में ₹ 17.91 करोड़ शेष थे, जो कि, वित्त वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे डालकर बंद नहीं किये गए थे। विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि, व्यक्तिगत जमा खाते को 2012-13 तक जारी रखने की अनुमति दिनांक 30 जून 2012 को दी गयी थी। यह तथ्य यथावत है कि, व्यक्तिगत जमा लेखे को जारी रखने की अनुमति वित्त वर्ष की समाप्ति (31 मार्च 2012) से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए थी और इस प्रकार, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

3.6 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये सहायता-अनुदान की अनुपयोगिता एवं निधियों का सिविल जमा में रखना

2011-12 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के रूप में ₹ 102.87 करोड़¹ का सहायता अनुदान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 68.00 करोड़) तथा संस्कृति विभाग (₹ 34.87 करोड़) द्वारा प्राप्त किये गये थे।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के अनुसार, कोषालय से धन का आहरण नहीं करना चाहिये जब तक कि तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक न हो। निम्नलिखित विभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया, या राशि सिविल जमा में रखी रही थी।

¹ स्वास्थ्य अधोसंरचना: ₹ 62.50 करोड़ तथा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन हेतु: ₹ 34.87 करोड़ तथा एम.टी.एच. चिकित्सालय, इंदौर के उन्नयन हेतु: ₹ 5.50 करोड़

(i) **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग:** हमारे द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) और वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से प्रकट हुआ कि 4210-01-110-1301 से 1303 केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य/अनुसूचित जनजाति उप क्षेत्र योजना/अनुसूचित जाति उप योजना)-6453 स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करना योजना के अन्तर्गत ₹ 62.50 करोड़ का बजट प्रावधान अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत (सामान्य: ₹ 40.65 करोड़), अनुदान संख्या 41 (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप आयोजना: ₹ 12.50 करोड़) और अनुदान संख्या 64 (अनुसूचित जाति उप आयोजना: ₹ 9.35 करोड़) किया गया था, जिसका अनुमोदन भारत सरकार से 2 मार्च 2012 को प्राप्त हुआ था। इसमें से केवल ₹ 13.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें से ₹ 4.06 करोड़ लेखों में अंतिम व्यय दर्शाते हुये 31 मार्च 2012 को 8443 सिविल जमा-800- अन्य जमा में अंतरित किये गये, वर्ष के दौरान ₹ 48.17 करोड़ समर्पित किये गये और ₹ 0.91 लाख विलोपित हुये। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान केवल ₹ 9.36 करोड़ (प्रावधानों का 15 प्रतिशत) का उपयोग हुआ जिससे विभाग की व्यय पर नियंत्रण की कमी दृष्टिगोचर हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

(ii) **संस्कृति विभाग:** हमारे द्वारा आयुक्त, पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) और वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से प्रकट हुआ कि भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, विकास और प्रबन्धन के लिये ₹ 34.87 करोड़ की अनुदान सहायता अनुमोदित (30 मार्च 2012) की। अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत योजना संस्कृति 2205-800-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6464-स्मारक एवं संग्रहालय का विकास और संधारण कार्य इत्यादि में, ₹ 36.69 करोड़ व्यय किये गये, जिसमें ₹ 34.87 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त सम्मिलित थे और वह 31 मार्च 2012 को लेखों में अंतिम व्यय प्रदर्शित करते हुये 8443-सिविल जमा- 800 अन्य जमा में अंतरित कर दिये गये जो कि अभी भी अनुपयोगी पड़े थे (जुलाई 2012)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि निधियां वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन प्राप्त हुई थी एवं 2011-12 के दौरान उपयोग नहीं की जा सकी। 2011-12 के कार्य आयोजना के अनुसार सिविल जमा शीर्ष से निधियों को जारी करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को (जुलाई 2012) भेजा गया था। यह तथ्य यथावत है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के प्रावधान जिसमें बताया गया है कि, कोषालय से धन आहरित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक न हो, का अनुपालन नहीं किया गया है,

क्योंकि निधियों को बिना तत्काल आवश्यकता के आहरित किया गया और जो जुलाई 2012 तक अनुपयोगी रही।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

3.7 निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न नियमों एवं वित्तीय कार्यविधियों के अनुपालन में कमी थी। ₹ 31,418 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 40405 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतीक्षित थे, जिससे विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी दर्शित हुई। 47 स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में नौ माह और अधिक के महीनों का विलम्ब हुआ जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित हुई। ₹ 46.25 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध ₹ 19.50 करोड़ की राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतीक्षित थे जिसमें 2010-11 की अवधि के पहले के ₹ 19.10 करोड़ सम्मिलित थे। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 की समाप्ति पर ₹ 2,007 करोड़, 886 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। पाँच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 2,808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना देखा गया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव और सरकार द्वारा निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया है।

3.8 अनुशंसाएं

- अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान के संबंध में, विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।
- स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- दुर्विनियोजनों, हानियों इत्यादि के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए ताकि चूककर्ताओं द्वारा की गयी चूक दर्ज हो सके। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- 31 मार्च 2012 को विशाल शेषों वाले व्यक्तिगत जमा लेखों को बंद करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए तथा निधियों को समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।
- 2011-12 की समाप्ति पर बकाया रहे अस्थायी अग्रिमों की वसूली/समायोजन तत्काल किया जाना चाहिए।

ग्वालियर
दिनांक

05 मार्च
MAR 2013



(के.के. श्रीवास्तव)

प्रधान महालेखाकार


(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

08 मार्च
MAR 2013



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

(संदर्भ कंडिका मध्य प्रदेश की रूपरेखा, 1.6.1, 1.8.2; पृष्ठ 1,13,30)

क	सामान्य आंकड़े ¹	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ¹ (अखिल भारतीय औसत=27.5 %)		38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)	69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74 %)	70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ² (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 47 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा ³ (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)		58 वर्ष
8	जिनी कोएफिशियेन्ट ⁴		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.30)	0.27
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.37)	0.39
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2011-12		₹ 315387 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	12.04 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	13.09 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	13.77 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	14.46 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	16.52 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	13.90 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े		
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर	2002-03 से 2010-11	2002-03 से 2011-12
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के	16.86	18.69
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	16.74	17.82
ग.	करेतर राजस्व के	12.84	18.41
घ.	कुल परिव्यय के	14.58	18.29
ङ.	पूँजीगत व्यय के	21.25	15.61
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	15.41	17.51
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	14.00	13.78
ज.	वेतन एवं मजदूरी	13.43	11.59
झ.	पेन्शन के	16.89	16.82

¹ सामान्य आंकड़ों के स्रोत : गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)

² शिशु मृत्यु दर (एस. आर. एस. बुलेटिन, दिसम्बर 2011), वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित है।

³ जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11

⁴ जिनी कोएफिशियेन्ट (योजना आयोग का अशासकीय अनुमान तथा एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र 2004-05 एम आर पी)

⁵ जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है; एक के निकट असमानता ज्यादा है।

⁶ तीन सामान्य संवर्ग के राज्यों यानी दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी को छोड़कर

11 विशेष संवर्ग राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिसोरम, नागालैंड, सिक्किम,

त्रिपुरा एवं उत्तराखंड) के रूप में कहा जाता है के अलावा, अन्य राज्य सामान्य संवर्ग राज्यों के हैं।

परिशिष्ट - 1.2

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा ।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

भाग III : लोक लेखा : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते है जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए है । रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है । आगे भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, योजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है ।

विवरण क्रमांक	रूपरेखा
1	राज्य की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जिसमें 2011-12 के अन्त में सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े दिये गये है ।
2	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों के तीन भागों सभी में प्राप्तियों और संवितरणों का संक्षेप
3	समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान और पूंजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्तियों का संक्षेप
4	राज्य की समेकित निधि के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत चालू वर्ष में व्यय का संक्षेप
5	2011-12 के दौरान तथा अन्त में मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विवरण
6	राज्य की ऋण स्थिति का संक्षेप जिसमें आंतरिक ऋणों, भारत सरकार, अन्य दायित्वों और ऋण शोधन से उधारियाँ सम्मिलित है ।
7	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों एवं पुनर्भुगतान की गई, बकाया वसूलियों आदि का संक्षेप
8	सरकार द्वारा नकद और वस्तुरूप में दिया गया सहायता अनुदान तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु जारी अनुदान, का संक्षिप्त विवरण पत्रक
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षेप
10	दत्तमत एवं प्रभारित के मध्य व्यय का वितरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत लेखा
12	पृथक से योजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत लेखा
13	वर्ष के दौरान पृथक से योजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षवार पूंजीगत व्यय और 2011-12 के अन्त तक कुल व्यय के विस्तृत लेखे
14	वर्ष 2011-12 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंक, समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण और अंश पूंजी और डिबेंचरों के बीच निवेश का तुलनात्मक सारांश भी देती हैं।

15	उधारियों एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण जिसके 2011-12 के अंत तक तथा के दौरान, लोक ऋण तथा अन्य ब्याज दायित्व, परिपक्वता रूपरेखा, पुनर्भुगतान अनुसूची तथा ब्याज दर रूपरेखा दर्शायी गयी हैं ।
16	31 मार्च 2012 को बकाया शेष, वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान की गयी राशि, म.प्र. सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत लेखा तथा आयोजना उद्देश्य और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये वर्ष के दौरान दिये गये कर्ज
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त अन्य निधियों के स्त्रोतों एवं अनुप्रयोग का विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत लेखा
19	आरक्षित निधियों के उद्दिष्ट शेषों का विवरण

परिशिष्ट - 1.2 समाप्त

भाग ख

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-).2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94 ^(क)	45.49	11.55	102.47 ^(ख)	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18 ^(ग)	18
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75 ^(घ)	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26 ^(ङ.)	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1464.33	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

- (क) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल ₹ 657.94 करोड़ में से ₹ 498.44 करोड़ छोड़ दिये गये ।
- (ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (ग) विवरणों के अभाव में मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (घ) ₹ 478.85 करोड़ की प्रोफार्मा कमी के कारण ₹ 9,267.59 करोड़ के आकड़ों में अन्तर ।
- (ङ.) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों /विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।

परिशिष्ट - 1.3

भाग -क

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है;

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	161479	197276	227984	260403	315387
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	11.69	22.17	15.57	14.22	21.11

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार

*2007-08 से 2010-11 अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन किये गये हैं, तदनुसार 2007-08 से 2010-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न पैरामीटर का प्रतिशत सम्बन्धी अनुपात/उत्प्लावकता में भी संशोधन किये गये हैं।

परिशिष्ट - 1.3 जारी

भाग - ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करेगी जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सके;
- 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना⁶।
- 10 वर्षों की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना, अर्थात् 31 मार्च 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो, और
- वार्षिक प्रत्याभूतियों की वृद्धि कर को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियाँ पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यायमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2011-12 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण पत्रक, (ख) मध्यम कालीक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक एवं (ग) राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2009-10 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2010-11 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2011-12 हेतु बजट अनुमान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

⁶ मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 के संशोधन अनुसार

कुछ चयनित शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की प्रवृत्ति तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा निम्नानुसार है:

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्ड की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर
मानदण्ड (भ) की अन्य मापदण्ड (म) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर/मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2]*100$
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज}/[(\text{ऋणों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष} + \text{अन्त शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत परिव्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अन्तर्गत विकलनों को छोड़ कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा योजनेत्तर राजस्व व्यय को घटा कर राजस्व प्राप्तियां

परिशिष्ट - 1.3 समाप्त

भाग -ग

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2009-10 के लेखे	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2009-10 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2010-11 पुनरीक्षित अनुमान	2011-12 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	41394.70	52514.56	57789.99	26.86	10.05
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	28349.79	35284.05	40147.00	24.46	13.78
2.1	राज्य कर	17272.80	20379.83	23118.31	17.99	13.44
2.2	केंद्रीय करों में हिस्सा	11076.99	14904.22	17028.69	34.55	14.25
3	करेतर राजस्व	6382.04	5997.45	5999.44	-6.03	0.03
4	केंद्र शासन से सहायक अनुदान	6662.87	11233.65	11643.55	68.59	3.65
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	5043.88	10620.47	8141.25	110.56	-23.34
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	47.82	418.67	73.86	775.51	-82.36
7	शुद्ध लोक ऋण	6208.46	6072.00	7657.19	-2.20	26.11
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-1212.40	4129.80	410.20	-440.63	-90.07
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	46438.58	63135.03	65931.24	35.95	4.43
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	35896.90	47788.48	53923.49	33.13	12.84
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	26059.22	33201.36	38205.40	27.41	15.07
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	9837.68	14587.12	15718.09	48.28	7.75
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज भुगतान	4454.30	5083.08	5342.18	14.12	5.10
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	12391.63	17175.52	18328.12	38.61	6.71
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	10178.17	14674.35	17839.32	44.17	21.57
10.3.4	पेंशन संदाय	3077.18	4569.83	5158.05	48.51	12.87
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	7924.88	9545.78	8721.93	20.45	-8.63
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	61.05	141.06	39.89	131.06	-71.72
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	7863.83	9404.72	8682.04	19.59	-7.68
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3819.66	3924.05	3200.21	2.73	-18.45
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	3142.76	2804.25	2021.55	-10.77	-27.91
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	676.90	1119.80	1178.66	65.43	5.26
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	47641.44	61258.31	65845.63	28.58	7.49
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	29263.03	36146.67	40266.84	23.52	11.40
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	18378.41	25111.64	25578.79	36.64	1.86
14	राजस्व घाटा (1-10)/आधिक्य	5497.80	4726.08	3866.50	-14.04	-18.19
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-6198.92	-8325.08	-7981.78	34.30	-4.12
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-1744.62	-3242.00	-2639.60	85.83	-18.58

परिशिष्ट - 1.4

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ कण्डिका 1.6, 1.7, 1.10.2, 1.11.3; पृष्ठ 9, 14, 35 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	30689(41)	33577(39)	41395(40)	51854(41)	62604(41)
(i) कर राजस्व	12018(39)	13614(41)	17273(42)	21419(41)	26973(43)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6045(50)	6843(50)	7724 (45)	10257(48)	12517(43)
राज्य उत्पाद शुल्क	1854(15)	2302(17)	2952 (17)	3603(17)	4517(16)
वाहन कर	703(6)	773(6)	919 (5)	1198(6)	1367(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1532(13)	1479(11)	1783(10)	2514(12)	3264(12)
भू-राजस्व	129(1)	339(2)	180 (1)	361(2)	279(1)
माल तथा यात्री कर	916(8)	1333(10)	1333 (8)	1746(8)	2047(8)
अन्य कर	839(7)	545(4)	2382 (14)	1740(8)	3172(12)
(ii) करेतर राजस्व	2738(9)	3343(10)	6382 (15)	5720(11)	7483(12)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	10203(33)	10767(32)	11077(27)	15638(30)	16219(23)
(iv) केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5730(19)	5853(17)	6663 (16)	9077(18)	9929(16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	11	24	22	367	23
2 क. अन्तर्राज्यीय परियोजना	2	1	3	2	3
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	105	54	23	34	9123
4. कुल राजस्व तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	30807	33656	41443	52257	71753
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3371(5)	6553(8)	8603(8)	7456(6)	6750(4)
आन्तरिक ऋण (अर्धोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	2832(84)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)
अर्धोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन नियत लेनदेन	--	--	--	--	--
केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	539(16)	1154(18)	1345 (16)	1095(15)	702 (13)
6. संघों के ऋणों में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	34178	40209	50046	59715	78503
7. आर्काना कृता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	108
8. लोक लेनदा प्राप्तियाँ	39896(54)	46460(54)	52353(51)	65675(52)	76315(49)
9. राज्य की कुल प्राप्तियों (6+7+8)	74074	86669	102399	125390	154918
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	25601(76)	29514(77)	35897(75)	45012(78)	52694(68)
आयोजना	6806(27)	7622(26)	9828 (27)	12911(29)	16017(30)

आयोजना	6511(95)	6503(97)	7864 (99)	8657(98)	9023(100)
योजनेत्तर	322(5)	210(3)	61 (1)	143(2)	32(0)
सामान्य सेवाएं	74(1)	125(2)	119 (1)	179(2)	167(2)
सामाजिक सेवाएं	1141(17)	1295(19)	1178 (15)	1532(17)	1599(18)
आर्थिक सेवाएं	5618(82)	5293(79)	6628 (84)	7089(81)	7289(80)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	1155(3)	1861(5)	3817 (8)	3715(6)	15760(20)
12 क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	3	2	4
13. योग (10+11+12+12क)	33591	38089	47642	57529	77513
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1677	1961	2394	2529	3150
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	1240	1516	1938	2012	2520
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	437	445	456	517	630
15. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	100
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	35268	40050	50036	60058	80763
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	39423	45989	50872	62344	73279
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	74691	86039	100908	122402	154042
भाग ग. घाटे					
20. राजस्व घाटे (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5088	4063	5498	6842	9910
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-2784	-4433	-6199	-5272	-5760
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	1407	-241	-1745	-223	-460
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4191	4192	4454	5049	5300
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	898	1087	1434	9117	10830
25. ली गई अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय पेशगियां (दिन)	--	2	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	0.01/00	--	--	--
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷	161479	197276	227984	260403	315387
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	55311	60432	67853	75504	81757

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	856	1930	1630	5111	5605
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12086	11991	11823	8439	11108
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	3 ⁸	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28 ⁹
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	13 ⁸	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9128.68 ⁹
भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.44	6.90	7.58	8.23	8.55
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.70	1.69	2.80	2.20	2.37
केन्द्रीय अन्तरण ¹⁰ /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.87	8.42	7.78	9.49	8.92
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पलावकता (प्रतिशत)	1.32	0.70	0.87	1.05	0.80
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.80	19.31	20.90	22.09	24.58
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	109.46	113.44	115.09	110.94	123.81
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	76.21	77.49	75.35	78.24	67.98
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	28.65	30.65	30.10	33.14	28.43
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	37.85	37.61	38.98	35.93	46.28
पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	20.34	17.62	16.63	15.30	11.68
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	20.12	17.29	16.38	14.99	11.47
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+3.15	+2.16	+2.41	+2.63	+3.14
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.72	-2.25	-2.72	-2.02	-1.83
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+0.87	-0.12	-0.77	-0.09	-0.15

⁸ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

⁹ उस सीमा तक जिस सीमा तक महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी गई।

¹⁰ केन्द्रीय अन्तरण में संघ करों/शुल्कों का भाग एवं केन्द्रीय सरकार से अनुदान समाविष्ट हैं।

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.26	12.84	13.79	15.35	15.03
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34.25	30.63	29.76	29.00	25.92
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	180.23	179.98	163.92	145.61	130.59
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)2740	(+)3764	(+)2117	(+)8333	(+)10390
ऋण परिशोधन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	1.20	0.95	0.84	0.87	0.95
V अन्य राजकोषीय स्थिति संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	59.23 (0.67)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	7275	6846	10206	12313	18112
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.94	1.01	0.91	0.82	0.72

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिये गये विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट - 1.5 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मर्दे अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे अथवा मर्दे जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिये गये हैं। उच्चतम तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 610.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 74.62 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।

परिशिष्ट - 1.5

भाग-क

वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(संदर्भ कण्डिका 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
				2011-12				
2010-11	2011-12		2010-11	आयोजनेत्तर		आयोजना		योग
भाग-क: राजस्व								
51854.18	I.	राजस्व प्राप्तियां	62604.07	45011.59	राजस्व व्यय	36677.16	16016.55	52693.71
21419.34		- कर राजस्व	26973.44	14646.68	सामान्य सेवाएं	16091.11	137.53	16228.64
				17345.40	सामाजिक सेवाएं	10460.00	9836.94	20296.94
5719.77		- करेतर राजस्व	7482.73	8285.99	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6800.15	3008.74	9808.89
				2039.33	- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1730.75	700.63	2431.38
15638.51		- संघ करों में राज्य का भाग	18219.13	1595.84	- जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	657.69	1146.14	1803.83
1636.13		- योजनेत्तर अनुदान	2113.47	77.92	- सूचना तथा प्रसारण	87.34	5.14	92.48
				1590.32	- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	319.19	1490.49	1809.68

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2010-11			2011-12	2010-11		2011-12		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				610.86	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	477.24	176.85	654.09
				1653.25	- ऊर्जा	1344.71	726.15	2070.86
				391.78	- उद्योग तथा खनिज	955.16	252.34	1207.50
				630.76	-परिवहन	891.88	--	891.88
				45.39	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5.29	41.55	46.84
				116.73	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	58.04	83.58	141.62
				2935.03	सहायता अनुदान तथा अंशदान	2626.07	577.15	3203.22
	II.	भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घाटा		6842.59	भाग ख में अग्रेनीत राजस्व आधिक्य			9910.36
51854.18		योग	62604.07	51854.18	योग			62604.07
भाग ख								
3912.93	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	6900.44	--	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			--
366.54	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	8799.88	पूंजीगत परिव्यय	32.29	9022.87	9055.16
				178.65	सामान्य सेवाएं	11.07	156.09	167.16
				1532.03	सामाजिक सेवाएं	14.46	1584.66	1599.12
				271.16	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.50	171.22	171.72
				114.87	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	9.52	132.05	141.57
				641.55	-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	--	743.38	743.38
				--	- सूचना तथा प्रसारण	--	--	--
				344.23	- अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	--	420.74	420.74
				158.46	- समाज कल्याण तथा पोषण	4.44	102.84	107.28
				1.76	- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	14.43	14.43

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2010-11		2011-12	2010-11		2011-12			
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	
			7089.20	आर्थिक सेवाएं	6.77	7282.11	7288.88	
			225.50	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	-2.80	130.28	127.48	
			921.52	- ग्रामीण विकास	--	974.37	974.37	
			3433.07	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	3317.73	3317.73	
			409.63	- ऊर्जा	--	1025.83	1025.83	
			28.02	- उद्योग तथा खनिज	9.55	29.64	39.19	
			2029.35	- परिवहन	--	1728.41	1728.41	
			9.25	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	3.85	3.85	
			32.86	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.02	72.00	72.02	
33.65	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	9122.56	3714.73	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	14681.31	1079.25	15760.56
		- बिजली परियोजनाओं से	9084.67	3475.45	- बिजली परियोजनाओं को	14445.76	654.46	15100.22
0.49		- सरकारी कर्मचारियों से	-0.10	0.34	- सरकारी कर्मचारियों को	0.04	--	0.04
33.16		- अन्यो से	37.99	238.94	- अन्यो के लिये	235.51	424.79	660.30
1.64	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	1.85	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			3.70
6842.59	VII	अधोनीत राजस्व आधिक्य	9910.36	--	अधोनीत राजस्व घाटा			
7457.94	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	6750.25	2529.23	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3149.79
6363.46		- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	5717.65	2011.62	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2520.28
		अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन			अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन			--
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन						

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2010-11			2011-12	2010-11		2011-12		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1094.48		- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1032.60	517.61	- केन्द्र सरकार को ऋण तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	--	--	629.51
	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग	--		आकस्मिक निधि को विनियोग	--	--	100.00
	X	आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	100.00		आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	
65675.10	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	76315.22	62344.26	लोक लेखा प्राप्तियां	--	--	73279.04
1737.35		- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	2033.07	964.42	- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	--	--	1335.10
1190.83		- आरक्षित निधियां	1534.55	916.16	- आरक्षित निधियां	--	--	342.74
41810.23		- उच्चत तथा विविध	50619.85	41724.38	- उच्चत तथा विविध	--	--	50648.06
11212.55		- प्रेषण	12256.15	10693.36	- प्रेषण	--	--	11865.16
9724.14		- जमा तथा अग्रिम	9871.60	8045.94	- जमा तथा अग्रिम	--	--	9087.98
	- XII	भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तिम अधिविकर्ष	-	6900.44	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष	--	--	7775.88
				2.61	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	2.61
				-2707.88	- रिजर्व बैंक में जमा	--	--	692.55 ¹¹
				14.48	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	--	--	3.29
				9591.23	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश	--	--	7077.43
136144.57		योग	171728.20	136144.57	योग			171728.20

¹¹ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत ₹ 6.92 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 74.62 करोड़ (नामे) का कुछ अन्तर समाधान के लिए देना था। रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर एल.बी.डी. द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिकॉर्डिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी

भाग -ख

31 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ कण्डिका 1.10.1; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2012 की स्थिति में
46813.64	आन्तरिक ऋण-	50011.01
24877.38	ब्याज वाले बाजार कर्ज	28043.60
0.38	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.38
116.72	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	105.48
5570.96	अन्य संस्थाओं से कर्ज	5780.53
16248.20	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16081.02
--	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--
10955.82	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-	11358.91
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
57.58	योजनेत्तर कर्ज	53.87
10788.74	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	11303.16
16.85	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	--
90.77	केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	--
100.00	आकस्मिकता निधि	200.00
9219.87	लघु बचते, भविष्य निधियां आदि	9916.31
6518.51	जमा	7300.27
2375.56	आरक्षित निधियां	3567.37
191.59	उच्चत तथा विविध शेष	166.06
289.33	प्रेषण शेष	680.39
76464.32	योग	83200.32
	परिसम्पत्तियां	
67884.70	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	76917.21
12216.04	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	13183.59
55668.66	अन्य पूंजीगत परिव्यय	63733.62
15104.75	कर्ज तथा अग्रिम	21742.39
11344.30	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	17359.84
3731.20	अन्य विकास कर्ज	4353.52
29.25	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	29.03
-	आकस्मिकता निधि में अंतरण	100.00

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 की स्थिति	देयताएं	31.03.2012 की स्थिति में
12.85	अग्रिम	11.00
--	प्रेषण शेष	--
6900.44	रोकड़-	7775.88
2.61	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.61
-2707.88	रिजर्व बैंक में जमा	692.55 ¹²
14.48	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.29
9212.17	रोकड़ शेष निवेश	6680.13
379.06	आरक्षित निधि निवेश	397.30
-13438.42	सरकारी लेखाओं में घाटा-	-23346.16
-6842.59	(i) चालू वर्ष की राजस्व आधिक्य को घटा कर	-9910.36
0.2	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.05
1.05	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	2.68
-3.68	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-1.11
-329.66	(घ) विविध पूंजी प्राप्ति-अन्य जमा	--
-6263.75	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-13438.42
76464.32		83200.32

¹²

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 610.97 करोड़ (जमा) के मध्य अंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 74.62 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

करेतर राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभारों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ कंडिका 1.6.1; पृष्ठ 13)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	विभाग	करेतर राजस्व प्राप्तियाँ	कार्यचालन तथा संधारण व्यय	कार्यचालन तथा संधारण व्यय की तुलना में करेतर राजस्व प्राप्तिओं का अनुपात
1.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1551.15	8.14	190.56
2.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	30.25	4.60	6.58
3.	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	42.84	169.28	0.25
4.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	922.96	9.35	98.71
5.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	304.47	37.69	8.08
6.	बिजली तथा ऊर्जा	455.95	16.26	28.04
7.	परिवहन	7.44	527.15	0.01

परिशिष्ट - 1.7

2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹ 25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां
(संदर्भ कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 8)

		(₹ लाख में)	
स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएं	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2011-12)
1	2	3	4
1.	शैक्षणिक संस्थाएं	आरोग्यधाम, दीनदयाल अनुसंधान संस्था	36.95
2.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट एजेसी	51.21
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	बंधवाल शिक्षा समिति	29.54
4.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान एजेन्सी	66.55
5.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	म.प्र.आदिवासी सेवक संघ	42.32
6.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.11
7.	प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास के लिए अशासकीय संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए समर्थन	प्रौढ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	31.56
8.	प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास के लिए अशासकीय संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए समर्थन	प्रौढ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	60.60
9.	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, बीना	250.00
10.	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, खाखनार	250.00
11.	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, महिला सिंहाना, मनावर	250.00

परिशिष्ट 1.8

अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2012 की स्थिति में हानि में चलने वाले सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति (संदर्भ कंडिका 1.9.2; पृष्ठ 31)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	जिस वर्ष तक के लेखाओं को प्रस्तुत किये गये	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड,	2009-10	2.10	1.20	--	3.30	2.96	कृषि तथा सम्बद्ध
2	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित,	2010-11	81.09	--	--	81.09	601.54	वित्त
3	पिथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2011-12			11.98	11.98	7.89	निर्माण
4	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.37	निर्माण
5	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.29	निर्माण
6	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.33	निर्माण
7	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बकरा) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.31	निर्माण
8	मध्यप्रदेश जे.पी. कोल लिमिटेड	2011-12	--	--	10.00	10.00	0.08	निर्माण
9	मध्यप्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	2.00	2.00	0.34	निर्माण
10	मध्यप्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड	2011-12	--	--	21.43	21.43	1.23	निर्माण
11	मध्यप्रदेश जे.पी. कोल क्षेत्र लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.38	निर्माण
12	मध्यप्रदेश सैनिक कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	29.98	29.98	0.68	निर्माण
13	मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2184.44	--	--	2184.44	138.62	ऊर्जा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	1391.44	--	--	1391.44	4552.33	ऊर्जा
15	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	1630.91	--	--	1630.91	4497.61	ऊर्जा
16	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2010-11	1436.39	--	--	1436.39	3219.11	ऊर्जा
17	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2011-12	3924.50	--	185.00	4109.50	1348.57	ऊर्जा
18	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10	24.97	--	--	24.97	4.34	सेवा
19	कटनी सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	--	--	0.15	0.15	0.01	सेवा
20	मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम	2011-12	333.70	--	22.44	356.14	233.66	वित्त
21	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	--	141.81	1024.52	सेवा
22	मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड*	2009-10	5.92	--	--	5.92	6.33	कृषि तथा सम्बद्ध
23	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड*	2007-08	13.14	--	--	13.14	48.41	आधारभूत संरचना
24	मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड*	1989-90	5.00	--	--	5.00	2.15	आधारभूत संरचना
25	ऑप्टेल टेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड*	2009-10	--	--	23.97	23.97	131.76	निर्माण
26	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड*	2006-07	6.86	--	--	6.86	107.90	निर्माण
		Total	11150.42	33.05	311.95	11495.42	15931.72	

*अकार्यशील सरकारी कम्पनियां

परिशिष्ट - 1.9
वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राजसहायता भुगतान का विवरण
(संदर्भ कंडिका 1.7.2; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2010-11			2011-12		
			योजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	योजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशुपालन	2403-पशुपालन	--	--	--	--	4.72	4.72
2	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	--	--	--	1.84	--	1.84
3	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	--	--	--	35.02	35.02
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	--	--	--	0.08	113.94	114.02
5	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	0.80	--	0.80
6	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	1.80	--	1.80
7	गृह	2055-पुलिस	--	--	--	0.60	--	0.60
8	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म		31.09	31.09	--	69.75	69.75
9	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कर्म	3.00	182.18	185.18	3.73	401.21	404.94
10	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	25.38	25.38
11	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	--	--	--	0.50	3.29	3.79
12	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	--	--	--	0.15	0.15
13	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	--	--	--	6.01	6.01
14	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	6.85	--	6.85	18.34	--	18.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	--	---	--	65.00	--	65.00
16	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	--	--	--	0.35	--	0.35
17	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	--	--	0.03	--	0.03
18	राजस्व	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	--	--	--	12.81	--	12.81
19	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	39.52	39.52
20	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	36.99	36.99
21	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	172.52	172.52
22	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	1.01	1.01
23	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	0.70	0.70	--	0.47	0.47
24	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	--	--	--	14.00	14.00
25	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	--	--	--	11.17	11.17
26	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	0.24	0.24
27	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार	49.05	--	49.05	40.00	--	40.00
28	वन	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	--	--	--	0.06	--	0.06
29	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल /संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	--	--	--	0.24	--	0.24
30	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	--	--	--	52.91	--	52.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	सहकारिता	2425-सहकारिता	2.56	--	2.56	--	240.34	240.34
32	ऊर्जा	2801-बिजली	1,519.86	15.00	1,534.86	1,344.45	207.00	1,551.45
योग			1,581.32	228.97	1,810.29	1,543.54	1,382.73	2,926.27

परिशिष्ट - 1.10

भाग- क

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ लाखों में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 5-कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)
जल संसाधन डििवीज़न, सोहागपुर	1	तवा परियोजना (तवा आर.बी.सी. पद्धति के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण)	1306.10	2039.74	733.64	1749.91
जल संसाधन डििवीज़न नंबर 11, बैतूल	2	गोंधना टैंक	826.00	1399.57	573.57	926.65
	3	बाकुड़ टैंक	1096.00	1567.78	471.78	1414.60
	4	पचधर टैंक	298.46	717.99	419.53	595.55
	5	रबरिया टैंक	159.96	368.42	208.46	276.37
	6	मोतीधाना टैंक	188.33	429.18	240.85	355.28
	7	कौड़ी टैंक	527.08	518.64	0.00*	82.11
	8	घूंघटी टैंक	495.11	1063.17	568.06	814.20
	9	शिवमपत टैंक	396.08	657.02	260.94	512.73
मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन, ग्वालियर	10	कनेरा एल.आई.एस.	397.59	4695.39	4297.80	2302.00
	11	बर्धा नाला टैंक	125.57	950.00	824.43	997.29
मुख्य अभियंता, चंबल, बेतवा बेसिन	12	बिरहाई टैंक	838.41	2004.14	1165.73	1483.21
	13	कुशालपुरा टैंक	5250.62	8188.13	2937.51	6402.00
	14	संजय सागर आर डी (XI)	1398.20	25033.00	23634.80	19244.16
	15	सगढ़ आर डी (XVII)	1063.11	22676.51	21613.40	16917.10
	16	रहती, गंज बसोदा	2835.25	4709.75	1874.50	3740.64
योग	16		17201.87	77018.43	59825.00	57813.80

टिपणी: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार

* कोई भी लागत आधिक्य नहीं हुआ।

परिशिष्ट - 1.10

भाग- ख

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ लाखों में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	व्यय/लागत आधिक्य	मार्च 2012 की स्थिति में संचयी वास्तविक व्यय
मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन, ग्वालियर	1	सिंद रमउआ	1951.62	--	--	1380.00
	2	सबलगढ़ टैंक	147.00	--	--	179.38
जल संसाधन डिवीज़न नंबर 2, बैतूल	3	धनगाव टैंक	343.66	--	--	330.09
जल संसाधन डिवीज़न, रेहती, जिला-सीहोर	4	मारदनपुर एलआईएस	1628.00	--	--	1107.31
	5	कोलार परियोजना नहर को सुदृढ़ हुआ	815.00	--	--	677.67
योग	5		4885.28	--	--	3674.45

टिप्पणी: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार

कुल प्रारंभिक लागत (16 + 5) 21 परियोजनायें = (17201.87 + 4885.28) = 22087.15

31.03.2012 तक कुल संचयी वास्तविक व्यय (16+5) 21 परियोजनायें = (57813.80 + 3674.45) = 61488.25

परिशिष्ट - 1.10

भाग- ग

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया
नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 4- कॉलम 5)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)
नर्मदा घाटी विकास विभाग	1	बरगी व्यपवर्ती परियोजना	1101.23	5127.22	4025.99	1572.49
	2	इंदिरा सागर परियोजना (इकाई - II)	2167.67	3151.18	983.51	3327.87
	3	ओंकारेश्वर (इकाई -II)	788.00	2921.54	2133.54	1176.36
	4	रानी अवन्ति बाई लोधी सागर परियोजना (आर.ए.बी.एल.एस.)	566.34	1514.89	948.55	1562.48
	5	अपर बेड़ा	89.51	224.41	134.90	214.94
	6	पुनासा एल.आई.एस.	185.04	488.06	303.02	436.70
	7	लोवर गोई	98.09	360.37	262.28	222.96
योग			4995.88	13787.67	8791.79	8513.80

परिशिष्ट - 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	6800.10	3650.31	53.68
2.	03	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	72.34	37.47	51.80
3.	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	6509.81	1966.21	30.20
4.	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	14.78	14.23	96.28
5.	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1618.30	1501.78	92.80
6.	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	882.44	193.14	21.88
7.	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	49.51	16.18	32.68
8.	10	वन (राजस्व प्रभारित)	12.53	12.09	96.49
9.	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	60.58	13.04	21.52
10.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	113.15	91.25	80.64
11.	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	154.20	44.23	28.68
12.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	686.95	137.82	20.06
13.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	65.04	14.69	22.59
14.	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	459.30	386.38	84.12
15.	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	136.58	37.74	27.63
16.	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	245.53	76.08	30.99
17.	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट (राजस्व दत्तमत)	112.42	109.64	97.53
18.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	416.06	137.61	33.07
19.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	37.30	11.23	30.11

1	2	3	4	5	6
20.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत)	358.28	142.06	39.65
21.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	148.81	70.36	47.28
22.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	619.18	258.30	41.72
23.	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	56.21	18.33	32.61
24.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूंजीगत दत्तमत)	108.61	41.39	38.11
25.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	64.68	16.69	25.80
26.	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	31.32	10.76	34.35
27.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व प्रभारित)	200.80	60.65	30.20
28.	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	28.39	15.76	55.51
29.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	1375.64	322.39	23.43
योग			21438.84	9407.81	43.88

परिशिष्ट - 2.2(क)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5849-6.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	54.00	86.98	32.98	61.07
2.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4487 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	650.00	1043.53	393.53	60.54
3.	लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	380.00	608.21	228.21	60.05
4.	लोक ऋण	6004-03-800-8437-त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2.71	16.24	13.53	499.26
5.	लोक ऋण	6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1.76	15.68	13.92	790.91
6.	लोक ऋण	6004-04-800-6420-माइक्रो मेनेजमेंट हेतु उधार	2.02	53.67	51.65	2556.93
7.	01-सामान्य प्रशासन	2013-105-5839-मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान	30.00	41.04	11.04	36.80
8.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	7.00	18.07	11.07	158.14
9.	06-वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	260.00	345.35	85.35	32.83
10.	06-वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	75.00	114.47	39.47	52.63
11.	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	90.46	15.46	20.61
12.	06-वित्त	2075-797-6857-प्रतिभूति रिडम्पशन निधि में हस्तांतरण	1.00	18.64	17.64	1764.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	07-वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455-- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	30.00	40.22	10.22	34.07
14.	07-वाणिज्यिक कर	2039-104-4173- स्प्रिट की खरीद	15.00	59.21	44.21	294.73
15.	12-ऊर्जा	2801-80-101-5855-मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु क्षतिपूर्ति	262.00	1046.70	784.70	299.50
16.	12-ऊर्जा	6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	नगण्य	103.82	103.82	नगण्य प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य
17.	12-ऊर्जा	6801-204-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	28.81	61.05	32.24	111.90
18.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	35.69	45.88	10.19	28.55
19.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-800-0420- खनिज क्षेत्र विकास निधि- 6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	61.86	84.34	22.48	36.34
20.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6229- चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	3.00	14.33	11.33	377.67
21.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	124.40	162.91	38.51	30.96
22.	23-जल संसाधन	4700-13-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	100.00	120.45	20.45	20.45

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
23.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6651-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	21.00	35.02	14.02	66.76
24.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-03-337-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-0948- केन्द्रीय सड़क निधि	189.00	246.32	57.32	30.33
25.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	7.00	37.00	30.00	428.57
26.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0.50	14.42	13.92	2784.00
27.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6813-साइकिलों का प्रदाय	31.09	56.24	25.15	80.89
28.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 2425-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7895-दाम दुपट योजना	0.02	32.31	32.29	161450.00
29.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	72.31	92.62	20.31	28.09
30.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-45-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-9091-ओंकारेश्वर परियोजना	213.79	266.54	52.75	24.67
31.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	85.73	245.60	159.87	186.48

1	2	3	4	5	6	7
32.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9091-ओंकारेश्वर परियोजना	3.93	47.77	43.84	1115.52
33.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-5198-इंदिरा आवास योजना	28.88	42.73	13.85	47.96
34.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	19.57	42.84	23.27	118.90
35.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	104.38	443.61	339.23	324.99
36.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें	42.52	66.51	23.99	56.42
37.	64-अनुसूचित जाति उपयोगना	15- सहकारिता विभाग 2425-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोगना-7895- दाम दुपट योजना	0.02	13.39	13.37	66850.00
38.	64-अनुसूचित जाति उपयोगना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103- अनुसूचित जाति उपयोगना-6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0.20	14.12	13.92	6960.00
39.	64-अनुसूचित जाति उपयोगना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोगना-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	1.60	14.56	12.96	810.00
40.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5198-इंदिरा आवास योजना	35.22	55.25	20.03	56.87

1	2	3	4	5	6	7
41.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	159.15	237.60	78.45	49.29
42.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	33.57	105.11	71.54	213.11
योग			3248.73	6300.81	3052.08	93.95

परिशिष्ट - 2.2(ख)
प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6804-6.35 प्रतिशत-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	25.45	निरंक	25.45	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46.80	निरंक	46.80	100
3.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
4.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10.00	निरंक	10.00	100
5.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	5.50	निरंक	5.50	100
6.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5.00	निरंक	5.00	100
7.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	8.01	निरंक	8.01	100
8.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	22.46	निरंक	22.46	100
9.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	55.92	निरंक	55.92	100
10.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
11.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779 - कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
12.	06	वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5652-मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष योजना	5.00	निरंक	5.00	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	06	वित्त	2054-095-6217-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा	7.50	निरंक	7.50	100
14.	06	वित्त	2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0224-अन्य व्यय	1109.71	निरंक	1109.71	100
15.	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
16.	10	वन	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण (भारित)	12.00	निरंक	12.00	100
17.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5380-आटो टेस्टिंग ट्रेक के लिए भू-अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, भू-अर्जन मुआवजा	38.98	निरंक	38.98	100
18.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6487-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबीटेड	22.58	निरंक	22.58	100
19.	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	22.15	निरंक	22.15	100
20.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-6034-स्वजल धारा कार्यक्रम	25.00	निरंक	25.00	100
21.	23	जल संसाधन	4700-21-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	34.15	निरंक	34.15	100
22.	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	5.00	निरंक	5.00	100
23.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	318.40	निरंक	318.40	100
25.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	31.79	निरंक	31.79	100
26.	34	सामाजिक न्याय	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5758-कुशाभारु अंशदायी पेंशन योजना	5.50	निरंक	5.50	100
27.	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6648-वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास	100.00	निरंक	100.00	100
28.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	8.00	निरंक	8.00	100
29.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	51.26	निरंक	51.26	100
30.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	10.60	निरंक	10.60	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग- 6425-796-106-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	15.95	निरंक	15.95	100
32.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-796-337-1502- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 0948-केंद्रीय सड़क निधि	10.00	निरंक	10.00	100
33.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6708- ए.आई.बी.पी. योजनाएं	20.00	निरंक	20.00	100
34.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6399- इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)	25.00	निरंक	25.00	100
35.	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6403- इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1) का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	27.00	निरंक	27.00	100
36.	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6942- ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह	5.00	निरंक	5.00	100
37.	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-198-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6487-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेट	22.68	निरंक	22.68	100
38.	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	15.00	निरंक	15.00	100
39.	58	प्राकृतिक आपदाओ एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-102-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरूद्धार एवं पुनर्भरण	6.30	निरंक	6.30	100
41.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरूद्धार एवं पुनर्भरण	24.48	निरंक	24.48	100
42.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9186-खेत तालाब योजना	6.02	निरंक	6.02	100
43.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6080-भण्डार एवं विपणन	47.45	निरंक	47.45	100
44.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6080-भण्डार एवं विपणन	169.24	निरंक	169.24	100
45.	63	अल्प संख्यक कल्याण	2225-03-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5617-अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	8.00	निरंक	8.00	100
46.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	6.40	निरंक	6.40	100
47.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	84.95	निरंक	84.95	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-789-206-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन(13वाँ वित्त आयोग)	7.55	निरंक	7.55	100
49.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-789-106-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक	11.90	निरंक	11.90	100
50.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5534-परिवहन	5.90	निरंक	5.90	100
51.	69	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान	10.76	निरंक	10.76	100
52.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6487-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेट	78.94	निरंक	78.94	100
53.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-6364-बी.पी.एल. सर्वे	12.00	निरंक	12.00	100
54.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान	20.62	निरंक	20.62	100
55.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	6.00	निरंक	6.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-80-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6607-शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान	50.00	निरंक	50.00	100
57.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
58.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
59.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	25.60	निरंक	25.60	100
योग				6873.50		6873.50	

परिशिष्ट - 2.3

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई चर्चा की स्थिति
1	2	3	4	5
1997-1998	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7,20,24, 27,58, 67 पूँजीगत (दत्तमत): 20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 31,67	302.79	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
1998-1999	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62	0.10	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 14,27,44,50,59 पूँजीगत (दत्तमत): 3,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूँजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
2000-2001	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 2,70 पूँजीगत (दत्तमत) : 88 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूँजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
2002-2003	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूँजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹ 31,000 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
2003-2004	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 68,84 पूँजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूँजीगत (प्रभारित): 23	2.54	अनुदान संख्या 68 के संदर्भ में ₹ 1,23,66,250 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
2004-2005	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूँजीगत (दत्तमत): 6,19,30,59, 66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूँजीगत (प्रभारित): 45	83.66	अनुदान संख्या 84 एवं 86 के संदर्भ में ₹ 4,08,87,394 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।
2005-2006	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूँजीगत(दत्तमत) : 6,39 पूँजीगत(प्रभारित): 21,45	37.58	अनुदान संख्या 39 के संदर्भ में ₹ 2,26,58,105 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5
2006-2007	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत(प्रभारित) : 24	35.99	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2008-2009	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूंजीगत(दत्तमत) : 43 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80	अनुदान संख्या 62 एवं 24 (दोनों प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 4.18 करोड़ को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2009-2010	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96	अनुदान संख्या 27 एवं 49 के संदर्भ में ₹ 36.35 करोड़ को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2010-2011	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत(प्रभारित): 24	12.62	लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
योग	57 अनुदान एवं 30 विनियोग		2879.84	

परिशिष्ट - 2.4

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	231.93	214.74	17.19	20.84
2.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	34.08	34.05	0.03	1.76
3.	03- पुलिस	2485.29	2365.47	119.82	73.20
4.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.08	16.14	1.94	2.84
5.	06- वित्त	6503.67	4543.60	1960.07	6.14
6.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	849.64	689.30	160.34	32.80
7.	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	48.27	33.32	14.95	1.23
8.	10- वन	1207.29	1088.53	118.76	75.75
9.	15- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1079.01	913.49	165.52	10.94
10.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.28	300.93	58.35	3.78
11.	21- आवास एवं पर्यावरण	100.68	96.05	4.63	4.78
12.	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	106.63	92.72	13.91	4.89
13.	23- जल संसाधन	635.97	576.81	59.16	19.22
14.	26- संस्कृति	94.34	94.06	0.28	12.35
15.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4133.72	3856.31	277.41	316.71
16.	29- विधि और विधायी कार्य	561.12	549.13	11.99	125.83
17.	31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	456.97	72.92	384.05	2.33
18.	34- सामाजिक न्याय	125.78	98.84	26.94	10.80
19.	38- आयुष	245.02	169.45	75.57	0.51
20.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	12.43	2.78	9.65	100.00
21.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2186.91	2069.37	117.54	169.63
22.	44- उच्च शिक्षा	879.38	717.08	162.30	0.81
23.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	80.95	79.82	1.13	4.50
24.	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	188.72	177.08	11.64	7.90

1	2	3	4	5	6
25.	53- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	64.80	59.72	5.08	7.95
26.	56- ग्रामोद्योग	83.10	81.37	1.73	0.52
27.	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	139.23	78.45	60.78	9.58
28.	63- अल्प संख्यक कल्याण	44.46	37.88	6.58	11.75
29.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	1555.07	1434.99	120.08	134.97
30.	65- विमानन	16.17	15.02	1.15	3.52
31.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	63.07	47.99	15.08	1.62
32.	69- सूचना प्रौद्योगिकी	28.92	20.56	8.36	2.40
33.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	56.36	52.27	4.09	7.34
34.	73- चिकित्सा शिक्षा	272.13	270.44	1.69	21.08
35.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4465.36	4198.90	266.46	275.21
36.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3420.22	3402.64	17.58	278.32
37.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1264.20	1053.24	210.96	111.44
योग (क)		34098.25	29605.46	4492.79	1875.24
ख - पूंजीगत (दत्तमत)					
38.	03- पुलिस	53.80	34.88	18.92	18.54
39.	06- वित्त	1518.30	116.52	1401.78	100.00
40.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	178.85	178.65	0.20	38.98
41.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62.10	21.90	40.20	51.05
42.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1275.77	1199.07	76.70	207.00
43.	26- संस्कृति	1.89	1.89	-	2.50
44.	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	339.05	276.45	62.60	75.02
45.	48- नर्मदा घाटी विकास	759.70	700.85	58.85	5.32
46.	60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	163.69	163.00	0.69	1.60

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
47.	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	599.18	360.88	238.30	20.00
48.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	98.11	67.22	30.89	10.50
योग (ख)		5050.44	3121.31	1929.13	530.51
ग - राजस्व - प्रभारित					
49.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5342.18	5284.59	57.59	226.13
50.	01-सामान्य प्रशासन	16.19	13.32	2.87	2.27
51.	29-विधि और विधायी कार्य	63.26	50.34	12.92	1.78
योग (ग)		5421.63	5348.25	73.38	230.18
महायोग (क+ख+ग)		44570.32	38075.02	6495.30	2635.93

परिशिष्ट - 2.5
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	07- वाणिज्यिक कर	1308.53	178.54	1376.12	110.95
2.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	153.02	59.93	203.89	9.06
3.	12- ऊर्जा	1588.45	382.47	1964.31	6.61
4.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	865.12	183.66	896.42	152.36
5.	14- पशुपालन	460.98	44.53	461.22	44.29
6.	16- मछली पालन	46.05	14.53	47.54	13.04
7.	17- सहकारिता	223.36	234.13	422.14	35.35
8.	18- श्रम	63.82	36.05	91.44	8.43
9.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1719.84	80.56	1724.56	75.84
10.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	679.60	240.62	813.54	106.68
11.	25- खनिज साधन	20.95	4.63	21.15	4.43
12.	30- ग्रामीण विकास	314.69	50.56	330.32	34.93
13.	32- जनसंपर्क	116.39	25.25	139.06	2.58
14.	37- पर्यटन	22.54	9.65	31.91	0.28
15.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	752.92	403.46	1142.91	13.47
16.	43- खेल और युवक कल्याण	36.80	28.11	59.91	5.00
17.	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	274.68	39.79	284.66	29.81
18.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	60.58	1.31	60.81	1.08
19.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1407.66	315.43	1481.59	241.50
20.	55- महिला एवं बाल विकास	1498.02	591.39	2048.91	40.50
21.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	819.16	250.23	907.88	161.51
22.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	398.98	106.40	499.09	6.29

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
23.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	364.53	56.87	365.26	56.14
24.	70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.70	3.73	6.76	0.67
	कुल (क)	13200.37	3341.83	15381.40	1160.80
ख - पूंजीगत (दत्तमत)					
25.	01- सामान्य प्रशासन	10.40	9.39	11.52	8.27
26.	05- जेल	0.25	9.65	9.08	0.82
27.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	25.91	4.13	29.51	0.53
28.	12- ऊर्जा	1743.44	13947.26	15505.40	185.30
29.	17- सहकारिता	46.25	305.05	329.15	22.15
30.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	403.44	60.08	404.60	58.92
31.	23- जल संसाधन	722.78	245.15	862.17	105.76
32.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	22.57	10.51	31.60	1.48
33.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1489.25	268.43	1587.02	170.66
34.	43- खेल और युवक कल्याण	15.31	12.81	26.85	1.27
35.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	308.79	245.00	490.95	62.84
36.	55- महिला एवं बाल विकास	66.30	15.04	66.34	15.00
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	927.79	277.38	971.87	233.30
38.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	4.30	4.36	6.42	2.24
39.	73- चिकित्सा शिक्षा	18.93	12.86	30.98	0.81
	कुल (ख)	5805.71	15427.10	20363.46	869.35
ग - राजस्व (प्रभारित)					
40.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	74.15	126.65	140.15	60.65
	कुल (ग)	74.15	126.65	140.15	60.65
घ - पूंजीगत (प्रभारित)					
41.	48- नर्मदा घाटी विकास	0.40	0.65	0.74	0.31
	कुल (घ)	0.40	0.65	0.74	0.31
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	19080.63	18896.23	35885.75	2091.11

अतिरिक्त आवश्यकता :- वास्तविक व्यय - मूल प्रावधान= 35885.75-19080.63=16805.12

परिशिष्ट - 2.6

विभिन्न अनुदान/ विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व (दत्तमत्त)							
1.	33	आदिम जाति कल्याण	939.48	4.13	943.61	954.49	10.88
योग			939.48	4.13	943.61	954.49	10.88

परिशिष्ट - 2.7
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण
(संदर्भ कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6904-हुडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज	(+) 1.68	(-) 4.92	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3752-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	(+) 0.39	(-) 7.88	100
3.	03	पुलिस	2055-114-4155-बेतार केंद्र भोपाल/ग्वालियर	(+) 0.34	(-) 7.05	100
4.	03	पुलिस	2055-001-3680-राज्य मुख्यालय	(+) 4.75	(-) 3.25	68.42
5.	10	वन	2406-01-001-3555-मुख्यालय	(+) 2.27	(-) 5.37	100
6.	10	वन	2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान	(+) 0.97	(-) 4.97	100
7.	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-001-01119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	(-) 0.50	(+) 8.43	100
8.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6036-आपातकालीन चिकित्सा सेवायें एम्बुलेंस के परिचालन व्यय हेतु अनुदान	(-) 1.04	(+) 1.07	100
9.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-01-102-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	(+) 9.49	(-) 2.50	26.34
10.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	(+) 3.46	(-) 1.26	36.42
11.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-01-001-2294-निर्देशन	(+) 0.45	(-) 4.05	100
12.	23	जल संसाधन	4700-26-800-1501-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 2.96	(-) 9.85	100
13.	23	जल संसाधन	4701-40-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(+) 5.00	(-) 5.00	100
14.	23	जल संसाधन	4701-80-0101-3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(+) 13.65	(-) 14.65	100
15.	23	जल संसाधन	4701-80-0101-5583-सेमरी तालाब	(+) 8.80	(-) 8.80	100
16.	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-5594-तवा बांयी नहर प्रणाली के चार एक्वाडक्ट	(+) 1.00	(-) 1.98	100

1	2	3	4	5	6	7
17.	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5595-अपर ककेटो बांध परियोजना	(+) 12.02	(-) 8.02	66.72
18.	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	5054-04-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(-) 2.74	(+) 12.39	100
19.	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-103-4009-विधानसभा सचिवालय	(+) 1.39	(-) 1.62	100
20.	33	आदिम जाति कल्याण	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	(-) 0.06	(+) 12.44	100
21.	38	आयुष	2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0461-आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	(+) 0.10	(-) 3.80	100
22.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-5624-सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन	(+) 17.95	(-) 17.95	100
23.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-5645-अन्त्योदय अन्न योजना	(-) 17.95	(+) 17.95	100
24.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-794-0602-5211- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(+) 5.77	(-) 5.42	93.93
25.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग- 4700-65-796-800-1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5090-अपर वेदा परियोजना	(+) 6.75	(-) 1.86	27.56
26.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-796-337-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-0948- केंद्रीय सड़क निधि	(-) 0.56	(+) 7.89	100
27.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7444-गारलैंडिंग योजना	(-) 2.93	(+) 2.48	84.64
28.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-I एवं यूनिट-II)	(+) 2.91	(-) 5.22	100
29.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8191-निष्पादन स्थापना (यूनिट-II)	(+) 1.03	(-) 3.47	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
30.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	(-) 0.31	(+) 1.95	100
31.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	(-) 2.44	(+) 2.73	100
32.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 1.25	(-) 1.39	100
33.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1503- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+) 16.18	(-) 8.89	54.94
34.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-789-103-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	(+) 3.00	(-) 1.58	52.67
35.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण कार्य विभाग 5054-03-789-337-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	(-) 4.01	(+) 5.90	100
36.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग- 2225-01-277-0103-4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	(-) 4.07	(+) 2.79	68.55
37.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-) 0.31	(+) 2.24	100
38.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	(-) 0.05	(+) 0.73	100
39.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	(-) 0.06	(+) 2.36	100
40.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-) 1.30	(+) 1.40	100

परिशिष्ट - 2.8
पुनर्विनियोजनों/ समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां
(संदर्भ कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
1	2	3	4	5
1.	8	11,17,20,21,31,51, 53,58	250.90	संस्वीकृति वित्त वर्ष 2011-12 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गयी थी।
2.	8	1,2,8,23,36,41,55,	49.72	जहाँ से संस्वीकृति/समर्पण स्वीकृत की गयी थी वहाँ बजट प्रावधान उपलब्ध न होना।
3.	3	15,52,74	124.20	राजस्व से पूंजीगत में तथा इसका उल्टा अनियमित पुनर्विनियोजन।
4.	2	06	0.35	संस्वीकृति का पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
5.	2	5,34	1.17	समर्पण/पुनर्विनियोजन के योग में त्रुटि।
6.	2	13,64	7.58	समर्पण राशि के लिए स्वीकृति का दोबारा जारी होना।
7.	2	41,03	170.73	समर्पण स्वीकृति में शामिल आधिक्य के लिए पुनर्विनियोजन का अलग से स्वीकृति जारी न करना।
8.	1	26	0.06	वित्त विभाग के सहमति के बिना वेतन से पुनर्विनियोजन
योग	28	26	604.71	

परिशिष्ट - 2.9

वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान की संख्या तथा नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	समर्पण की राशि (₹ करोड़ में)	समर्पण का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5631- वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	2.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
2.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5652- मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष योजना	5.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
3.	06-वित्त	6801-800-6443- अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	1400.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
4.	07-वाणिज्यिक कर	2045-101-5886- छविगृह इकाईयों का निराकरण	1.60	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
5.	17-सहकारिता	6425-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	22.15	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण कृषकों के ऋण के परिवर्तन हेतु सहकारी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।				
6.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6623- बेटा बचाओ अभियान	1.72	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
7.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6636- प्रदेश में खारापानी प्रभावित ग्रामों के लिए पेयजल व्यवस्था	2.50	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
8.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	2217-05-191-6583- अग्निशमन सेवाओं हेतु नगरीय निकायों को अनुदान	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वेतन, भत्ते एवं मानदेय का भुगतान न होने के कारण हुई।				
9.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	318.40	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण, 2011-12 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमानों में विभिन्न राज्य योजना में पर्याप्त प्रावधान दिये जाने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
10.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6268- यूनिट नम्बर आइडेनटिफिकेशन एजेन्सी के लिए प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	31.79	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण आधार कार्ड योजना के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई।				
11.	34-सामाजिक न्याय	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5758- कुशाभारु अंशदायी पेंशन योजना	5.50	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
12.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6544- सिचाई समितियों को अनुदान	1.44	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण किसानों द्वारा अंशदान की राशि जमा न कराये जाने के कारण हुई।				
13.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6305- सिचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1.26	100
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
14.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6648- वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास	100.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
15.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	8.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
16.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	51.26	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
17.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए.के. लिये प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	10.60	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
18.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6902-जनश्री जीवन बीमा योजना	2.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
19.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाजिक न्याय विभाग 2235-60-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	2.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
20.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-796-106-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	15.95	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण सहकारी बैंक से कृषकों के ऋण के परिवर्तन के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
21.	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6412- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आई.टी.आई. एवं स्किल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना	1.90	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
22.	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4326- सघन फलोद्यान विकास योजना	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण योजना अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई।				
23.	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6498- उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना	1.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
24.	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	15.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण द्वितीय अनुपूरक बजट में लाइली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				
25.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6109- जल संरचनाओं का सुधार पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	6.30	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
26.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-9186- खेत तालाब योजना	2.20	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
27.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6109- जल संरचनाओं का सुधार पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	24.48	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
28.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9186-खेत तालाब योजना	6.02	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
29.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6080- भण्डार एवं विपणन	47.45	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से जारी राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
30.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6080- भण्डार एवं विपणन	169.24	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
31.	63-अल्प संख्यक कल्याण	2225-03-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5617- अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	8.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
32.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	6.40	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
33.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	84.95	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य की विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान में पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				
34.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-789-206-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6268- यू.आई.डी.ए.के. लिये प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	7.55	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य की विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान में पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
35.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	26- सामाजिक न्याय विभाग 2235-60-789-800-0103- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	2.50	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
36.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-789-106-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	11.90	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण सहकारी बैंक से कृषकों के ऋण के परिवर्तन के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	3.56	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
38.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-003-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई।				
39.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5635- बाबू जगजीवन राम छात्रावास	3.56	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
40.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5534- परिवहन	5.90	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण संबंधित विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण हुई।				
41.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	2.30	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
42.	69-सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6873- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान	10.76	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
43.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2215-01-102-2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	1.06	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
44.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2215-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना- 6364- बी.पी.एल. सर्वे	12.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
45.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	6.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
46.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-6552- 13 वें वित्त आयोग अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	1.32	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों के अनुसार निधियों के आहरण होने के कारण हुई।				
47.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-80-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6607- शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान	50.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त न होने के कारण हुई।				
48.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण हुई।				
49.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण हुई।				
50.	76- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-60-600-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3220- म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	1.15	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
51.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	25.60	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
योग			2524.27	

परिशिष्ट - 2.10

(क) वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ एक करोड़ या इससे अधिक)
(संदर्भ कंडिका 2.3.11; पृष्ठ 59 व 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण की राशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	252.77	38.03	39.90	1.87
2.	12- ऊर्जा	1970.92	6.62	7.26	0.64
3.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	112.43	109.64	109.69	0.05
4.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	108.61	41.39	43.62	2.23
5.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	63.70	11.42	11.54	0.12
	योग	2508.43	207.10	212.01	4.91

(ख) आधिक्य के उपरांत प्रावधान का समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	आधिक्य	समर्पित राशि
1	2	3	4	5
राजस्व (दत्तमत)				
1.	33- आदिम जाति कल्याण	943.61	10.87	0.76
	योग	943.61	10.87	0.76

परिशिष्ट - 2.11

विभिन्न अनुदान / विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है
(संदर्भ कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	3	4
I -अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	62.13
2.	21	आवास एवं पर्यावरण	9.42
3.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	106.69
4.	26	संस्कृति	12.63
5.	38	आयुष	76.08
6.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	13.47
7.	43	खेल और युवक कल्याण	5.00
8.	49	अनुसूचित जाति कल्याण	1.08
9.	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.28
10.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	161.51
11.	62	पंचायत	12.54
12.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	56.14
13.	73	चिकित्सा शिक्षा	22.77
पूँजीगत (दत्तमत)			
14.	26	संस्कृति	2.50
15.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2.69
16.	43	खेल और युवक कल्याण	1.27
17.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50
18.	73	चिकित्सा शिक्षा	0.81
II -विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
19.	10	वन	12.09
20.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.24
21.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.30
22.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.81
23.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	0.24
24.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2.05
25.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	0.26
पूँजीगत (प्रभारित)			
26.	लोक ऋण	लोक ऋण	3650.31
27.	48	नर्मदा घाटी विकास	0.32
योग			4228.13

परिशिष्ट - 2.12

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण
(परिशिष्ट - 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)
(संदर्भ कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई
1	2	3	4	5
राजस्व (प्रभारित)				
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	283.72	0.06	283.66
2.	01-सामान्य प्रशासन	5.14	0.73	4.41
3.	06-वित्त	14.23	0.003	14.227
4.	29-विधि और विधायी कार्य	14.69	12.22	2.47
राजस्व (दत्तमत)				
5.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.79	0.79	1.00
6.	03-पुलिस	193.02	32.20	160.82
7.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4.78	2.57	2.21
8.	05-जेल	3.06	2.02	1.04
9.	06-वित्त	1966.21	53.66	1912.55
10.	07-वाणिज्यिक कर	110.95	76.71	34.24
11.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	193.14	189.47	3.67
12.	10-वन	194.52	8.05	186.47
13.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	9.07	0.69	8.38
14.	14-पशुपालन	44.30	43.18	1.12
15.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	176.45	144.19	32.26
16.	16-मछली पालन	13.04	1.43	11.61
17.	18-श्रम	8.42	6.72	1.70
18.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	75.84	68.88	6.96
19.	23-जल संसाधन	78.39	4.67	73.72
20.	25-खनिज साधन	4.44	3.22	1.22
21.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	594.12	13.18	580.94
22.	28-राज्य विधान मंडल	6.68	2.45	4.23
23.	29-विधि और विधायी कार्य	137.82	98.78	39.04
24.	30-ग्रामीण विकास	34.93	1.95	32.98
25.	32-जनसंपर्क	2.58	1.03	1.55
26.	34-सामाजिक न्याय	37.74	32.40	5.34
27.	36-परिवहन	11.00	8.07	2.93

1	2	3	4	5
28.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	287.16	239.00	48.16
29.	44-उच्च शिक्षा	163.11	134.48	28.63
30.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	5.63	4.53	1.10
31.	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	29.81	27.49	2.32
32.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	241.50	173.94	67.56
33.	55-महिला एवं बाल विकास	40.50	36.08	4.42
34.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	255.06	245.59	9.47
35.	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	6.29	2.77	3.52
36.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	541.67	225.26	316.41
37.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	295.90	263.17	32.73
38.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	322.39	101.99	220.40
पूँजीगत (दत्तमत)				
39.	01-सामान्य प्रशासन	8.28	1.50	6.78
40.	06-वित्त	1501.78	1404.68	97.10
41.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	39.18	0.0011	39.179
42.	12-ऊर्जा	185.30	184.08	1.22
43.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	91.25	79.25	12.00
44.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	58.92	3.90	55.02
45.	23-जल संसाधन	105.76	2.90	102.86
46.	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	283.70	281.93	1.77
47.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	170.65	140.96	29.69
48.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	137.61	133.78	3.83
49.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	62.84	1.91	60.93
50.	48-नर्मदा घाटी विकास	64.17	28.74	35.43
51.	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	142.06	36.08	105.98
52.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	258.29	229.29	29.00
53.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	233.31	207.42	25.89
योग		9752.19	5000.04	4752.15

परिशिष्ट - 2.13

30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भ कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	03	2055	2435.90	19.06	0.78
2.	03	2070	120.60	13.15	10.90
3.	03	4055	67.84	34.77	51.25
4.	06	2052	56.08	10.49	18.71
5.	06	2075	39.45	28.78	72.95
6.	06	6801	1400.00	1400.00	100.00
7.	07	2039	1082.18	50.03	4.62
8.	07	2040	150.26	24.82	16.52
9.	08	2029	503.21	132.59	26.35
10.	08	2053	376.28	56.85	15.11
11.	12	6801	15151.12	184.08	1.21
12.	13	2401	994.28	116.27	11.69
13.	14	2403	505.79	43.18	8.54
14.	15	2501	211.87	55.33	26.12
15.	15	2505	115.42	29.46	25.52
16.	15	2515	301.51	39.93	13.24
17.	17	2425	457.49	35.20	7.69
18.	19	2210	1445.28	30.60	2.12
19.	19	2211	352.08	38.28	10.87
20.	19	4210	113.15	79.25	70.04
21.	24	5054	1568.17	277.65	17.71
22.	27	2202	4450.66	13.18	0.30
23.	29	2014	545.91	83.28	15.26
24.	29	2015	87.43	27.27	31.19
25.	31	3451	348.01	10.27	2.95
26.	31	3454	111.31	57.62	51.77
27.	40	2705	112.43	109.69	97.56
28.	41	2202	655.02	12.03	1.84
29.	41	2225	385.84	36.59	9.48
30.	41	2235	259.56	29.06	11.20
31.	41	2401	230.08	33.73	14.66
32.	41	3454	10.60	10.60	100.00
33.	41	4210	82.23	45.00	54.72
34.	41	4215	126.96	30.12	23.72
35.	41	4701	254.52	31.58	12.41
36.	42	5054	414.07	133.78	32.31
37.	52	2501	270.73	39.95	14.76
38.	52	2505	200.18	49.50	24.73
39.	52	2515	369.61	62.43	16.89
40.	53	2215	72.75	10.93	15.02
41.	55	2235	1401.78	34.80	2.48

1	2	3	4	5	6
42.	55	4235	81.34	15.00	18.44
43.	57	4700	358.28	36.08	10.07
44.	61	2403	61.18	31.36	51.26
45.	61	2515	39.00	39.00	100
46.	61	4702	146.24	10.72	7.33
47.	67	4059	65.46	18.83	28.77
48.	67	4210	15.65	11.41	72.91
49.	77	2202	1336.01	97.47	7.30
50.	76	2810	28.39	15.16	53.40
51.	09	2058	49.49	16.00	32.33
52.	34	2235	136.61	16.99	12.44
53.	44	2202	880.50	134.48	15.27
54.	47	2230	133.78	19.50	14.58
55.	48	4700	543.10	13.64	2.51
56.	48	4801	213.02	15.10	7.09
57.	50	2401	196.65	19.19	9.76
58.	63	2225	56.21	18.33	32.61
59.	68	2215	64.69	16.69	25.80
60.	69	3425	31.32	10.76	34.36
61.	74	2501	483.61	57.06	11.80
62.	74	2202	1696.63	44.21	2.61
63.	74	2515	991.57	57.84	5.83
64.	74	2505	179.40	37.68	21.00
65.	75	2217	872.28	214.80	24.63
66.	75	3604	2494.98	89.95	3.61
67.	64	2225	341.08	24.53	7.19
68.	64	2401	179.73	36.06	20.06
69.	64	4210	87.74	36.25	41.32
70.	64	4215	153.56	28.65	18.66
71.	64	5054	252.86	115.89	45.83
72.	64	6425	11.90	11.90	100
योग			50019.90	4871.71	9.74

परिशिष्ट - 2.14
व्यय की अधिकता
(संदर्भ कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	03-पुलिस	2643	35.24	33.19	37.00	95.24	89.70
2.	03-पुलिस	6065	11.75	11.21	13.16	89.28	85.18
3.	06-वित्त	5614	20.00	20.00	20.00	100	100
4.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7880	164.72	150.79	209.00	78.81	72.15
5.	12-ऊर्जा	3218	305.00	305.00	305.00	100	100
6.	12-ऊर्जा	5607	134.10	134.10	207.00	64.78	64.78
7.	12-ऊर्जा	6326	20.00	20.00	20.00	100	100
8.	12-ऊर्जा	6659	10256.93	10256.93	10256.93	100	100
9.	12-ऊर्जा	6660	1300.17	1300.17	1300.17	100	100
10.	12-ऊर्जा	6661	454.28	454.28	454.28	100	100
11.	12-ऊर्जा	7900	190.86	176.56	273.78	69.71	64.49
12.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6366	35.01	35.01	35.01	100	100
13.	14-पशुपालन	6295	13.24	13.24	13.58	97.50	97.50
14.	14-पशुपालन	7155	13.08	13.08	18.51	70.66	70.66
15.	17-सहकारिता	6934	103.17	103.17	103.46	99.72	99.72
16.	17-सहकारिता	9254	140.67	140.67	240.34	58.53	58.53
17.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6229	12.16	12.16	14.33	84.86	84.86
18.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6624	22.50	22.50	22.50	100	100
19.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6032	25.33	20.32	29.67	85.37	68.49
20.	23-जल संसाधन	5595	67.00	55.69	69.00	97.10	80.71
21.	25-खनिज साधन	6606	607.55	607.55	607.55	100	100
22.	26-संस्कृति	6464	34.87	34.87	36.69	95.04	95.04
23.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6344	10.41	10.35	10.41	100	99.42
24.	29-विधि एवं विधायी कार्य	6269	121.36	121.29	124.29	97.64	97.59
25.	30-ग्रामीण विकास	6613	60.00	60.00	60.00	100	100
26.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	6267	16.00	16.00	16.00	100	100
27.	32-जनसंपर्क	3956	26.83	24.67	48.45	55.38	50.92
28.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	11.59	11.59	11.59	100	100
29.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3248	13.38	13.38	13.38	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	5290	15.18	15.18	15.18	100	100
31.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0570	11.00	10.75	11.00	100	97.73
32.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5056	12.95	12.87	19.61	66.04	65.63
33.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5211	72.92	72.70	134.07	54.39	54.22
34.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5523	63.15	63.15	100.00	63.15	63.15
35.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6005	16.35	16.35	16.35	100	100
36.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7895	32.29	32.29	32.31	99.94	99.94
37.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8799	12.73	11.57	21.00	60.62	55.10
38.	47- तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास	5885	10.70	10.70	10.70	100	100
39.	48- नर्मदा घाटी विकास	9091	50.44	46.14	60.62	83.21	76.11
40.	50- उद्यमिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5626	14.05	14.05	24.86	56.52	56.52
41.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6084	29.14	26.18	42.84	68.02	61.11
42.	61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	5584	43.68	43.61	50.00	87.36	87.22
43.	61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	63.70	63.70	63.70	100	100
44.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5056	23.94	23.34	30.42	78.70	76.72
45.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5523	124.10	124.10	165.20	75.12	75.12
46.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6007	12.96	12.96	14.56	89.01	89.01
47.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	14.12	14.12	14.12	100	100
48.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	7895	13.37	13.37	13.39	99.85	99.85
49.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4610	107.36	102.19	124.76	86.05	81.91
50.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6226	19.23	19.23	30.51	63.03	63.03
51.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6244	319.68	319.68	557.56	57.33	57.33
52.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6299	206.91	186.79	262.25	78.90	71.23
53.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5126	25.42	21.33	42.20	60.24	50.54
54.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	65.75	65.75	94.03	69.92	69.92
55.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6297	71.30	71.30	71.30	100	100
56.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6551	30.03	30.03	30.03	100	100
57.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6007	20.21	20.21	23.31	86.70	86.70

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	पी.डी.-लोक ऋण	6962	91.11	88.52	167.69	54.33	52.79
59.	पी.डी.-लोक ऋण	7105	129.07	129.07	129.07	100	100
60.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	29.68	29.68	29.68	100	100
योग			15979.72	15888.68	16973.40	94.14	93.61

परिशिष्ट - 2.15

केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443- सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरण दिखाये जाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ कडिका 2.3.13; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरे वार शीर्ष तक लेखे का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान (मूल+ पूरक)	विभाग का नाम	8443- सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	03-पुलिस	4055-800-0701-6631-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों के निर्माण / सुदृढीकरण	4.45	4.45	4.45
2	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	40.65	6.10	1.22
3	26-संस्कृति	2205-800-1301-6464-स्मारको /संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	43.75	36.69	34.87
4	29-विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13 वां वित्त आयोग)	158.04	124.29	121.24
5	37-पर्यटन	5452-01-101-0701-7630-अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश)	25.00	25.00	3.09
6	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6559-प्रदेश में बुद्धिष्ठ परिपथ का विकास	1.00	1.00	1.00
7	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास	3.00	3.00	2.00
8	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6561-जैन परिपथ का विकास	3.00	3.00	1.00
9	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6563-हैरिटेज पर्यटन का विकास	4.00	4.00	4.00
10	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6567-पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	7.00	7.00	4.00
11	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6570-सांख्यिकी प्रकोष्ठ का विकास	0.50	0.50	0.50
12	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6571-मेला एवं उत्सव	1.50	1.50	1.50
13	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	1.00	0.50
14	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-796-105-0702-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	3.12	2.96	2.94
15	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-796-101-0702-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	200.70	198.94	0.89
16	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग)	3451-796-101-1302-6267-जिला नवाचार कोष	5.25	5.25	5.25
17	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-796-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	12.50	4.93	2.53

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
18	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	22.38	18.05	15.20
19	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	0.65	0.65	0.65
20	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-02-104-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	19.56	19.56	6.30
21	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	0.65	0.65	0.65
22	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	611.36	611.64	182.25
23	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	4.13	4.09	3.06
24	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	566.70	564.93	2.18
25	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701-80-001-1501-5584-सिंहपुर बैराज	50.00	50.00	24.68
26	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6077-नवीन लघु सिंचाई योजना	42.52	66.51	5.00
27	64- अनुसूचित उपयोजना (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	2055-789-109-0703-5172-अनुसूचित जाति /जनजाति के थानों की स्थापना	28.61	26.07	0.34
28	64- अनुसूचित उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	6.68	6.30	6.30
29	64- अनुसूचित उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-789-101-0703-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	134.60	133.21	0.37
30	64- अनुसूचित उपयोजना (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	3451-789-101-1303-6267-जिला नवाचार कोष	3.75	3.75	3.75
31	64- अनुसूचित उपयोजना (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	9.35	2.39	0.31
32	73-चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0701-6460-चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	8.97	8.97	4.00
योग			2024.37	1946.38	446.02

परिशिष्ट - 2.16
बिना प्रावधान के किये गये व्यय
(संदर्भ कंडिका 2.3.14; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	लेखा का शीर्ष	व्यय	कारण
1	2	3	4	5
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-109-5691- 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों पर समेकित राज्य आयोजनागत ऋण पर ब्याज	357.55	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
2.	पी.डी.-लोक ऋण	6003-101-5049-13.05- प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	0.0049	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
3.	पी.डी.-लोक ऋण	6003-106-5044- क्षतिपूर्ति	0.0013	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
4.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-03-800-0002- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	0.03	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
5.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-03-800-0003- पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुनर्स्थापन हेतु ऋण	0.49	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
6.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-04-800-2253- सिविल प्रदाय योजना के लिये ऋण	0.23	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
योग			358.31	

परिशिष्ट - 2.17

(क) पूंजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64- वृहद निर्माण कार्य और 45- पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान के प्रावधान के राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण
(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वगीकृत
1	2	3	4	5
1	03- पुलिस	2055-101-0270- अपराध अनुसंधान विभाग	18.36	63
2	03- पुलिस	2055-109-1301-6463- पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13 वां वित्त आयोग)	4.18	63
3	03- पुलिस	2055-114-4155- बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	6.25	63
4	06- वित्त	2054-095-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	47.66	63
5	07- वाणिज्यक कर	2039-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	14.00	63
6	12- ऊर्जा	2801-05-052-1201-5114- विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत डी.एफ.आई.डी. से अनुदान	11.87	45
7	12- ऊर्जा	2801-80-800-0101-7400- सिंहस्थ मेले के लिये व्यवस्था	5.25	45
8	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-113-0101-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	28.53	63
9	14-पशुपालन	2403-800-0801-1501-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.93	45
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6051- चिकित्सालयों के लिये जनरेटर	9.00	63
11	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	3.80	63
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-103-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.00	63
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-6624- सोलर फोटोबोल्टेईक संयंत्रों की स्थापना	22.50	63
14	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जनशक्ति नियोजन विभाग)	2230-03-796-003-6477- व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	3.63	63
15	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	2210-06-796-003-0102-4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	5.00	63

1	2	3	4	5
16	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)	2215-01-102-0702-2580-ग्रामीण पेयजल योजना	52.50	64
17	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6472- आई.टी.आई. का सुदृढीकरण	3.14	63
18	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं में विकसित किया जाना	9.00	63
19	48- नर्मदा घाटी विकास	2402-102-0701-1580- मेक्रोमेनेजमेंट योजना	12.00	64
20	64-अनुसूचित जाति उप योजना	2210-01-800-0103-6974- सागर चिकित्सा महाविद्यालय	4.51	63
21	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-800-0101-5512- जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	5.60	64
22	73-चिकित्सा शिक्षा	2210-01-110-0101-1353- चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबद्ध चिकित्सालय	10.97	63
23	73-चिकित्सा शिक्षा	2210-05-105-0101-4968- चिकित्सालय महाविद्यालय	4.64	63
		योग	324.32	

(ख) राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के प्रावधान की राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5853- डी.पी.आई.पी. योजनायें	5.00	42
2	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0701-6655- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	70.00	42
3	48- नर्मदा घाटी विकास	4701-80-001-0101-6617- नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	5.32	42
		योग	80.32	

परिशिष्ट - 2.18
चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत बचतें
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)
1	2	3
		2011-12
	10- वन	
1.	2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	8.05 (21.76)
2.	2406-01-102-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	4.13 (25.18)
3.	2406-01-204-2901- बांस	7.53 (27.09)
4.	2406-02-110-0701-1594-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाईगर प्रोजेक्ट	110.56 (74.21)
5.	2406-02-110-0701-6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	3.54 (40.41)
6.	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)	12.00 (100)
53- अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
7.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2217-05-789-191-0103-6981- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	4.77 (23.28)
8.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2217-80-789-191-0703-6931- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4.82 (21.75)
9.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 6217-60-789-800-1203-7905- नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	10.20 (33.63)
	योग	165.60

परिशिष्ट - 2.19
चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशतता)
		2011-12
1	2	3
10-वन		
1.	2406-01-001-0101-2723- प्रशासन का सुदृढीकरण	3.02 (33.97)
2.	2406-01-101-0101-5830- ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान	0.50 (50.00)
3.	3054-04-337-4349- सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती (13वें वित्त आयोग)	0.40 (20.00)
योग		3.92

परिशिष्ट - 2.20

वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
10-वन					
1.	2406-02-110-2899- राष्ट्रीय उद्यान	45.01	9.85	50.86	4.00
2.	2406-01-001-3555- मुख्यालय	23.71	8.66	29.27	3.10
3.	2406-01-101-0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	575.44	53.24	591.96	36.72
	योग	644.16	71.75	672.09	43.82

परिशिष्ट 3.1

मार्च 2012 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागों के अनुसार
जानकारी

(संदर्भ कंडिका 3.1; पृष्ठ 67)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	राजस्व	2029	30	1.20
2	समाज कल्याण	2235	388	660.37
3	नगरीय प्रशासन	3604	13056	10406.02
4	विधानसभा सचिवालय	2011	24	1.29
5	जनसम्पर्क	2220	19	1.50
6	ग्रामीण विकास	4515,2515,2505, 2501	6061	5984.63
7	सहकारिता	6425,2425	1764	264.65
8	सिंचाई	2702	1301	18.65
9	ऊर्जा	2801,2810	1686	874.14
10	पशुपालन	2403	1253	227.25
11	आबकारी	2039	56	1.87
12	जेल	2056	19	0.02
13	महिला एवं बाल विकास	2236	849	86.43
14	पुलिस	2055	190	1.91
15	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	234	17.85
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215,6215	2454	27.46
17	उद्योग	2851,2852	1410	445.22
18	विधि एवं विधायी कार्य	2014	67	1.53
19	आवास एवं पर्यावरण	2217	989	2467.92
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	1607	4429.71
21	लोक निर्माण विभाग(गृह)	2216	150	214.14
22	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	100	214.75
23	मत्स्योद्योग	2405	98	10.83
24	पर्यटन	3452	40	65.22
25	कृषि	2401,4402	425	464.40

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
26	श्रम	2230	548	51.56
27	सामान्य प्रशासन	2075,2052	122	86.80
28	वाणिज्यिक कर	2045	10	0.17
29	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	241	58.04
30	संस्थागत वित्त	2047	4	0.02
31	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	35	4.48
32	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	12	0.93
33	चिकित्सा सेवाएं	2210	608	635.32
34	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2225	424	389.10
35	शिक्षा विभाग	2202,4202	3137	3188.67
36	खेल एवं युवा कल्याण	2204	6	7.89
37	वन	2406	988	105.79
	योग	47 मुख्य शीर्ष	40405	31417.72

परिशिष्ट 3.2

स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

(संदर्भ कंडिका 3.2; पृष्ठ 68)

सरल क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जबतक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति लेखों के विलंब की अवधि (माह)
1	2	3	4	5	6	7
1.	म.प्र. गृहनिर्माण मंडल, भोपाल	2006-07 तक	2006-07	2006-07 तक	2003-04	--
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	2009-10 तक	2007-08	2006-07	2004-05	2007-08: (45) 2008-09: (39) 2009-10: (27)
3.	म.प्र. मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2010-11	2009-10	2008-09	2008-09: (15) 2009-10: (16) 2010-11: (09)
4.	म.प्र. भवन तथा निर्माण कार्यकर्ता कल्याण मण्डल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा (2003-04)	(2003-04) से 2007-08	निरंक	निरंक	2003-04 से 2007-08 (84) 2008-09 से आगे (36)
5.	म.प्र. राज्य विधिक सेवा, प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1997-98)	--	--	168
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1998-99)	--	--	156
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2006-07)	--	--	60
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा	तदैव	तदैव	--	--	तदैव
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच	तदैव	तदैव	--	--	तदैव
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर	तदैव	तदैव	--	--	तदैव

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिन्ड	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाड़ा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7
25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
26	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडला	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
28.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
29.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
30.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
33.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
37	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
38.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
39.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
40.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
41.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
42.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
43.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
44.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
45.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
46.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
47.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
48	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी	-तदैव-	2002-03 से लेखे नहीं भेजे	--	--	108

विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2012 तक ली गयी है।

परिशिष्ट-3.3

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण
(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग का नाम	पांच वर्षों तक		पांच से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 वर्षों से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4	21.09	1	4.44	6	26.35	1	3.08	15	15.21	21	11.41	48	81.58
2	2211-परिवार कल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	--	--	--	--	--	1	0.20	11	5.11	12	5.31
3	2054-कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	3	15.82	0	0.00	2	19.78	0	0.00	3	1.16	5	12.10	13	48.86
4	2014-न्याय प्रशासन	0	0.00	2	1.28	1	3.69	1	0.44	0	0.00	2	0.29	6	5.70
5	2053-जिला प्रशासन	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.40	3	0.81
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.67
7	2055-पुलिस	193	65.69	194	66.90	35	27.52	16	9.30	4	1.08	0	0.00	442	170.49
8	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.00	0	0.00	4	1.78	16	10.21	6	6.53	12	2.54	38	21.06
9	2235-पंचायत	0	0.00	0	0.00	1	4.04	1	0.14	1	0.10	2	2.83	5	7.11
10	2235-पुनर्वास विभाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	0.19
11	2235-महिल्र एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	0	0.00	2	1.20	2	1.06	0	0.00	5	3.57
12	2403-पशु पालन	0	0.59	7	1.82	4	4.35	1	0.24	3	0.92	3	5.63	21	13.55

31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	2202-स्कूल शिक्षा	59	2699.81	25	37.35	8	4.40	15	8.79	21	12.98	34	14.68	162	2778.01
14	2203-तकनीकी शिक्षा	12	16.62	5	9.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	26.03
15	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45
16	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.25	0	0.00	1	13.12	0	0.00	0	0.00	2	13.37
17	2230-श्रम तथा रोजगार	7	4.13	3	0.62	1	6.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	11.51
18	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	0	0.00	2	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.47	4	1.42
19	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	163	392.33	225	244.34	398	366.59	365	153.39	636	127.33	509	95.40	2296	1379.38
20	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	2	0.35	1	0.02	11	49.79
21	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
22	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.47
23	2851-ग्रामोद्योग	2	0.80	0	0.00	1	2.75	0	0.00	0	0.00	1	0.07	4	3.62
24	2852-उद्योग	0	0.00	1	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.03
25	जल संसाधन विभाग	1	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.30
26	लोक निर्माण विभाग	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.08
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
	योग	457	3262.75	468	371.03	464	469.55	422	203.57	695	167.32	605	151.14	3111	4625.36

परिशिष्ट 3.4

2011-12 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण
(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69 व 70)

क्रम संख्या	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	संयुक्त निदेशक, ग्वालियर	जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में ए.डी. फार्मों की चोरी	1	19,960.00
2.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	सिविल सर्जन, मंदसौर	श्री के.एल.शर्मा सिविल सर्जन मंदसौर द्वारा की गयी जालसाजी	1	35,326.00
3.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर	वर्ष 1989-90 में दवाओं की चोरी और दोहरा आहरण	1	27,022.00
4.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अधीक्षक एस.जे.चिकित्सालय, भोपाल	शासकीय धनराशि का गबन	1	6,642.96
5.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	भण्डार में दवाओं का कम पाया जाना	1	95,815.10
6.	2055-पुलिस	महानिदेशक, पुलिस मध्य प्रदेश, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी के कारण हुई हानि, वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त आदि	19	5,68,401.00
7.	2203-तकनीकी शिक्षा	निदेशक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	46,700.00
8.	2401-फसल कृषि कर्म	निदेशक, कृषि मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	31,671.44
9.	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	निदेशक, कृषि मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	40,487.00
10.	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त एवं बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार	हानि की वसूली न होने के कारण	26	1,00,655.00
11.	2425- सहकारिता	आयुक्त, सहकारिता मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	2	1,11,774.00
योग				55	10,84,454.50

परिशिष्ट 3.5

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि से सरकार को हुई हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	21	16.68	27	64.90	48	81.58
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	12	5.31	12	5.31
3	2054-कोषालय एवं लेखे	4	15.93	9	32.93	13	48.86
4	2014-न्याय प्रशासन	3	0.61	3	5.09	6	5.70
5	2053-जिला प्रशासन	1	0.39	2	0.42	3	0.81
6	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	0.00	1	0.67	1	0.67
7	2055-पुलिस	20	32.93	422	137.56	442	170.49
8	2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	0.11	35	20.95	38	21.06
9	2235-पंचायत	1	1.23	4	5.88	5	7.11
10	2235-पुनर्वास	0	0.00	1	0.19	1	0.19
11	2235-पुनर्वास विभाग -महिला एवं बाल कल्याण	4	2.26	1	1.31	5	3.57
12	2403-पशुपालन	7	4.73	14	8.82	21	13.55
13	2202-स्कूल शिक्षा	76	83.30	86	2694.71	162	2778.01
14	2203-तकनीकी शिक्षा	10	10.47	7	15.56	17	26.03
15	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	1	0.45
16	2505-ग्रामीण रोजगार	2	13.37	0	0.00	2	13.37
17	2230-श्रम एवं रोजगार	9	4.51	2	7.00	11	11.51
18	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	3	1.11	1	0.31	4	1.42
19	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	38	10.00	2258	1369.38	2296	1379.38
20	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
21	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
22	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	2	0.22	3	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2851- ग्रामोद्योग	1	0.20	3	3.42	4	3.62
24	2852-उद्योग	0	0.00	1	1.03	1	1.03
25	जल संसाधन विभाग	1	0.30	0	0.00	1	0.30
26	लोक निर्माण विभाग	1	0.08	0	0.00	1	0.08
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	0.00	0	0.00	1	0.00
	योग	214	203.30	2897	4422.06	3111	4625.36

परिशिष्ट 3.6

2011-12 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक

(संदर्भ कंडिका 3.4.1; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी, भोपाल	19	7.59**
2.	आयुक्त, लोक शिक्षा, भोपाल	08	4.05*
3.	उप संचालक, एन.सी.सी., मध्य प्रदेश, भोपाल	78	0.40
4.	संचालक, पिछड़ा वर्ग, भोपाल	37	0.37
5.	संचालक, कृषि विभाग, भोपाल	529	6.46
6.	भूमि संरक्षण अधिकारी	199	0.63
योग		870	19.50

* मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक दिनांक 29.02.2000 को आग दुर्घटना में नष्ट हो गये जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है।

** मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 7.59 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण एवं गबन मामले में, अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।